असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 मार्च, 2017

षोडश विधान-सभा बुधवार,तिथि 15 मार्च,2017 ई0
पंचम सत्र 24 फाल्गुन,1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सूचना है ।

अध्यक्ष : सूचना है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 32 हजार होमगार्ड के जवान .....

अध्यक्ष : इसको समय पर उठाईयेगा न ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, सुन लिया जाय । ये समान कार्य एवं समान वेतन के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं.....

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-1084 ।

प्रश्नोत्तरकाल

तारांकित प्रश्न सं0-1084(श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नालन्दा जिला के हिलसा अनुमंडल के कर्मियों के आवास के मरम्मती इस वित्तीय वर्ष में कराया गया है । प्रखंड कर्मियों के जर्जर आवास जो मरम्मती योग्य नहीं है, के स्थान पर आवासीय भवन के नवनिर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग से निर्माण पर होने वाले संभावित व्यय का आकलन प्रतिवेदन प्राक्कलन प्राप्त कर अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी इस सवालों को लेकर के बैठक में बात आयी थी । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में इसका डी0पी0आर0 तैयार कराकर के आप इस कार्य को अंतिम रूप देंगे ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, अब वित्तीय वर्ष कितना ही दिन बाकी, शेष रह गया है । इसी वित्तीय वर्ष में प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे और समीक्षा के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1558(श्री नौशाद आलम)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1559(श्री राज किशोर सिंह)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : स्वीकारात्मक है । वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के ग्राम गोरौल भगवानपुर पुराना राजकीय नलकूप चालू है परन्तु नाला क्षतिग्रस्त रहने के कारण सिंचाई समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है । वर्तमान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा नाला जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया जा रहा है ।

श्री राज किशोर सिंह : महोदय, चालू भी नहीं है, पिछले 10 वर्षों से चालू नहीं है और बिजली का कनेक्शन स्टेट ट्यूबबेल में नहीं है तो हम जानना चाहेंगे कि कब तक स्टेट ट्यूबबेल में बिजली कनेक्शन होगा और कब तक सिंचाई की व्यवस्था होगी ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो कहा है कि इनको जो सूचना है कि बाकी सब चीज ठीक है, नाला गड़बड़ है ।

श्री राज किशोर सिंह : नहीं सर, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, कहीं सिंचाई नहीं .....

अध्यक्ष : बाकी जो-जो चीज है आप मंत्री जी के संज्ञान में दे दीजियेगा, उसकी जॉच करा देंगे। ठीक है ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, ...

अध्यक्ष : आप भी वैशाली जायेंगे ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुन रहा था और महोदय, आप जानते हैं कि जवाब सरकार देती है और मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि नाला टूटा हुआ है और यह भी स्वीकार किया है कि किासानों को कठिनाई हो रही है तो महोदय, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार कह दे कि हम किसानों को नहीं सुविधा देंगे ? सरकार कह दे कि हम नहीं चालू करेंगे तो सरकार महोदय मौन हो गई तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब वहां के किसानों को असुविधा हो रही है, इसलिए सरकार किसानों को सुविधा देने के लिए क्या करना चाहती है ?

अध्यक्ष : नाला निर्माण का कार्य सरकार किसी भी विभाग से कराना चाहती है, उसको करा देना चाहिए ।

श्री नन्दकिशोर यादव : सरकार का जवाब सुने नहीं महोदय । सरकार मौन है महोदय । अगर सरकार किसानों की समस्या पर मौन है .....

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : हुजूर, सरकार गंभीर है और माननीय नन्दकिशोर बाबू के प्रश्नों पर गंभीरता से निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिये । तारांकित प्रश्न सं0-1560 ।

तारांकित प्रश्न सं0-1560(श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल पी0एम0जी0एस0वाई पथ पर अवस्थित है, जो जर्जर है । इसपर 6 मीटर के लम्बे आकार के नये आर0सी0सी0 पुल

की आवश्यकता है । संबंधित कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में डी0पी0आर0 की मांग की जा रही है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, 2010 में पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क के अन्तर्गत उस पुल का भी प्रावधान किया गया था । संवेदक द्वारा उस पुल का निर्माण नहीं किया गया , उसके बावजूद विभाग के पदाधिकारी द्वारा एम0बी0 बुक कर दिया गया । जिसके कारण उस पुल पर कई दुर्घटनायें होती है । वैसे विभाग के पदाधिकारी जो पुल का प्रावधान होने के बावजूद पुल नहीं बनाया और एम0बी0 बुक कर दिया गया, उसपर भी कार्रवाई की बात करें और कब तक पुल का निर्माण किया जायेगा ताकि दुर्घटना नहीं हो, यह भी स्पष्ट कर दें कि कितने दिनों में पुल का निर्माण कराया जायेगा ?

अध्यक्ष : उसको देखवा लीजिए, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि निर्माण नहीं हुआ है और एम0बी0 बुक हो गया है, इसकी तो जॉच करा लीजिए

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, अगर एम0बी0 बुक हो गया है और पुल नहीं बना है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1561(श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 3.8 कि0मी0 है, जो ईटकृत है । पथ राज्य कोर-नेटवर्क सी0एन0सी0पी0एल0 क्रमांक-50 पर अंकित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार इस पथ का निर्माण कराया जा सकेगा।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह जो गोदनी वाली सड़क है, यह पुरानी विधान सभा के पश्चिम इलाके का है और वहां से लोगों को प्रखंड जाने के लिए काफी दिक्कत होता है । इसलिए जनहित में यह रोड बनाना बहुत ही आवश्यक है । हम सरकार से जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक इसको बनायेंगे ?

अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा है कि निधि की उपलब्धता के हिसाब से देखेंगे ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : आखिर निधि उपलब्ध कराना सरकार को है तो वे बतायेंगे कि कब तक निधि उपलब्ध होगा और कब तक जनता का काम हो जायेगा ?

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देख लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1562(श्री मुजाहिद आलम)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1563(श्री रमेश सिंह कुशवाहा)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :-

1. ठेपहॉ से नौतन पथ - इस पथ की लम्बाई 13 कि0मी0 है । यह पथ अनुरक्षण हेतु श्रेणी-1 की सूची में शामिल है । पथ की मरम्मती हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है ।

2. बदली मोड़ से बंका मोड़ पथ - इस पथ की लम्बाई 5 कि0मी0 है । यह पथ अनुरक्षण हेतु श्रेणी-1 की सूची में शामिल है । पथ की मरम्मती हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर लिया गया है , जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुसार मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा । दोनों श्रेणी-1 में है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1564(श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन चारों कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों यथा-सोन, गण्डक, कोशी एवं के0बी0सी0 कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों के क्षेत्राधीन विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2009-10 से अब तक कुल 1,84,315 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई नाली का निर्माण कार्य, 27,953 हेक्टेयर क्षेत्र में जल-निकासी नाली का निर्माण कार्य किया गया है एवं 150 क्यूसेक तक जलस्राव वाले कुल 19,750 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र के लिए नहरों के पुनर्स्थापन का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किया जा रहा है, जिससे लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकारात्मक है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के इस प्रकार के कार्यक्रम पर हरेक 5 साल पर मिट्टी के कार्य कराये जाने का प्रावधान है और पूरे बिहार में जो मैंने विषय उठाया है, उसके अलावे जितने भी हमारे क्षेत्र में इस प्रकार के अभिकरण हैं, पिछले 2009 के बाद किसी में कोई काम नहीं हुआ है और अभी जो कार्य हुआ है, उसको भी सरकार बीच में बन्द कर दिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो भी इस प्रकार के योजनायें पिछले 2009 से अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, क्या सभी योजनाओं को माननीय मंत्री जी कार्य प्रारम्भ कराना चाहते हैं ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि कहां-कहां कितने क्षेत्र में काम हुआ है और अगर माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि किन-किन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा करके वहां काम कराया जायेगा, क्योंकि हमलोगों का उद्देश्य है कि जितनी जो ह्रासित क्षमता है सिंचाई की, उसको हासिल कर सकें । माननीय सदस्य बतायेंगे कि कहां-कहां नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1565(श्री राम विशुन सिंह)

श्री राजीव रंजन सिह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत सोन नहर प्रणाली के बिहिया शाखा नहर के 18.20 कि0मी0 से नि:सृत कटेया वितरणी की लम्बाई 34.40 कि0मी0 एवं रूपांकित जलस्राव 625 घनसेक है तथा कटेया वितरणी के 15.00 कि0मी0 से निसृत ज्ञानपुर उपवितरणी की कुल लम्बाई 6.4 कि0मी0 है एवं रूपांकित जलस्राव 45 घनसेक है । वर्ष 2016 खरीफ सिंचाई अवधि में कटेया वितरणी एवं ज्ञानपुर उपवितरणी के अंतिम छोर तक जलस्राव प्रवाहित कराकर पूर्ण सिंचाई क्षमता का उपयोग कर खरीफ सिंचाई लक्ष्य 6000 हेक्टेयर के विरूद्ध 6000 हेक्टेयर एवं 400 हेक्टेयर के विरूद्ध 370 हेक्टेयर सिंचाई उपलब्धि हासिल किया गया है ।

..... क्रमश: .....

टर्न-2/अंजनी/दि0 15.03.2017

क्रमश:

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : सोन जलग्रहण क्षेत्र में वर्षापात कम होने तथा बराज में पानी की कमी होने पर इस वितरणी एवं उपवितरणी के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में कठिनाई होती है, परन्तु तातील व्यवस्था लागू कर नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचा कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ।

खंड- 2 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि आरा मुख्य नहर एवं इससे मिश्रित वितरणियों के खराब गेटों / फाटकों को चिंहित कर लिया गया है ।

खंड-3-क्षतिग्रस्त गेटों/फाटकों की मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार कर खरीफ 2017 के पूर्व कार्यान्वित कराने का निदेश विभागीय पत्रांक 389, दिनांक 09 मार्च, 2017 द्वारा मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना को दिया गया है।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि गेट नहीं है । हमने तो यह पूछा है कि पीरो से डिहरी तक जो नहर की शाखायें हैं और बड़ी-बड़ी जो मोरी निकली है, उसमें फाटक के अभाव में पानी ज्ञानपुर और कटेया लाईन में नहीं पहुंच रहा है । जो आपने सिंचाई का आंकड़ा दिया, वह तो सरकार का कार्ड दिया है । महोदय, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, इसलिए कि उपर के नाला, मोरी जो खुला है और नहर का जो ब्रांच है उसमें स्लुईस का काम नहीं है, नहीं लगा हुआ है, टूट गया है, फाटक टूट गया है ।

अध्यक्ष : आप जो चाहते हैं वह पूरक के रूप में पूछिए ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, हम चाहते हैं कि उपर के जितने भी नहर की शाखायें हैं, नाले हैं, उसमें सरकार फाटक लगा दे ताकि पानी उपर से अंतिम छोर तक चला आये ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1566(श्री रामचन्द्र सहनी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सुगौली प्रखंडान्तर्गत मुसवा उत्क्रमित उच्च विद्यालय से लक्ष्मीपुर तक पथ की कुल लम्बाई तीन किलोमीटर है, जो कच्ची है । इस पथ के मार्गरेखन पर कोई बसावट नहीं है । उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुसवा शीतलपुर से जनेरवा पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ के किनारे अवस्थित है । लक्ष्मीपुर को जोड़ने हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत मनसिंगा से लक्ष्मीपुर पथ स्वीकृत है, जो निविदा की प्रकिया में है । इसके बन जाने से लक्ष्मीपुर को सम्पर्कता प्रदान हो जायेगी ।

श्री रामचन्द्र सहनी : अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मीपुर टोला है और यह प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुसवा ही उपयुक्त है । यहां से जुट जाने पर वह प्रखंड से जुटेगा और जिला से जुटेगा और जो मंत्री जी बता रहे हैं उधर अगर सड़क बनती है तो उससे कोई परपस सोल्भ नहीं होता है । वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री रामचन्द्र सहनी : मैं चाहता हूँ कि क्या प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए मंत्री जी प्रयास करेंगे ?

अध्यक्ष : बहुत हल्का सवाल है, प्रयास करने के लिये कह रहे हैं ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि चूंकि हमलोग सिंगल कनेक्टिविटी देते हैं और लक्ष्मीपुर को चैनपुर और मनसिंगा से पी0एम0जी0एस0वाई0 प्रस्तावित है तो उसको सम्पर्कता मिल जायेगा । जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुसवा जिसको जनरेवा और शीतलपुर से सम्पर्कता है लेकिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुसवा से लक्ष्मीपुर के बीच कोई बसावट नहीं है तो हम लक्ष्मीपुर को मनसिंगा चैनपुर से सम्पर्कता दे रहे हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है तो इनको जो विभाग ने जो रिपोर्ट दिया है, उसके आधार पर इन्होंने दिया है, स्वभाविक भी है । महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है और जो वे कहना चाहते हैं, वह आपने गौर किया होगा । उन्होंने कहा यह है कि जो स्थान माननीय सदस्य बता रहे हैं, अगर उधर से सम्पर्कता होती है तो सीधे प्रखंड से जुड़ जायेगा । तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के अनुशंसा के आधार पर उसका सर्वे कराकर उसकी उपयोगिता के बारे में फिर से जांच कराकर कोई कार्रवाई करना चाहेंगे ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि लक्ष्मीपुर को जिधर से माननीय सदस्य जो सम्पर्कता चाह रहे हैं, उसमें कोई बसावट नहीं है तो बसावट रहता तो उधर से जोड़ देते। जहां तक लक्ष्मीपुर की बात है उसको पी0एम0जी0एस0वाई में हमलोग प्रस्तावित कर दिये हैं, वहॉ तक सम्पर्कता सड़क पहुँच जायेगी । हमने यही माननीय सदस्य को बताया है, महोदय । दूसरी बात, उनका कहना है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुसवा जो कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के बगल में है उसको सम्पर्कता प्राप्त है । लक्ष्मीपुर को तो हम सम्पर्कता दे ही रहे हैं ।

अध्यक्ष : फिर भी माननीय सदस्य वहॉ से कह रहे हैं, उसको देखवा लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1567 (श्री सैयद अबु दौजाना)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1568 (श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1569 (श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, पथ निर्माण विभाग में आ गया है ।

1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड समस्तीपुर के बहादुरपुर, हसनपुर से चांदनी चौक होते हुये विशनपुर चौक तक का पथ समस्तीपुर रोसड़ा, मंझौल, बेगूसराय राज्य उच्च पथ संख्या 55, एस0एच0 55 का पथांश है । यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज 19 के अन्तर्गत है । बरसात के दिनों में अधिक वर्षा, तेज बारिश होने के बाद बहादुरपुर, हसनपुर से चॉदनी चौक तक लगभग 1 कि0मी0 पथांश जो बाजार भाग है, में पथ पर कुछ समय के लिये जल जमाव होता है परन्तु वर्षा समाप्त होने के कुछ समय बाद ही पानी निकल जाता है । इस पथांश में पी0सी0सी0 पथ निर्मित है जो अच्छी स्थिति में है । चॉदनी चौक से विशनपुर चौक पथांश लम्बाई 2 कि0मी0 में पथ पर जल-जमाव नहीं होता है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । तेज बारिश होने पर कुछ समय तक पथ पर पानी का जमाव होता है । वर्षा बन्द होने के दो-तीन घंटे के अन्दर पानी पथ से निकल जाता है ।

3- वर्त्तमान में इस पथांश में नया नाला निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1570 (श्री महबूब आलम)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ कटिहार जिलान्तर्गत ग्रामीण सड़क जो इदमापुर, कदमगामी, सुधानी, आदमपुर होते हुये तेलता प्रखंड तक जाती है, वस्तुतः यह पथ दो खंडों में बना है । प्रथम खंड बारसोई प्रखंड अन्तर्गत रघुनाथपुर रेलवे गुमटी से आलेपुर होते हुये आदमपुर तक पथ है, जिसकी कुल लंबाई 14 कि0मी0 है जबकि दूसरा खंड बलरामपुर प्रखंड में पड़ता है जो बजगॉव तेलवा होते हुये आदमपुर तक जाती है जिसकी कुल लंबाई 19.50 कि0मी0 है । प्रथम खंड लंबाई 14 कि0मी0 में मरम्मति मद का कार्य 2013-14 में किया गया था, जिसके प्राक्कलन में पंचवर्षीय अनुरक्षण का प्रावधान शामिल नहीं था । द्वितीय खंड लंबाई 19 कि0मी0 में मरम्मति कार्य 2015-16 में कराया गया है जो अभी पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है । जुलाई, 2016 में आई बाढ़ से पथ की स्थिति जर्जर हो गई है । दोनों खंड में एफ0डी0आर0 मद में पार्ट-ए प्राक्कलन बनाकर पथ को मोटरेबुल कर दिया गया है तथा यातायात चालू है । पूरे पथ को पूर्व की स्थिति में करने के लिये पार्ट-बी का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । निधि की उपलब्धता के आधार पर इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बाढ़ प्रभावित है, महत्वपूर्ण है जो रघुनाथपुर रेलवे गुमटी से लेकर यह सड़क आदमपुर तक जाती है, इसके उपर में इस बाढ़ में दो फीट पानी बह रहा था, बहुत जर्जर हो गया है और आवागमन ठप है करीब-करीब । आप जॉच करा लीजिये और मैं चाहता हूँ कि जल्दी इसका निर्माण हो, पुनर्मरम्मति हो ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1571 (श्री प्रकाश वीर)

(माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 1572 (श्री राजू तिवारी)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है । 1.गहीरी-मखुआ से बतरौलिया तक पथ - इस पथ की लंबाई 11 कि0मी0 है, जो खराब है । पथ मरम्मति हेतु श्रेणी-1 में सम्मिलित है तथा इसका डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का निर्माण कराया जा सकेगा ।

2. कौआहा बाजार से सिरनी बाजार पथ - कौआहा बाजार से दामोदरपुर गॉव होते हुये सिरनी बाजार तक पथ की लंबाई 3.6 कि0मी0 है । पथ की मरम्मति हेतु श्रेणी-2 की सूची में शामिल है । सम्प्रति इस पथ की मरम्मति का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मखुआ और गहीरी रास्ता है, बहुत ही चलने योग्य नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण रोड है, कबतक हो जायेगा मुझे यही आपके माध्यम से जानकारी चाहिये थी ? कबतक इसको चलने योग्य बनाया जा सकेगा ?

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, हमने तो बताया कि गहीरी-मखुआ से बतरौलिया पथ इसका श्रेणी-1 में डी0पी0आर0 का हमलोग मॉग कर लिये हैं ।

टर्न-3/शंभु/15.03.17

तारांकित प्रश्न सं0-1573(श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1574 श्री मो0 नवाज आलम)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक है। विभाग में कार्यों के निष्पादन हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा की जॉच मूल्यांकन निविदा में निहित शर्त्तों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार निविदा में खुली स्पर्धा होती है। जहां तक रंजीत कंस्ट्रक्शन को बार-बार कार्य आवंटित करने अथवा नाम बदलकर कार्य आदेशित करने का प्रश्न है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उन्हें जो भी कार्य आंवटित किये जाते हैं उनकी निविदा का निष्पादन निविदा में प्रावधानित शर्त्तों के अनुसार ही किया जाता है।

तारांकित प्रश्न सं0-1575(श्री वशिष्ठ सिंह)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, 1-रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड के सासाराम चौसा पथ बलथरी से कपसिया होते हुए शेख बहुआरा होते हुए एन0एच0 30 तक जानेवाली पथ वस्तुतः जो अलग-अलग पथों का संयुक्त पथ है। प्रथम भाग बलथरी कपसिया से रामपुर जिसकी लंबाई 1.425 कि0मी0 वर्ष 2009-10 में स्वीकृत पथ है। जो संवेदक जे0के0एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 कंपनी द्वारा दिनांक 23.01.13 को पूर्ण किया गया था। द्वितीय भाग एन0एच0 30 है- हटना से सासाराम चौसा सड़क भाया कपसिया हटना जिसकी लंबाई 13.4 कि0मी0 है, जे0के0एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 कंपनी द्वारा ही दिनांक 14.06.13 को पूर्ण की गयी थी। इस प्रकार दोनों पथ अभी वर्तमान में अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत है। संवेदक जे0के0एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्रा0लि0कं0 द्वारा 11 अदद सड़क निर्माण नहीं किया और न ही पूर्ण किये गये सड़कों का अनुरक्षण कार्य ही किया। साथ ही न्यायालय में अनुचित मांगों के लिए विभाग पर मुकदमा दायर किया गया। संवेदक

जे0के0एम0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 कंपनी द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सासाराम–1 के पत्रांक 2297, दिनांक 24.12.12 के आलोक में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग पटना के पत्रांक 3713, दिनांक 04.04. 13 द्वारा उक्त संवेदक को काली सूची में डाला गया। पुनः संवेदक द्वारा अवशेष कार्यों को जून, 2013 तक पूर्ण किये जाने का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया है। जिसके आलोक में अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग ने पत्रांक 4227, दिनांक 17. 04.13 द्वारा उन्हें काली सूची से विमुक्त किया गया। अनेकों स्मार एवं चेतावनी, पत्रों के बावजूद संवेदक जे0के0एम0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 कंपनी द्वारा सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सासाराम–1 के पत्रांक 762, दिनांक 22.05.14 द्वारा संवेदक जे0के0एम0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 कंपनी के एकरारनामा को विखंडित करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जप्त करने का आदेश निर्गत किया । तत्पश्चात् संवेदक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त न्यायादेश के साथ आरबीट्रेशन न्यायालय में रेफरेंस केस नं0–106 एवं 107 के साथ आइ0ए0 पेटीशन भी दायर किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सासाम–1 द्वारा तथ्य विवरणी दायर करते हुए प्रति शपथ पत्र दायर किया गया एवं संवेदक द्वारा पथों के अनुरक्षण नहीं कराने से संबंधित सभी साक्ष्य न्यायालय में समर्पित किया गया। आलोच्य पथों के अनुरक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात् श्रेणी–1 में सम्मिलित किया जा सकता है।

2– उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक ही आग्रह है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वह अपना करें, वैसे ठीकेदार को दंडित किया जाय, ठीक बात है, लेकिन हम आग्रह यही करेंगे मंत्री महोदय जी से कि 6 कि0मी0 कपसिया तक बलथरी पथ से जर्जर स्थिति में है, चलने लायक नहीं है। इसलिए कृपया उस रोड को शीघ्र बनवाने का कष्ट करेंगे।

श्री राजीव नन्दन : महोदय, मुझे यह पूछना है कि जितने संवेदक हैं जो इस तरह से रोड का काम बीच में छोड़कर भाग जाते हैं.....

अध्यक्ष : जितने का कहां सवाल है, यह तो एक सड़क से संबंधित है।

श्री राजीव नन्दन : ये सरकार एक महत्वपूर्ण– सड़क के मामले में नीतिगत फैसला के लिए बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं– ये सड़क में जो संवेदक भाग जाते हैं, बिहार के अन्य जिलों में.....

अध्यक्ष : आपने राजीव जी सुना नहीं, सरकार ने कार्रवाई भी की, ब्लैकलिस्ट भी किया, उसका एकरारनामा भी रिसाइन्ड किया, वह बात कोर्ट के दायरे में आ गयी है, सरकार ने कहा है कि कोर्ट का मामला, हस्तक्षेप बंद होगा, सरकार करेगी।

श्री राजीव नन्दन : इसी में पूरक प्रश्न है कि जो लागत कॉस्ट बढ़ गया सड़क बनवाने में और संवेदक ने काम पूरा नहीं किया तो लागत कॉस्ट जो संवेदक का धन है, संपत्ति है उससे....

तारांकित प्रश्न सं0-1576(श्री अमित कुमार)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया रिंग बांध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य गत वर्ष कराया गया है। तटबंध मजबूत स्थिति में है, तटबंध का उपरी सतह मिट्टी का होने के कारण बरसात के दिनों में सामग्रियों से लदे ट्रैक्टरों के परिचालन के फलस्वरूप तटबंध का उपरी सतह कुछ जगहों पर उबड़-खाबड़ हुआ है, जिसे उक्त कार्य के संवेदक से ठीक कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि तटबंध का निर्माण बाढ़ से सुरक्षा एवं विभागीय निरीक्षण वाहन के परिचालन एवं बाढ़ अवधि में सामग्रियों के परिवहन निमित्त किया गया है। उक्त तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत बैरगनिया रिंग बांध के पक्कीकरण कराने हेतु योजना प्राक्कलन तैयार करने के लिए मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को विभागीय पत्रांक 1176, दिनांक 10.03.2017 द्वारा निदेशित किया गया है।

श्री अमित कुमार : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-1577(श्री सुधांशु शेखर)

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई डेढ़ कि0मी0 है। रघुनाथपुर को एन0एच0 104 से संपर्कता प्राप्त है। कदवाही को संपर्कता प्रदान करने हेतु राज्य कोर नेटवर्क सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 23 पर आर0सी0डी0 सड़क से कदवाही पथ सम्मिलित है। कदवाही एवं रघुनाथपुर के बीच अन्य कोई बसावट नहीं होने के कारण इस पथ को किसी भी कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है।

श्री सुधांशु शेखर : किसी नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया तो फिर इस रोड का किस तरह से निर्माण होगा ?

अध्यक्ष : कह रहे हैं कि आबादी बीच में नहीं है तो आबादी की सूचना लेकर आप माननीय मंत्री जी से संपर्क कर लीजिएगा।

तारांकित प्रश्न सं0-1578(श्री रामचन्द्र सहनी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड सुगौली में पथ निर्माण विभाग का छपरा बहास विशनपुरवा पथ है। जिसकी कुल

लंबाई 11 कि0मी0 है। पथ में कुछ स्थानों पर पथ की जमीन फ्लैंक का ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिसे हटा देने के बाद पुनः अतिक्रमण कर लिया जाता है। मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल मोतिहारी को निदेशित किया गया है कि जिला प्रशासन के सहयोग से पथ के जमीन की मापी करवाकर अतिक्रमण को शीघ्र मुक्त करवाएं।

श्री रामचन्द्र सहनी : महोदय, एक समय सीमा बता देते मंत्री जी कि कब तक मापी कराकर के उसको खाली कराया जायेगा ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : निदेशित कर दिया गया है अभियंता को और जिला प्रशासन से बात करके जल्द से जल्द इसपर कार्रवाई की जायेगी।

श्री रामचन्द्र सहनी : ठीक है।

टर्न–4/अशोक/15.07.2017

तारांकित प्रश्न संख्या–1579(श्रीमती अरूणा देवी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1580(डॉ राजेश कुमार)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1580(श्री विजय कुमार सिन्हा)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री :महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण केन्द्र एजेंसी एन.बी. सी.सी. के द्वारा कराया गया है, जिसका पांच वर्ष का अनुरक्षण अवधि दिनांक 28. 02.2017 को समाप्त हो चुका है । उक्त पथ अनुरक्षण हेतु श्रेणी–1 की अर्हता रखता है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका मरम्मति कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा :अध्यक्ष महोदय, एक तो अध्यक्ष महोदय, आमने समाने बाधा उत्पन्न हो जाता है दिखाई ही नहीं पड़ते है कि मंत्री जी किधर हैं, ये सामने सामने कम से कम आपकी तरफ से, यही हम चाह रहें हैं कि स्थान या तो हमारा परिवर्त्तन हो या माननीय मंत्री जी बीच में आ जायं ।

दूसरा है अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि एन. बी.सी.सी. कम्पनी, दो दर्जन ऐसे सड़क हैं जो उनके नाम पर विगत पांच वर्षो से टाला जा रहा है, ये सड़क टाल क्षेत्र का हैं और टाल और दियारा में दर्जनों सड़क महोदय जो बाढ़ से पहले ही खराब था, जर्जर था और बाढ़ से और विकराल स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तो क्या माननीय मंत्री महोदय उस कम्पनी के नाम पर

बैठे रहेंगे या तत्काल में लागों की आने जाने के लिए मरम्मति की कोई व्यवस्था बना सकते हैं ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो कहा कि कम्पनी वाला चक्कर भी फरवरी में समाप्त हो गया है, अब वे बनाने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : बनाने की प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय, जून के बाद नहीं बनाया नहीं सकता हैं क्योंकि समूचा पानी से प्लावित हो जायेगा, जल का क्षेत्र है, तो उसके पहले अभी तत्काल में क्योंकि अभी रब्बी फसल के लिऐ लोग को आने जाने में काफी आफत हो जायेगा तो क्या माननीय मंत्री महोदय मरम्मति के लिए जो बाढ़ से काफी नुकसान, बर्बाद हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी सदन में उस समय घोषणा किये थे कि विगत एक माह के अन्दर हम मरम्मति कार्य पूरा करायेंगे लेकिन अभी तक कहीं कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है तो हम जानना चहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि मरम्मति का कार्य पूरा करायेंगे बाढ़ से ग्रसित सड़कों का ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, हमने माननीय सदस्य को बताया कि केन्द्र एजेंसी एन.बी.सी.सी. का है, केन्द्र एजेंसी जितने भी पथ को लिये हैं वह कहीं भी इस तरह का अच्छे काम को नहीं किये । हम वहां 28 राज्य का सम्मेलन हुआ था तो वहां हम जाकर के माननीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर साहब से भी आग्रह किये थे कि जितने भी केन्द्र एजेंसी वाले रोड हैं सब को जल्द से जल्द बनवाया जाय, तो अब उसकी अवधि समाप्त हुई हैं, अब हम श्रेणी –1 में ले रहें हैं, अब इसको काम कर देंगे हमलोग।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, यह आपका डुमरी से लेकर जखौर निजात तक का केन्द्र का सड़क नहीं है, जैदपुर से लेकर कुठहा तक, ये सब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, क्षतिग्रस्त हैं, इसको आप सात निश्चय के चक्कर में लटकाने के बजाय, आप सरकार में बैठे हैं, आप जनहित की बात करते हैं तो इसको घोषणा करें कि हम मरम्मति करायेंगे। विधायक के द्वारा मरम्मति हेतु सड़क की अनुशंसा लेते थे, वह भी बंद कर दिया गया । अध्यक्ष महोदय, यह जनहित का मामला है, पूरा सड़क जर्जर हैं और मात्र दो महीना का समय हमारे पास है, तीन महीने का समय है, अध्यक्ष महोदय, माननीय जी टालने के बजाय जनहित में काम करें, उस बेल्ट से आते हैं, ये सिर्फ केन्द्र के नाम पर टालने की...

अध्यक्ष : मंत्रीजी ने तो कहा है कि अब उसका जो एजेंसी वाला पीरियड था वह समाप्त हो गया है, अब वह श्रेणी–1 में लेकर इसकी मरम्मति की कार्रवाई करेंगे...

श्री विजय कुमार सिन्हा : कब तक करेंगे ?

अध्यक्ष : इनके ग्रामीण कार्य विभाग के अन्य प्रश्नों के उत्तर में भी सुनते होंगे कि श्रेणी-1 जो है वह सबसे फास्ट ट्रैक है इसलिए श्रेणी-1 में मंत्री जी जब कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको संतुष्ट जो जाना चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : एक समय सीमा तो बतला दें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1582(श्री सुधांशु शेखर)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 1.067 कि.मी. है, पथ पी.एम.जी.एस.वाई कोर नेटवर्क के क्रमांक-5 पर अंकित है । पथ का डी. पी.आर. भारत सरकार को समर्पित है । स्वीकृतोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, एक समय सीमा तय कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1583(श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री: महोदय, यह प्रश्न जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : यह स्थानान्तरित हुआ ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1584(डॉ मेवालाल चौधरी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1585(श्री मदन मोहन तिवारी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : यह ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानान्तरित है ।

अध्यक्ष : यह ग्रामीण कार्य विभाग को स्थानान्तरित है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1586(श्रीमती वर्षा रानी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1587(श्री अशोक कुमार(132))

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि जल संसाधन विभाग के आदेश संख्या-4119 दिनांक- 04.07.2011 द्वारा श्री विनोद कुमार तिवारी का संविदा के आधार पर कनीय अभियंता(याँ0) के पद पर एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए इनकी सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गई ।

इस नियोजन हेतु निर्गत आदेश की कंडिका-2 में यह शर्त्त अंकित है कि " यदि संविदा की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं हो जाता है तो यह नियुक्ति स्वत: समाप्त समझी जायेगी" इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

तदुपरान्त विभागीय पत्रांक-4383 दिनांक 28.06.2012 के माध्यम से विभागीय आदेश संख्या 4119 दिनांक- 04.07.2011 के द्वारा संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं (यॉ0) का अगले एक और वर्ष के लिए पुनर्नियोजन किया गया।

पुनः विभागीय पत्रांक-5208 दिनांक 24.09.2013 द्वारा विभागीय आदेश संख्या-4119 दिनांक-04.07.201 संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (यॉ0) का अगले एक और आतिरक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजित किया गया ।

उपर्युक्त पुनर्नियोजन के बाद विभागीय पत्रांक-4617 दिनांक 16.09.2014 द्वारा संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता(यॉ0) का अगले एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए पुनर्नियोजित किया गया, जिसमें श्री तिवारी का नाम नहीं हैं । अतः यह माना जा रहा है कि इनकी सेवा समाप्त हो गई ।

2- उपर्युक्त कंडिका-1 में यथा वर्णित ।

3- उपर्युक्त कंडिका-1 में यथा वर्णित ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1588(श्री विद्या सागर केशरी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1589(श्री विनय बिहारी)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1590(श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1591(श्री राज किशोर सिंह)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : 1-अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला के प्रखण्ड गरौल के पंचायत पिरोई शमसुद्दीन के ग्राम छितरौली में करहरी पंचायत से शमसुद्दीन के बीच वाया नदी पर निर्मित पुल के दोनों ओर प्राक्कलन में प्रावधान के अनुसार पहुंच पथ में मिट्टी एवं जी.एस.बी. कार्य करा दिया गया हैं एवं आवागमन चालू हैं ।

विभागीय अधिसूचना संख्या 9603/एस. दिनांक 29.11.2016 के द्वारा मुख्यमंत्री सेतु के अन्तर्गत निर्मित पुल जिसका पहुंच पथ सम्पर्क पथ अधूरा है, के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत हैं । उक्त निर्देश के आलोक में पहुंच पथ सम्पर्क पथ के निर्माण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जायेंगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1592(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नागत पुल के दानों तरफ प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क की योजना की पथ निर्मित हैं । क्रमशः

टर्न-05/ज्योति
15-03-2017

क्रमशः

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : प्रश्नगत पुल अनब्रीज्ड गैप में शामिल है जिसका डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है । भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

श्री वीरेन्द्र कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह स्वीकृति कबतक हो जायेगी क्योंकि यह सड़क 30 कि.मी. लम्बी है और जनता को 20 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है । सड़क औचित्यविहीन है, यह कबतक स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी ?

अध्यक्ष : वीरेन्द्र बाबू अभी तो सुधांशु शेखर जी के प्रश्न में यह बात आयी थी कि भारत सरकार के पास अगर भेजा गया है तो भारत सरकार कबतक इसकी स्वीकृति देगी? बिहार सरकार कैसे बता सकती है ?

तारांकित प्रश्न संख्या 1593 (श्री गिरिधारी यादव)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सुईया बोरवा रोड से पुलपरा पैकेज संख्या बी.आर.03-04 के नाम से निर्मित है उक्त पथ की लम्बाई 19.307 कि.मी. है पथ की स्थिति खराब है, उक्त पथ को अनुरक्षण हेतु, पथों की श्रेणी वन की सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है तत्पश्चात् प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर इसका मरम्मती कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री गिरिधारी यादव : अध्यक्ष महोदय, लम्बी सड़क है । कोई समय सीमा निर्धारित कर देते बहुत लम्बी सड़क है । माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है ।

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : श्रेणी वन में ले रहे हैं सर ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1594 (श्री रामसेवक सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिला के फुलवरिया प्रखंड में कंधवलिया मांझा ग्राम के पास खालिसपुर

नहर वितरणी के आर.डी. 9 पर कोई पीपा पुल नहीं है एवं विभाग द्वारा पीपा पुल का निर्माण नहीं किया जाता है । ग्रामीणों द्वारा नहर को पार करने हेतु प्रश्नगत स्थल पर बिजली पोल को रखा गया है । प्रश्नगत स्थल पर नहर एक तरफ कंधवलिया मांझा गांव जाने वाली कच्ची सड़क है एवं दूसरी तरफ पगडंडी होकर भोरे मीरगंज पथ पर जाती है । प्रश्नगत स्थल रुपांकित जल स्राव 281 घनफीट प्रति सेकेंड के उर्ध्व प्रवाह में आर0डी0 6 पर एक पथीय सेतु अवस्थित है जो मांझा गोसाई से मीरगंज भोरे पथ में मिलती है तथा निम्न प्रवाह के आर0डी0 11 पर एक पथीय सेतु है जो कि बड़का गांव कुसौंधी को जोड़ती है । विभागीय मापदंड के अनुसार दो पुलों के बीच की दूरी प्रायः एक मील अर्थात् 5.28 आर0डी0 होना चाहिए । उक्त मापदंड के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर पुल अनुमान्य नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1595 (श्री गुलाब यादव)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि झंझारपुर विधान सभा के बेरमा मुख्य पथ से ब्रह्म स्थान होते हुए बिस्तौल जाने वाले पथ में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 06-07 में दो अदद पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया । प्राक्कलन के प्रावधान के अनुसार पहुंच पथ में ब्रह्म स्थान तरफ 50 मीटर एवं बिस्तौल तरफ 85 मीटर ईट सोलिंग का कार्य किया गया है । विभागीय अधिसूचना संख्या 9603 एस दिनाँक 29.11.16 द्वारा मुख्यमंत्री सेतु के अंतर्गत निर्मित पुल जिसका पहुंच पथ सम्पर्क पथ अधूरा है के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है उक्त निर्देश के आलोक में पहुंच पथ सम्पर्क पथ के निर्माण के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री गुलाब यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण सड़क है कबतक हो जायेगा थोड़ा सा बतला दें कृपया, बहुत बढ़िया हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1596 (श्री निरंजन कुमार मेहता)

श्री तेज प्रताप यादव, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज प्रखंड के तुलसिया पंचायत के अधीन दो राजकीय नलकूप क्रमशः तुलसिया 1 एवं तुलसिया 2 है । तुलसिया- 1 पूर्व से ही चालू है । तुलसिया -दो ट्रांसफौर्मर जले होने के कारण बंद था । अभी इसका ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है।

2- तुलसिया -2 का ट्रांसफार्मर अभी हाल में विद्युत विभाग द्वारा बदल दिया गया है । नलकूप चालू कराया जा रहा है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1597 (श्री राजेन्द्र कुमार)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 3.5 कि0मी0 है जो श्रेणी- दो में सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का मरम्मती कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूँ कि विभाग के लापरवाही की वजह से यह रोड की स्थिति है । लापरवारी की वजह से श्रेणी -1 में नहीं जा सका मेरा अनुरोध है कि श्रेणी-1 में लेकर उसे बनाया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1598(श्री कृष्ण कुमार ऋषि)

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमॉक 148 पर एन.एच. 107 से मखनाहा पथ में सम्मिलित है । उक्त पथ की लम्बाई 3.50 कि.मी. है । प्राथमिकता क्रमानुसार एवं निधि उपलब्धता के आधार पर इसका निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से कई बार प्रश्नों के उत्तर में सुन रहे हैं कि निधि की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : यह तो प्राथमिकता सूची में आ गया है और आप प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : निधि है ही नहीं तो प्राथमिकता में आकर क्या होगा ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कि कबतक सरकार को निधि उपलब्ध हो जायेगी और यह रोड कबतक बन जायेगी ? सरकार जवाब दे कि कबतक हो जायेगा ? सरकार बताये कि नहीं है निधि ? सब प्रश्न में यही हाल है ?

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, निधि की उपलब्धता माननीय सदस्य जानना चाहते हैं बिहार सरकार की बहुत बड़ी राशि केन्द्र में जो पहले से पी.एम.जी.एस.वाय. में 60/40 नहीं था तो जबसे 60/40 हुआ तब से बहुत बड़ी राशि चली गयी तो माननीय मुख्यमंत्री जी राशि की व्यवस्था करते हैं और हमलोग सड़क बना रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय कृष्ण कुमार जी माननीय मंत्री सड़कों को बनाने में आपके सहयोग की भी अपेक्षा कर रहे हैं इसीलिए बार बार यह कह रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1599 (श्रीमती भावना झा)

(प्रश्नकर्ता माननीय सदस्या -अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 1600 (श्री नारायण प्रसाद)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्थिति यह है कि विश्राम गृह के उपस्कर पुराने हैं । छत भी बरसात में चूता है । विश्राम गृह में कर्मी के नहीं रहने के कारण भोजन, आवासन इत्यादि की व्यवस्था नहीं है ।

3- मुख्य अभियंता, सिंचाई, संयत्र जल संसाधन विभाग मोतिहारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विश्राम गृह के मरम्मती सम्पोषण कार्य को वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम में प्रावधान कर कार्य कराकर सुसज्जित किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 1601 (श्री सचींद्र प्रसाद सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, 1-वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय ज्ञापाँक संख्या 4825 दिनाँक 28-08-1971 के द्वारा गंडक नहर प्रणली में पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय मार्गों राज्य मार्गों एवं लोक निर्माण विभाग, जिला परिषद की सड़क आदि जो नहरों को क्रौस करती है पर पुलों की व्यवस्था के संबंध में मापदंड निर्धारित किया गया है । नहर में संरचनाओं पुलों के निर्माण से उसके जल स्राव में बाधा होती है जिससे सिल्टेशन, स्कारविंग की समस्या को ध्यान में रखकर ही नहर में जल प्रवाह के आधार पर दो पुलों के बीच की दूरी निर्धारित की गयी है । वर्तमान में विभाग द्वारा नये पुल पुलिया के निर्माण हेतु निर्धारित मापदंड में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मेरा जो सवाल है 1971 में आपने नियम बनाया है । 1971 और अभी 46 वर्ष बाद, जो पौपुलेशन बढ़ा है, जितनी सड़के बढ़ी हैं तो क्या आपका जो जल स्राव है जो मापदंड आपने तय किया है, पुल आप ही बनाईये, चाहे वह आर.ई.ओ. डिपार्टमेंट का पैसा हो, पथ निर्माण का पैसा हो आपलोग आपस में कोऔर्डिनेशन कर पुल आप ही बनाईये, इसपर जल स्राव कैसे ठीक रहेगा लेकिन आज के पौपुलेशन के दौर में जितनी सड़कें बन गयी हैं, 1971 के नियमानुकूल समाज में जितनी कठिनाई हो रही है आवागमन में तो क्या नियमों में संशोधन कर अन्य विभागों से राय विचार करके आवागमन के लिए जनहित में इसमें संशोधन करना चाहते हैं ?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अभी संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि नदियों के जल प्रवाह में जितनी रुकावट उसमें पैदा की जायेगी वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा और जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो नदी का जल अपनी राह खुद तय करता है, उससे दूसरी कई समस्यायें पैदा होती हैं इसलिए मैंने

कहा और उससे नहरों में सिल्टेशन भी होता है । नदी में भी सिल्टेशन होता है । इसलिए मैंने कहा कि उसपर पुनर्विचार का अभी सरकार के पास कोई विचार नहीं है ।

टर्न–6/15.3.2017/बिपिन

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय...

अध्यक्ष : सचीन्द्र जी, एक चीज आप समझ लीजिए कि आप जिस चीज के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है, सड़कों की संख्या बढ़ गई है तो सरकार या जल संसाधन विभाग जो पुल बनाता है या दूसरे विभाग जो पुल बनाते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो विभाग देता है वह उसके डिस्चार्ज पर । जो जलश्राव मंत्री जी बता रहे हैं कि अगर कैनाल या नहर की जलश्राव क्षमता वही है तो आप उसको कैसे परिवर्त्तित कीजिएगा ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: नहीं महोदय, यह टेक्नोलॉजी का युग...

अध्यक्ष : अगर सड़कों की संख्या बढ़ रही है तो जो विभाग या जल संसाधन विभाग सड़क बनाएगा उसका पैमाना जलश्राव होता है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय आधुनिक युग में नहरों ....

अध्यक्ष : सचीन्द्र जी, उसमें तो कोई परिवर्त्तन तब न आएगा जब जलश्राव बढ़ेगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: महोदय, वह बात मैं बता रहा हूं । आज आप नहरों में पानी निकालने के लिए नहरों का लाइनिंग करा रहे हैं । आप नहर के बीच के पेटी को बाजाव्जा ढलाई करा रहे हैं । उसके बाहर वह पुल जाता है । उससे जलश्राव डिस्टर्ब होने का कहां सवाल है अगर कोई पुल बनाते हैं ? आपने कई नहरों में लाइनिंग का कार्य कराया है और उसके बाद उसपर पुल बनाया है, उस लाइनिंग के बाद, लेकिन आज के दिन में कई ऐसी सड़कें हैं जब पहले से पुल आपका पेंडिंग है या दूसरे विभाग ने भी जो आपको पुल बनाने का आग्रह किया है कि आप हमको एन.ओ.सी. दीजिए, आपका उस जलश्राव डिस्टर्ब होने का कोई मायने नहीं है ।

दूसरा, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया, एक से एक इंजीनियर्स आ रहे हैं और जनता को सुविधा देना हैं ...

अध्यक्ष : दूसरे विभाग ने एन.ओ.सी. मांगा है इसको आप कहां कह रहे हैं ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: यह भी कह रहे हैं हम ।

अध्यक्ष : कहां कह रहे हैं ?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: प्रश्न में नहीं कह रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री...

अध्यक्ष : वही तो हम कह रहे हैं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः लेकिन माननीय मंत्री जी से सदन के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि जो पुल बनाना है, आप नए टेक्नोलॉजी में इस पर विचार करिए कि कैसे इसका..

अध्यक्ष : ठीक है । तारांकित प्रश्न सं0-1602

तारांकित प्रश्न सं0 1602 (श्री सदानन्द सिंह)

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्रीः आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

भागलपुर जिला अन्तर्गत सन्हौला प्रखंड के मदारगंज पंचायत के ग्राम अदलपुर एवं पंचायत भुड़िया महियामा अन्तर्गत भुड़िया में अवस्थित नलकूप जी. डी. सेट से संचालित था परन्तु डीजल की अत्यधिक खपत तथा अन्य खराबी के कारण यह नलकूप संयुक्त दोष से बंद हो गया है । नाबार्ड से दस का कोई नलकूप नहीं लगाया गया है । पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा ऊर्जान्वित कर देने के पश्चात् निधि उपलब्धता के आधार पर इन्हें चालू कराने की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सदानन्द सिंहः अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, वर्षों से, 2004 से वह नलकूप बनी पड़ी है, सिंचाई हो नहीं रही है । क्या सरकार कोई समय सीमा के अंदर उस नाबार्ड से बने नलकूपों से, दो नलकूपों की बात मैं कर रहा हूं, उससे सिंचाई उपलब्ध कराने का विचार रखती है क्या सरकार और कब तक ?

श्री तेज प्रताप यादव,मंत्री : समीक्षा करके इसको कार्रवाई कर दी जाएगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0 1603 (श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री कपिलदेव कामत,मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सात निश्चय योजना के अन्तर्गत ''हर घर नल का जल'' योजना का प्रारंभ 27 सितम्बर, 2016 को हुआ है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में यह योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तथा वैसे सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहां के पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक और लौह संबंधी अशुद्धियां पाई जाती है या पूर्व से ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना ने विश्व बैंक परियोजना की सम्पोषित योजना पाइप जलापूर्त्ति आच्छादित कर पाइप द्वारा पेयजल आपूर्त्ति की जा रही है । योजनाओं का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, इस योजना का क्रियान्वयन तीन विभागों, यथा- पंचायती राज विभाग बिहार, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार द्वारा किया जा रहा है । पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक चार वर्षों में बिहार राज्य में पूर्ण आच्छादन हेतु 83 अरब 73 करोड़ 54 लाख रूपए का अनुमानित व्यय है । ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज

विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है । इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण आबादी को पाइप द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो भी जवाब दिया है, यह मेरे प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं भी जानना चाहूंगा और सभी माननीय सदस्य भी जानना चाहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, 27 सितम्बर को यह योजना शुरू हो गई । 47हजार करोड़ रूपया इसके लिए सरकार ने बजट प्रावधान किया । 15 दिन अब इस वित्तीय वर्ष में बचा हुआ है । माननीय मंत्री जी यह बताएं कि बिहार सरकार द्वारा कितने घरों को नल से घर को जोड़ा गया है, जल दिया गया है और अभी तक कहीं, यह महोदय, प्रारंभ नहीं हुआ है । 15 दिन बचा हुआ है इस वित्तीय वर्ष का । तो माननीय मंत्री जी यह प्रावधान के बजाय यह बताएं कि सरकार ने ''हर घर नल से जल'' को कितने घरों तक पहुंचाया है, कितनी आबादी को पानी मिल रही है और महोदय, 31 मार्च तक कितने घर को और देने वाले हैं ?

श्री कपिलदेव कामत,मंत्री: महोदय, मुख्यमंत्री निश्चय योजना ''हर घर नल का जल'' महत्वपूर्ण निश्चय योजना है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना को प्रारंभ की गई है । यह पहला वर्ष है । पंचायत में चुनाव के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्ड विकास समिति का चुनाव में वक्त लगा है । सभी पंचायतों को राशि उपलब्ध करा दी गई है और 2020 तक राज्य के सभी परिवारों को ''हर घर नल का जल'' उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पूरक प्रश्न है । महोदय, यह गरीबों से जुड़ा मामला है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारी: मैं पूरक ही पूछ रहा हूं । एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने चापाकल बंद कर दिया। हर घर नल योजना शुरू कर दिया ...

अध्यक्ष : यही पूरक प्रश्न है ?

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं पर आ रहा हूं । मैं मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि जो बजट प्रावधान है, सरकार अपनी समस्या का उल्लेख कर रही है । सरकार उपलब्धि नहीं बता रही है । मैं सीधा जानना चाहता हूं कि 15 दिन बचा हुआ है । इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितने घरों तक यह योजना पहुंचाई है, कितना पैसा खर्च हुआ है और कितने घरों को पहुंचाने की योजना है ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सात निश्चय के तहत ''हर घर को नल का जल'' देने का योजना बनाया महोदय । साढ़े पांच महीने बीत गए हैं महोदय । जो बजट में प्रावधान था, माननीय सदस्य तिवारी जी ने पूछा है कि चालू वित्तीय वर्ष के

साढ़े पांच महीने में जो राशि का प्रबंध किया गया था, कितने गांवों को, क्या लक्ष्य था, कितना पहुंचाया गया, कितना व्यय किया गया, वह स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष : वही पूरक आपका भी है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ पूरक पूछ रहे हैं । 2016-17 में 1,12,000 वार्ड हैं पूरे बिहार में और सरकार का लक्ष्य था कि 2016-17 में हम 20 प्रतिशत् वार्डों में काम चालु करेंगे अर्थात् लगभग 22-23 हजार वार्डों में, मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा करता हूं कि 22 हजार वार्डों में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 22हजार वार्डों का जो लक्ष्य था 2016-17 में कार्य प्रारभ्भ करने का, अभी तक कितने वार्डों में सरकार ने काम चालू किया है, स्पष्ट उत्तर दें और महोदय, घुमाएं-फिराएं नहीं मंत्री जी ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए ।

श्री नन्द किशोर यादव:महोदय, जो प्रश्न है, उसी आधार पर सरकार को जनादेश मिला है और इसलिए इस प्रश्न की अहमियत बढ़ जाती है । आपको ध्यान में होगा महोदय, जब इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर कर रहे थे और जो किताब बांटी गई थी, कागज बांटे गए थे, उसमें हर वर्ष के लिए उपलब्धि तय की गई थी । महोदय, तय किया गया था कि प्रथम वर्ष में 10परसेंट काम करेंगे, दूसरे वित्तीय वर्ष में 15परसेंट काम करेंगे और उसके बाद के वर्षों में 25-30 परसेंट करके 100 परसेंट पूरा करेंगे ।

महोदय, जब पहले साल में जो न्यूनतम लक्ष्य था 10 परसेंट का और उसमें भी वहां लक्ष्य था कि जहां-जहां आर्सेनिक वगैरह पाए जाते हैं, जहां दूषित पानी मिलता है वहां काम करेंगे । क्रमश: ...

टर्न : 07/कृष्ण/15.03.2017

श्री नन्द किशोर यादव : (क्रमश:) अगर प्रथम वित्तीय वर्ष में ही इस बड़े निश्चय की घोषणा, जिसके आधार पर जनादेश मिला है ...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : सरकार ने उस में कितना काम किया है, कितना रूपया खर्च किया है, यह स्पष्ट चाहिए । माननीय मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं । जो लिखकर लाये हैं, उसको दोबारा पढ़ रहे हैं । मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी, यह आपका निश्चय है, आपने कहा है कि इस निश्चय पर सरकार चलेगी । महोदय, जब पहले निश्चय की हवा निकल रही है तो वर्तमान स्थिति क्या है, कितना काम हुआ है, कितना रूपया खर्च हुआ है ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसे स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष : अभी आप सबलोगों ने पूरक पूछा है । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि यह पहला वर्ष है । इसमें वार्ड विकास समिति से लेकर अन्य सारी

औपचारिकताओं को पंचायत के हर वार्ड तक प्रक्रियायें पूरी करनी थी, उसमें थोड़ा वक्त लगा है, जिसके कारण विलंब हुआ है । अब सभी पंचायतों तक निधि उपलब्ध करा दी गयी है । मंत्री जी ने तो सारा कुछ बता दिया ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, सात निश्चय धोखा है न । नहीं हुआ है इस वित्तीय वर्ष में...

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर एक साथ बोलने लगे)

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सभा पटल पर रख दिये जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 मार्च, 2017 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :-

श्री तार किशोर प्रसाद, श्री विजय कुमार खेमका, श्री राणा रणधीर, श्री संजय सरावगी, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री विजय कुमार सिन्हा ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मदतान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172 (iii) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्य काल ।

(व्यवधान)

आप ही के माननीय सदस्यों का शून्यकाल है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला में 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह से बिजली विभाग में मिलने गये थे । टिलहरी गांव में ट्रांस्फार्मर जल गया था । मिलने जब गये तो कार्यपालक अभियंता शराब के नशे में धुत थे ।

अध्यक्ष : उसको पकड़वा नहीं दिये ? शराब पीनेवाले पर तो सरकार तुरंत कार्रवाई करती है ।

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय, प्रशासन को पूरी खबर दी गयी । हमारे कार्यकर्त्ताओं से बात करने के बजाय उनके ऊपर हमला किया गया । जिला अध्यक्ष का हाथ तोड़ दिया गया और हमारे आदित्य चौधरी, अतिपिछड़ा मंच के अध्यक्ष हैं, उन पर हमला किया गया ।

(व्यवधान)

हमारे अध्यक्ष का माथा फोड़ दिया गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शून्यकाल । श्री समीर कुमार महासेठ ।

शून्यकाल

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर के सबसे बड़े व्यवसायिक प्रांगण के सब्जी बाजार में निर्मित अनुपयोगी भवन बने रहने के कारण सब्जी विक्रताओं को गंदे नालों के किनारे व्यवसाय करना पड़ रहा है ।

अत: उक्त अनुपयोगी भवन को तोड़कर वेन्डिंग जोन बनाने की मांग करता हूं ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत पालीगंज थाना के बाबा बोरिंग रोड स्थित रामनाथ चन्द्रवंशी (सरपंच) को झारखंड पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी ।

अत: सरकार से मांग करते हैं कि संलिप्त पुलिस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करते हुए आश्रित को 5 लाख रूपया एवं सरकारी नौकरी मुहैया करावे ।

(इस अवसर पर भाजपा के सभी माननीय सदस्यगण वेल में आकर बोलने लगे)

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत सूर्य महोत्सव के संबंध में दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर 05.12.2017 के ''अश्लील गानों से शर्मशार हुई देव सूर्यनगरी'' से औरंगाबाद के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर एवं सूर्य महोत्सव की गरिमा को तार-तार करने का प्रयास किया गया ।

अत: आप से आग्रह है कि घटना के विडियो की जांच कराकर आखिर कौन लोग दोषी हैं और किस की अनुमति से अश्लील गाने एवं भौंडे डांस परोसे गये ? भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, सुनिश्चित किया जाय ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड के राजेपुर थाना से 15 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम बाला कोठी जो मुजफ्फरपुर सीमा पर अवस्थित है, यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है ।

अतएव जनहित में सरकार ग्राम बाला कोठी में ओ0पी0 पुलिस चौकी स्थापित कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करे ।

अध्यक्ष : श्री संजय सरावगी ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री विनोद कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड के अधूरे सिंचाई परियोजना सोनदाहा जलाशय का कार्य वर्षों से बंद है ।

कार्य पूर्ण कराने में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग करता हूं ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखड के रेपूरा से गैणी तक के सड़क का हालत काफी जर्जर है, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ।

इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नाधीन सड़क को तत्काल बनाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री तारकिशोर प्रसाद ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री राणा रणधीर ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत गुठनी प्रखंड के ग्राम गुठनी निवासी बड़े लाल चौहान उम्र 50 वर्ष का सड़क दुर्घटना में दिनांक 06.03.2017 को मृत्यु हो गयी। मृतक के परिजनों को अनुग्रह अनुदान नहीं मिला है ।

मैं सरकार से पीड़ित परिजनों को अनुग्रह अनुदान चार लाख की राशि देने की मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार तिवारी : अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च, 2017 को छात्र नेता रामजी सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह और हीरामन पासवान को बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता सुरेन्द्र यादव ने 5.30 बजे अप. में मार-पीट किया । अगले दिन भाजपाई नेता और समर्थक धरने पर बैठ गये और बिजली विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे । मैं सरकार से दोषी कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई एवं मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग करता हूं ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला सहित बिहार के कई हिस्से में दिनांक 10.03.17 को भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है ।

सरकार से किसानों के फसल क्षति एवं बीमा राशि शीघ्र मुहैया कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री जीवेश कुमार ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

श्री विजय कुमार सिन्हा ।

(शून्यकाल नहीं पढ़ा गया)

(व्यवधान जारी)

ध्यानाकर्षण–सूचना

सर्वश्री अभय कुमार सिन्हा, श्री सिद्धार्थ एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य में प्राथमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विद्यालयों को राशि दी गई थी । पुराने प्राक्कलन पर निर्माण की जिम्मेदारी वाले शिक्षकों के स्थानान्तरण से भवन निर्माण का कार्य अधूरा रह गया ।

अतः राज्य के सभी अधूरे प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के भवनों का सर्वे कराकर इनका निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का आरंभ सन् 2000–2001 में किया गया था। बिहार में इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को दी गयी । बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत असैनिक निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन भी प्रारंभ कराया गया । सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत असैनिक निर्माण कार्य सामुदायिक सहभागिता से प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय हेतु गठित विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाता है । विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को तकनीक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् में एक अभियंत्रण कोषांग गठित है । परन्तु प्रारंभ के वर्षो में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के असैनिक निर्माण कार्य संभाग में अभियंताओं की कमी के कारण जिलों में कार्यरत सरकारी विभागों के अभियंताओं की सेवायें ली गयी थी । प्रारंभ के वर्षो में अभियंताओं की कमी एवं कतिपय विद्यालयों के विद्यालय शिक्षा समिति में विवाद एवं स्थानीय मुद्दों के कारण कुछ असैनिक योजनाओं के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलंब हुआ है । साथ ही कतिपय विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के सेवा निवृत्ति, मृत्यु, निलंबन एवं स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित विद्यालयों में संचालित असैनिक निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है ।

क्रमश :

टर्न–8/राजेश/15.3.17

(व्यवधान जारी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री, क्रमशः वर्तमान में 90.5 प्रतिशत योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है एवं मात्र 9.5 प्रतिशत ही योजनाएँ निर्माणाधीन है । निर्माण मद में मजदूरों के मजदूरी दर में भारी वृद्वि के कारण कुछ निर्माणाधीन योजनाएँ अधूरी रह गयी हैं । ऐसी योजनाओं को

पूर्ण करने के लिए स्वीकृत ईकाई लागत के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजनाएँ हेतु ईकाई दर के आधार पर राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है लेकिन स्वीकृत प्राक्कलन में पुनर्रीक्षण का प्रावधान प्रायः नहीं है और न ही भारत सरकार के स्तर से ऐसे निर्माणाधीन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अलग से राशि की स्वीकृति दी जाती है । ऐसी परिस्थिति में अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु आवश्यकता का आक्कलन कर वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार के स्तर से उपलब्ध संसाधनों के अधीन राशि का प्रबंध करके विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री अभय कुमार सिन्हाः धन्यवाद सर ।

सर्वश्री महबूब आलम, मो0 आफाक आलम एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, ''सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के भूमिहीन मेहनतकश गरीबों तथा विधवाओं को वृद्वा पेंशन या विधवा पेंशन का लाभ इसलिए नहीं मिलता है, क्योंकि उनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है । जिन गरीबों का नाम सर्वेक्षण की गलती से ए0पी0एल0 की सूची में है, वे भी उक्त लाभ से वंचित हैं ।

अतः पुनः सर्वेक्षण कराकर गरीबों को वृद्वा पेंशन/विधवा पेंशन दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के अर्न्तगत तैयार की गयी पारिवारिक सूची के आधार पर किया जा रहा है । ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त कई अन्य सरकारी विभागों यथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उर्जा विभाग द्वारा भी इसी सर्वेक्षण सूची के आधार पर लाभुकों का चयन किया जा रहा है । बी0पी0एल0 सूची में अब कोई अद्यतिकरण नहीं किया जा रहा है ।

श्री महबूब आलमः महोदय, ये हजारों की संख्या में गॉव के गरीब लोगों को जो 60 साल से उपर के हो गये, जो खेत मजदूर था, उनको पेंशन नहीं मिलता है महोदय, यह बहुत ही रुह को कॅपा देने वाली घटना है महोदय । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि ऐसे वंचित लोगों को वृद्वावस्था पेंशन/विधवा पेंशन का लाभ देने की व्यवस्था किया जाय ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर सवाल को उठाया है । वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है । सूची में छूटे हुए परिवार को ई0पी0सी0सी0 में जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार से दिशा निदेश की मांग की गयी है लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार से कोई दिशा निदेश प्राप्त नहीं हुआ है । दिशा निदेश प्राप्त होते ही ई0पी0सी0सी0 में छूटे हुए परिवारों को शामिल करने की कार्रवाई की जायगी ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: महोदय .....

अध्यक्ष: आप अपने माननीय सदस्यों को जगह पर तो बुला लीजिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

श्री महबूब आलम: महोदय, उनको देखा जाय, अगर उनको दो डिसमिल जमीन नहीं है, महोदय, सर्वेक्षण में नाम रहे या ना रहे, उनको वृद्वा पेंशन/विधवा पेंशन देने की व्यवस्था राज्य सरकार करें ।

अध्यक्ष: माननीय महबूब जी, आपने ठीक से उत्तर सुना होगा कि सरकार ने आपकी राय से इत्तफाक जाहिर किया है । उसने कहा है कि बी0पी0एल0 सूची में सुधार के लिए बिहार सरकार केन्द्र सरकार से पत्राचार कर रही है, उस दिशा में पहल कर रही है, आपकी राय से तो सरकार इत्तफाक रखती है ।

श्री महबूब आलम: महोदय, हमारा कहना है कि बी0पी0एल0 सूची का निर्माण किसने किया ? बी0पी0एल0 सूची में गलती से 85 वर्ष के वृद्व को, 85 वर्ष की विधवा को जो लाभ नही मिलता है महोदय, आप जांच कराकर देखिये न थाना से, अभी हम देते हैं आपको नाम, आप ऑनलाईन जांच कराकर देखिये, अगर वह गरीब है और वह वृद्व है, अगर वह वंचित है, उसे वास-आवास की जमीन नही है, उसको व्यवस्था कर दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य महबूब जी, सरकार जब उस सूची में संशोधन की आवश्यकता समझ रही है, उसके लिए पत्राचार कर रही है, तो स्वाभाविक रुप से वो उसमें सुधार चाहती है, कुछ लोग छूटे होंगे, तभी तो सरकार पत्राचार कर रही है ? अब नेता प्रतिपक्ष ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राणा प्रताप जी, अति पिछड़ा मंच शताब्दी था महोदय, चार कार्यकर्ता हमारे बक्सर के कार्यपालक अभियंता, विद्युत से मिलने गये, चिलहरी गॉव में महोदय ट्रान्सफर्मर जला हुआ था, तो जब मिलने गये, तो मिलने के दौर में महोदय देखा गया कि कार्यपालक अभियंता सहित वहॉ पर सारे लोग शराब के नशे में दूत थे..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य सत्यदेव जी,इनको सुनिये क्योंकि ये आसन की इजाजत से बोल रहे हैं ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, और जब लोगों ने आग्रह किया कि ट्रान्सफर्मर जला हुआ है, उसको बदलने जाय, तो संबंधित बक्सर के कार्यपालक अभियंता, विद्युत शराब के नशे में दूत थे और वहॉ पर जो हमारे कार्यकर्ता लोग मिलने गये तो उनपर जानलेवा हमला किया गया, उसमें हमारे राणा प्रताप जी, जो जिलाध्यक्ष है, उनका हाथ टूट गया, जो पी0एम0सी0एच0 में भर्ती हुए, आदित्य चौधरी का माथा इन्ज्योरी है और दो लोगों का फ्रैक्चर हुआ पैर महोदय, इतनी बड़ी घटना घटी, हमलोगों ने एफ0आई0आर0 भी किया है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है । हमारा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जो जान लेवा हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, तो ऐसे कार्यपालक अभियंता जो सरकार की नीति के खिलाफ शराब कार्यालय में पी रहे थे, तो उनकी बर्खास्तगी अभी तक नहीं हुई है, न उनको गिरफ्तारी हुई है, तो हम मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी एवं बर्खास्तगी अविलंब हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः ठीक है । सरकार इसको संज्ञान में लेगी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः महोदय, नेता प्रतिपक्ष एक बार में एक सवाल को उठाये, तब तो सरकार कुछ देखेगी लेकिन ये तो हर समय एक ही सवाल को पॉच बार उठायेंगे, तो सरकार कैसे देखेगी महोदय ?

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-9/सत्येन्द्र/15-3-17

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	59 मिनट
जनता दल(यू0)	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	02 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री,सहकारिता विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा,उसकी पूर्त्ति के लिए 7,50,45,05,000/-(सात अरब पचास करोड़ पैंतालीस लाख पांच हजार)रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा,श्री संजय सरावगी,श्री तारकिशोर प्रसाद,श्री अशोक कुमार सिंह,श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय, राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये ।''

महोदय,बिहार कृषि प्रधान राज्य है । यहां की अधिकतर आबादी महोदय हम जानते हैं कि कृषि पर और उससे संबंधित कार्यों से अपना जीविकोपार्जन करती है । हमारे यहां कृषि विकास के लिए सहकारिता विभाग की प्रमुख भुमिका है परन्तु महोदय, सहकारिता विभाग कृषि ऋण देने में और फसल बीमा में अपने लक्ष्य से काफी पीछे है । महोदय, बिहार धान उपज का राज्य है परन्तु महोदय,धान उपज के क्रय में धान के खरीद में भी यह अन्य कई राज्यों से काफी पीछे है । महोदय,यही नहीं सरकार द्वारा पैक्सों के चावल और बोरे की कीमत में कटौती से पैक्स द्वारा धान का क्रय मुश्किल हो रहा है । महोदय, धान सुखने के लिए ड्राई मशीन लगाने में भी बिहार सरकार फिसड्डी है । यहीं नहीं पद रिक्त होने के बावजूद ऑडिटर की बहाली नहीं हो पायी है जिसके कारण ऑडिट का काम ठप्प है । ऑडिटर नहीं होने से इसका असर ऑडिट के गुणवत्ता पर पड़ता है परन्तु सरकार उदासीन है । अत: यह आवश्यक है कि इस पर कटौती प्रस्ताव लाया जाय और सरकार को इस नाते ध्यान आकृष्ट किया जाय । हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको गम्भीरता से लेगी और बजट में इन बातों को समावेश करेगी । आपने समय दिया महोदय इसके लिए धन्यवाद ।

श्री प्रह्लाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता विभाग बिहार का जब विभाजन हो गया तो उसके बाद यहां सिर्फ खेती ही रह गयी तो निश्चित रूप से जो सहकारिता विभाग के द्वारा यह मांग लाया गया है उसका समर्थन करते हैं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ । चूंकि माननीय विपक्ष को सोचना चाहिए कि यह बिहार जो है कृषि प्रधान प्रदेश है यहां कृषि पर आधारित सारा कार्यक्रम चलता है तो निश्चित रूप से इनको 10 रू0 कटौती न कर के बल्कि और 10 रू0 से ज्यादा बढ़ाने के लिए ये मांग करते लेकिन यह दूर्भाग्य है चूंकि सहकारिता विभाग वर्त्तमान में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यह हर पहलु को, समाज के हर पहलु को टच करता है और हर पहलु से इसका लगाव हो गया है यह किसी से अछूता नहीं है । अभी के समय में सहकारिता विभाग आर्थिक मामले में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है तो निश्चित रूप से विभागीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष 16-17 में 6 अरब, 74 करोड़ से कुछ ज्यादा बजट आया था सहकारिता विभाग में और इस बार ही साहसिक कदम उठाये 7 अरब 50 करोड़ से अधिक इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है तो निश्चित रूप से जैसे जैसे इसकी जरूरत होती है उस हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय इसकी बढ़ोत्तरी होती है । हम समझते हैं कि बापू ने एक बार इसी सहकारिता के संबंध में बताया था कि सहकारिता एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अंतिम आदमी तक पहुंच सकते हैं । यह बड़ा मार्मिक ये पंक्ति है तो निश्चित रूप से सहकारिता के माध्यम

से हम आज कृषि को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं । आज धान अधिप्राप्ति की बात है पिछले साल के अपेक्षा इस साल सहकारिता विभाग ने इतना दुरूस्त व्यवस्था किया कि जो किसान को अपना जमीन नहीं था उस किसान के लिए भी प्रावधान किया गया । जो बटाईदारी करता है, उसको धान बचेने की जरूरत है तो निश्चित रूप से उसके लिए व्यवस्था हो, व्यवस्था ऑनलाईन की गयी और इस बार धान का जो बिक्री हुआ है उसमें किसान को बड़ा ही सहुलियत मिला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है ऑनलाईन रजिष्ट्रेशन करवाया गया चूंकि विपक्ष हमेशा निगेटिव सोच रखता है तो वह दूसरी बात है लेकिन इस बार किसान का जो धान था वह समय पर जो कटैगिरी था उस मापदंड के तहत उस हिसाब से सहकारिता विभाग के द्वारा लेने का काम किया गया इसमें दो मत नहीं है निश्चित रूप से जहां तक फसल बीमा की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा यह प्रावधान तो नया है पहले का तो राष्ट्रीय कृषि बीमा है उसके बाद मौसम आधारित बीमा है, एक है सम्पोषित आधारित बीमा है तो निश्चित रूप से ये सारे बीमा जो है वह किसान के लिए है । (क्रमशः)

टर्न–10/मधुप/15.03.2017

श्री प्रह्लाद यादव : ..क्रमशः... यह सारे बीमा की गारंटी सरकार लेती है । किसान सहकारिता के माध्यम से अपने फसल की बीमा कराते हैं, निश्चित रूप से कभी बाढ़ होता है, कभी ओला पड़ता है, कभी सुखाड़ हो जाता है, निश्चित रूप से उसका जो फसल बरबादी होता है तो उस अनुसार उसको मुआवजा मिला है ।

इतना ही नहीं महोदय, सहकारिता विभाग के द्वारा जो छोटे–छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो कम भूमि आबाद करते हैं, वैसे किसानों के लिये सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से उसको शॉर्ट–टर्म लोन देने का काम करती है समय पर, लेकिन नोटबंदी के चलते इस बार बड़ी परेशानी हुई, सबको मालूम है । बहुत ज्यादा परेशानी हुई चूंकि समय पर उन्हें खाद–बीज के लिये बहुत ज्यादा दिक्कत करना पड़ा । निश्चित रूप से सहकारिता विभाग के माध्यम से सरकार का एक आर्थिक रूप से ऐतिहासिक यह कदम है, सरकार की यह उपलब्धि है ।

इतना ही नहीं, अब तो सरकार आगे की योजना बना रही है । आगे की योजना यह है कि इस बजट में प्रावधान किया गया है कि कोल्ड स्टोरेज – जो पहले प्रावधान नहीं था, भंडारण तो सरकार कर रही है पैक्स के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से, चूंकि जब उत्पादन ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उसको रखने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये । तो कहने का मतलब कि सरकार कहीं कमी नहीं कर रही है । अपने सीमित संसाधन में सरकार बहुत तेजी से सहकारिता विभाग में आगे बढ़ रही है ।

निश्चित रूप से इसमें केन्द्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिये चूंकि जिस समय बँटवारा हुआ था 2000 में, इसी सदन में हम भी थे और एकमत से यही एक आवाज हुआ था कि ठीक है हमारे पास जो उद्योग-धंधा है, जो सोर्स है, वह सोर्स तो हमारे पास नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास बालू और खेती, दो ही चीज रहेगा । निश्चित रूप से इसकी भरपाई के लिये विशेष पैकेज या स्पेशल राज्य का दर्जा, इस चीज की उस समय व्यवस्था हुई थी और एक लाईन में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि ठीक है बिहार से झारखंड को अलग किया जाय लेकिन वह पैकेज क्या हुआ, विशेष राज्य के दर्जा का क्या हुआ ? जिस समय लोक सभा का चुनाव हो रहा था, उस समय यह बात भी आई थी केन्द्र सरकार की ओर से कि ठीक है, समय पर हम इसपर विचार करेंगे, इस तरह की बात आई थी, आज सब भूल गये ?

महोदय, आज जो बिहार की स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने सीमित संसाधन से बिहार का बखूबी ढ़ंग से विकास करने का काम कर रहे हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है । अगर उनकी जगह पर दूसरा आदमी रहता तो वह कंफ्यूज कर जाते कि हमलोगों को संसाधन कहाँ से आयेगा लेकिन अपने बलवूते पर, अपने दम पर, जो केन्द्र सरकार को हमें लाभांश देना था, वह कहाँ दे रही है ? नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही है । यह सौतेलापन व्यवहार एक राज्य के लिये हित की बात नहीं है । लेकन फिर भी निश्चित रूप से सहकारिता विभाग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हमलोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रोग्रेस कर रही है ।

महिलाओं को 50 प्रतिशत सहकारिता विभाग में हिस्सेदारी मिली है, कमजोर वर्ग को इसमें हिस्सेदारी मिला है, पैक्स के माध्यम से लोकतांत्रिक ढ़ंग से इसका चुनाव कराया जाता है और इसको मजबूती देने के लिये सरकार कटिबद्ध है और कर भी रही है । इसमें दो मत नहीं है । महिलाओं को सम्पोषित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार मदद करने के लिये हमेशा तत्पर है और प्रावधान भी किया गया है । ऐसी बात नहीं है कि प्रावधान नहीं किया गया है । तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं, वह करते हैं लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब अपनी बात उसी हिसाब से कहें क्योंकि आपके पास 3-4 मिनट का समय बच रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : हमारी पार्टी का जो समय है उसमें से इनके समय में 5 मिनट और बढ़ोतरी कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, निश्चित रूप से यह जो सहकारिता विभाग है, उसमें पैक्स है, केन्द्रीय सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है, ये तीनों का समन्वय है और तीनों के समन्वय में केन्द्रीय जो सहकारी बैंक, पैक्स और राज्य सहकारी बैंक दोनों के बीच वह एक सेतु का काम करते हैं और राज्य गारंटी लेती है नाबार्ड से और अन्य जगह से, पैसा मिलता है, लोन मिलता है उसको किसानों के बीच जरूरत के हिसाब से देने का काम वह करता है, तो निश्चित रूप से सहकारिता विभाग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है । मत्स्य सहयोग समिति है, महिला विकास समिति है, दुग्ध उत्पादन समिति है, इस तरह से कई एक समितियॉं इनका ब्रांच है जिसके माध्यम से सहकारिता को बल मिलता है और सहकारिता के द्वारा इन लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया करायी जाती है । हम तो विभागीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम कभी सोच रहे थे, जैसे सब्जी वाला है, सब्जी वाला को क्या होता है कि सब्जी पैदा करता है, सब्जी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, कम ही समय में वह सड़ जाता है लेकिन सहकारिता विभाग ने इसके लिये भी व्यवस्था किया है, सब्जी उत्पादक सहयोग समिति । हम धन्यवाद देना चाहते हैं, यह नया इस तरह का जो प्रावधान किये हैं, कोल्ड स्टोरेज - जो पहले नहीं था लेकिन इस बार से प्रावधान किया गया है चूंकि कोल्ड स्टोरेज रहने से जो किसान अभी पैदा करता है, व्यवस्था नहीं रहने के कारण औने-पौने भाव में अपना उत्पाद बेच देता है, अगर यह व्यवस्था हो गई तो निश्चित रूप से वह औने-पौने भाव नहीं बेचेगा, जो बिकेगा सो बिकेगा । सहकारिता विभाग के माध्यम से उसका बाजार भी सरकार तैयार कर रही है ।

(इस अवसर पर सभापति,श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

सहकारिता विभाग द्वारा नया स्कीम एक चालू किया गया है जो कि हमने इस किताब में पढ़ा है, इस बार जो प्रावधान किया गया है, बहुत अच्छा स्कीम है, कोल्ड स्टोरेज है, बटेर पालन - एक नया स्कीम शुरू किया गया है, खंडसारी उद्योग - यह भी एक नया शुरू किया गया है, रेशम और हस्तकरघा - यह भी नया शुरूआत किया गया। तो इस तरह से समाज के जितने भी दबे-कुचले व्यक्ति हैं, समाज के हर तबके के लोगों को कहॉं किसको फायदा दिया जाय, इसके लिये सहकारिता विभाग कटिबद्ध है। एक मोडल सहकार भवन - यह भवन इसलिये लांच किया गया है, यह भवन बड़ा ही इम्पौर्टेंट है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, हमलोगों की पार्टी का बहुत समय है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : 15 मिनट का समय है ।

श्री प्रह्लाद यादव : 15 मिनट ही नहीं है, देखिये न कितना समय है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ये जितना बोलना चाहें, इनको बोलने दिया जाय, हमारी पार्टी का जो समय आवंटित है उसमें से दिया जाय, इसके बाद जितना समय बचेगा उसमें हमारी पार्टी की ओर से अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री प्रह्लाद यादव : सभापति महोदय, निश्चित रूप से सहकारिता विभाग का एक ऐतिहासिक कदम है और इस सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है चूंकि हर पहलू को सहकारिता विभाग ने टच करने का काम किया है, छूने का काम किया है ।

...क्रमशः...

टर्न–11/आजाद/15.03.2017

..... क्रमशः .....

श्री प्रह्लाद यादव : तो निश्चित रूप से सरकार भवन, वह किस लिए है और उसका उद्देश्य क्या है, इसमें सहकारिता विभाग का प्रशासनिक कार्यालय होगा, अंकेक्षण कार्यालय होगा और इसके साथ राज्य सहकारी बैंक होगा । इन तीनों का हर जिला में इसका समन्वय होगा और इस समन्वय के माध्यम से जो पैक्स है, इससे समन्वय करके कहां क्या जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए यह जो तीनों विभाग है, वह निश्चित रूप से काम करेगी । एक इसमें और लौंच किया गया है माननीय मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन राशि, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है चूँकि वैसे पैक्स जो सभी मानक पर खड़े उतरते हैं, जो उसका कार्यकलाप है, उसका जो मानक है, जो शर्त्त है, सारी चीजों को पूरा करेंगे तो उसको प्रोत्साहित किया जायेगा तो यह कोई मामूली चीज नहीं हो रहा है । इसलिए सहकारिता विभाग का जहां तक हमलोग देखें हैं, निश्चित रूप से यह एक अच्छा काम है, यह आर्थिक दृष्टिकोण से और पंचायती राज में आर्थिक समृद्धि के लिये बहुत अच्छा साधन है । चूँकि इसमें एक मुर्गी पालन के लिए भी है, बकरी पालन के लिये भी व्यवस्था की गई है तो निश्चित रूप से मुर्गी पालन, बकरी पालन यह तो बिल्कुल गरीब, निरीह लोगों के लिए है तो सरकार ने इसको बड़ा ही गंभीरता के साथ अच्छे ढंग से तैयार किया है। इन सारे चीजों को देखने से ऐसा पता लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम तो कहेंगे सोशल इंजीनियरिंग का गुरू हैं । एक तो तकनीकी गुरू होते हैं लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग में गुरू इसलिये है कि वे इस तरह का सहकारिता विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें किसी भी चीज को नहीं छोड़ा गया है । हर पहलू को इसमें ध्यान रखा गया है और हर पहलू के माध्यम से कैसे प्रदेश में पंचायत के अन्दर, पैक्स के अन्दर, व्यापार मंडल के अन्दर कैसे लोगों को सहुलियत हो, कैसे उसको आर्थिक समृद्धि किया जाय, इसके लिए सारा चीजों का प्रावधान किया गया है । यह निश्चित रूप से कोई मामूली काम नहीं है, इसमें सहकारिता विभाग का जो यह कदम है, वह पूरे भारत के लिए एक बहुत उदाहरण स्वरूप होगा । निश्चित रूप से हम

समझते हैं कि सहकारिता विभाग को हमलोग जितना कम समझ पाते हैं, उससे ज्यादा इसमें प्रावधान किया गया है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : ठीक है । सभापति जी, हम अपना बात को समाप्त करते हैं लेकिन यह जो है, सहकारिता विभाग.....

श्री ललित यादव : सभापति महोदय, मेरे पार्टी का 59 मिनट का समय है, जो माननीय सदस्य बोलने के लिए बचेंगे, शेष समय में बोलेंगे । माननीय सदस्य, जब तक बोलते हैं, इनको बोलने दिया जाय ।

सभापति(श्री ललित यादव) : और 2 माननीय सदस्य आपके दल के बोलेंगे ।

श्री प्रह्लाद यादव : ठीक है सभापति जी, जब ऐसी बात है तो हम एक-दो मिनट में समाप्त कर देंगे। सहकारिता विभाग के द्वारा निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और सरकार का जो उपलब्धि है, वह निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई कमी नहीं है । हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप गेहूँ और धान दोनों का अधिप्राप्ति कर रहे हैं । अन्य फसल है टाल में दलहन फसल होता है, बहुत ज्यादा दलहन फसल होता है, उसके बाद दियर में भी दलहन फसल पैदा होता है ।

(व्यवधान)

पूरा का पूरा खरीदा गया । जो टारगेट था, टोटल का टोटल खरीदा गया, चूँकि आप धैर्य से सुनिये । व्यापारी वाला जो धान है, उसको छोड़कर किसान जो है, वह सबका खरीदा गया है ।

जो किसान थे, सब किसानों का धान खरीदा गया, उसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ और इस बार बिचौलिया को इन्टरफेयर नहीं किया गया । आप सुन लीजिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, इनके जिला का हम अभी आंकड़ा देख रहे थे, इनके जिले में अभी तक 50 परसेंट भी नहीं खरीदा गया है, आपके जिला की बात कह रहे हैं, इसको वेबसाईट पर भी देख सकते हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री प्रह्लाद यादव : ठीक है सभापति महोदय, जयहिन्द ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी, आपका 10 मिनट समय है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2017-18 के व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । इसके लिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । मैं आपके माध्यम से सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय विभागीय मंत्री

महोदय सहकारिता मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ ।

सभापति महोदय, सहकारिता विभाग पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सहकारिता विभाग बहुत ही किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और विभाग का जो उपलब्धि है, मैं उसपर बोल रहा हूँ । बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80 प्रतिशत आबादी जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है । कृषि एवं कृषक के विकास में पैक्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस आलोक में सहकारिता विभाग एक महतवपूर्ण योजना बनायी है । इसमें राज्य के पैक्स के कार्य क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से कम से कम एक वयस्क व्यक्ति को सदस्य बनाना है, जो सदस्य बनने की अहर्ता रखते हैं । विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक परिवार को एक महिला को पैक्स का सदस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है । इस प्रकार वर्तमान में शेष बचे ज्यादा से ज्यादा परिवार के कम से कम एक सदस्य को पैक्स का सदस्य बनाकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करने का विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है । इस कार्य को सुगम बनाने हेतु ऑनलाईन सदस्यता निबंधन की कार्रवाई पायलट आधार पर दो जिलों के दो प्रखंडों में किया जा रहा है और पूरे राज्य में ऑनलाईन सदस्यता का प्रयास प्रक्रियाधीन है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव तथा मेरा अनुरोध रहेगा कि जिले के जो दो प्रखंड में, राज्य में एक प्रखंड एक राज्य में सदस्य बनाने हेतु ऑनलाईन का आदेश निर्गत किया गया है । हम चाहेंगे कि बिहार राज्य के हरेक जिला में हरेक जगह यह ऑनलाईन की व्यवस्था हो, इसके लिए हमने माननीय मंत्री महोदय के कार्यालय कक्ष में जाकर दो-तीन बार अनुरोध किया और ऑनलाईन से सदस्यता का जो अभियान चालू होगा, हरेक जगह पैक्स अध्यक्ष अपना मनमानी करते हैं और आज तक पैक्स अध्यक्ष अपने मन से किसी किसान को पैक्स सदस्य बनने नहीं दिया है और जिस भी पंचायत में पैक्स है, पैक्स चल रहा है, सुना जाय .....

टर्न-12/अंजनी/दि0 15.03.2017

श्री निरंजन कुमार मेहता : जहां भी पैक्स की व्यवस्था है, मैं चाहूंगा कि इस सदन की ओर से ऑनलाईन की व्यवस्था हो जिससे किसान अपने मन से सदस्य बने और वैसा सब जगह स्वतंत्र रूप से कर दें, जिससे कि अगला पैक्स अध्यक्ष का जो भी चुनाव होगा, उसमें पूरी पारदर्शिता होगी, इसकी व्यवस्था की जाय । इसके लिए सरकार भी गंभीर है और हमाने माननीय मंत्री जब दो जिला में आदेश किये हैं तो प्रत्येक जिला में यह आदेश होना चाहिए । महोदय, पैक्सों में सदस्यों की संख्या कुल 1 करोड़ 11 लाख तक पहुंच गयी है । वर्ष 2016-17 में लगभग 3 लाख 26 हजार नये सदस्य बने हैं । महिला

सदस्यों की संख्या भी 2 लाख 8 हजार से बढ़कर 6 लाख 54 हजार हो गयी है । पैक्स व्यापार मंडलों की भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि के लिए अब तक 2 हजार 852 नये गोदामों का निर्माण कर 6 लाख 50 हजार मैट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है तथा 693 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । महोदय, धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनके द्वारा उत्पादित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाना है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के 8463 पैक्स एवं 521 व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों से धान अधिप्राप्ति किया जाता रहा है । अधिप्राप्ति हेतु पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से इच्छुक कृषकों को ऑनलाईन निबंधन की प्रकिया प्रारम्भ की गयी है । इस योजना में वैसे कृषकों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें अपनी निजी भूमि उपलब्ध नहीं है । परन्तु अन्य की भूमि पर कृषि उत्पादन कार्य कर रहे हैं, जिनके कारण वर्त्तमान में जहां कृषकों को अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, वहीं उनकी आर्थिक प्रगति भी हो रही है ।

महोदय, राज्य में खरीफ मौसम में धान अधिप्राप्ति हेतु कृषकों को उत्पादन का लागत सहित लाभकारी मूल्य देने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गयी है । न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपनी भूमि पर धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए 150 क्विंटल एवं दूसरे की भूमि पर धान उत्पादन करने वाले किसानों के लिए 50 क्विंटल अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है । गुणवत्ता का भी ख्याल रखते हुए कृषकों का ऑनलाईन रजिष्ट्रेशन कृषकों के भुगतान के लिए आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट की व्यवस्था एवं दैनिक अनुश्रवण के लिए मोवाईल एप तकनीकी का भी उपयोग किया जा रहा है ।

सभापति महोदय, कृषि रोड मैप के अंतर्गत 2016-17 में 90 गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिससे 217 लाख मैट्रिक टन क्षमता की वृद्धि हुई है तथा 27 चावल मिल सह गैसीफायर का निर्माण हो चुका है और 144 का निर्माण कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2016-17 में पैक्स/व्यापारमंडलों में 2 एम0टी0 क्षमता के 50 इकाई विद्युत आधारित चावल मिल एवं वर्ष 2017-18 में 120 इकाई विद्युत आधारित चावल मिल निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

महोदय, किसान क्रेडिट कार्ड में भी सहकारिता विभाग द्वारा 2016-17 में 5368 किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड माह दिसम्बर, 2016 तक निर्गत किया गया है । के0सी0सी0 प्राप्त किसानों को रूपे कार्ड भी वितरित किया जा रहा है ।

सभापति महोदय, अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण वितरण में सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2015-16 से खरीफ के लिए 268.87 करोड़ एवं रब्बी के लिए 186.75 करोड़ रूपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया है तथा 2016-17 में

खरीफ मौसम के लिए 278.59 करोड़ एवं रब्बी ऋण के रूप में 17.19 करोड़ माह दिसम्बर 2016 तक वितरित किया गया है ।

सभापति महोदय, समेकित विकास निगम के द्वारा सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना 08 जिलों यथा कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली, जहानाबाद, अररिया एवं मोतीहारी में कार्यान्वित है तथा 05 जिला यथा औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियां में प्रारंभ किया गया है । राज्य के 11 जिलों यथा- कटिहार, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बांका, नवादा, लक्खीसराय, जमुई एवं अरवल को समेकित सहकारी विकास परियोजना से आच्छादित करने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की स्वीकृति विभाग द्वारा दे दी गयी है । महोदय, मंत्री महोदय से कहना है कि मेरा जिला मधेपुरा को क्यों छोड़ दिया गया है । इस संबंध में माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इसको जोड़ने का काम किया जाय ।

सभापति महोदय, फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में कृषकों को अगली फसल लगाने के निमित्त प्रोत्साहित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में सहकारिता विभाग के माध्यम से, सरकार के माधयम से फसल बीमा योजना लागू की गयी है । खरीफ 2016-17 मौसम में कुल 14,63,118 किसानों का फसल बीमा किया गया है जिसका क्षेत्रफल 12,91,851 हेक्टेयर तथा बीमित राशि 6473.17 करोड़ रूपया है ।

सभापति महोदय, आपने सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग के समर्थन में बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ और पेश किये बजट का पूरजोर समर्थन करता हूँ ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आपका समय 12 मिनट है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, समृद्ध बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस गौरवशाली इतिहास में ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका अग्रणी रहा है । महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहकारिता एक सशक्त माध्यम है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । महोदय, सहकारिता के अंतर्गत कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद की भंडारण की व्यवस्था और अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की जिम्मेवारी है । फसलों की क्षतिपूर्त्ति होने पर फसल बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्त्ति करने की भी जिम्मेवारी है । महोदय, सरकारी माध्यम से सहकारिता का गुणवत्ता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य किताब में दिया गया है, उसमें भी विस्तार से बताया गया है । महोदय, हम जानना चाहते हैं कि जो इनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्त्ति कितनी हुई ? हम तो कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं लेकिन इस सदन के अन्दर

जो माननीय सदस्य हैं, वे सहकारिता विभाग के संदर्भ में कह रहे थे कि सभी धान की खरीद हो गयी । क्या इस पवित्र मंदिर में इतना बड़ा असत्य बोला जा सकता है जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं उनके किताब के अन्दर जो लक्ष्य बताया गया कि नहीं हुआ, हमको इससे बचना चाहिए । महोदय, आज हरित क्रांति सहकारिता और कृषि कार्य के लिये लाया गया, इसका क्या हश्र हुआ ? क्या स्थिति बनी, कहीं-न-कहीं हम इसके जिम्मेवार नहीं है ? हम सरकार और जनता के बीच एक माध्यम हैं, एक पुल का काम करते हैं लेकिन अगर पुल ही कमजोर हो तो जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचेगी । महोदय, कृषि रोड मैप इंडियन गठबंधन के अन्दर बना, कृषि कैबिनेट बना, लगा कि किसानों का खुशहाली आनेवाला है लेकिन क्या हुआ कृषि रोड मैप का?

...क्रमशः.....

..... क्रमशः .....

टर्न-13/शंभु/15.03.17

श्री विजय कुमार सिन्हा : क्रमशः.....माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर जिक्र करेंगे कि कृषि रोड मैप की स्थिति क्या है, क्यों बदहाल स्थिति में किसानों को छोड़ा गया और कृषि रोड मैप गौण हो गया। कृषि कैबिनेट की बैठक का न्यूज देखने के लिए आँख लालायित रह गया। क्यों बैठक नहीं हो रही है कृषि कैबिनेट का, कौन रोका, क्यों बदल गया कृषि कैबिनेट और क्यों बंद हो गया कृषि रोड मैप। आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की लंबी-लंबी बातें की गयी थी इसी सदन के अंदर। सहकारिता द्वारा पैक्सों, व्यापार मंडलों के सन्दर्भ में अभी हमारे माननीय सदस्य ने बहुत सच कहा कि कुछ जमींदारी व्यवस्था चल रही है, नये लोगों को सदस्य बनने नहीं दिया जाता है क्योंकि उनकी जमींदारी पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। आज इस व्यवस्था को तोड़ने की जिम्मेवारी किसपर है ? क्या ये गरीबों की बात करनेवाले लोग इस व्यवस्था के पोषक हैं क्या ? क्या इस व्यवस्था का पोषण करके उन लघु और सीमान्त किसानों को उसके हक और अधिकार से वंचित कर रहे हैं ? महोदय, आज सहकारिता के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण की कई इकाई लगायी जा सकती थी, कौन रोका, कौन बाधक है, कृषि पर आधारित राज्य बिहार के अंदर कई ऐसी फसलें हैं, ऐसी व्यवस्था है जो वहां कृषि पर आधारित उद्योग हर जिले के अंदर कंपीटिशन होता, खुलता इसको सरकारी संरक्षण मिलता, प्रोत्साहन मिलता, लेकिन क्या हुआ ? अभी पिछले सेशन में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 हमलोगों ने बनाया। क्यों बदलना पड़ रहा है आपकी नीति, क्यों कोई निवेशक आपके यहां आना नहीं चाह रहा है, हृदय पर हाथ रखकर सोचें हमलोग कि उसमें सरकार और जनता के बीच इस व्यवस्था परिवर्तन में- सिर्फ हम सरकारी गुणगाण करने से खामी दूर कर सकते हैं क्या ? सरकार की नीति पर सरकार

को आइना दिखायेंगे तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा, बिहार का विकास होगा और बिहार का भविष्य राष्ट्र के अंदर में एक सुंदर सुनहला अक्षर में लिखायेगा, लेकिन हम कर क्या रहे हैं ? महोदय, कृषि आधारित उद्योग के लिए सरकार की क्या नीति है ? जब माननीय सदस्य में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। हम किस रूप में आम लोगों को दूसरे राज्य के लोगों को, दूसरे उद्योगपति को प्रोत्साहित कर सकें, आकर्षित कर सकें, आमंत्रित कर सकें, क्या यहां के माननीय सदस्यों को अधिकार मिला है, क्या आप कृषि पर आधारित उद्योग के लिए प्रोत्साहन में आपकी भी भागीदारी हो उसके सन्दर्भ में जिला के अंदर बैठक होता है, लेकिन किसी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है, कभी उनसे सलाह मशविरा लिया गया है क्या ? क्या यहां पर बैठे लोगों के दिल में दर्द नहीं है ? क्या सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्री सिर्फ पूरे बिहार की जनता के शुभचिन्तक हैं, क्या ये माननीय सदस्य उसके शुभचिंतक नहीं है या इन सदस्यों पर आपको विश्वास नहीं है ? आप इन सदस्यों को विश्वास में लें, आपसे ज्यादा ये हैंड्स दूसरे राज्य के लोगों को आमंत्रित कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है और अपने क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए वह उसके संरक्षणकर्त्ता के रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि आप एको अहम दूजो नास्ति। एक हम हैं दूसरा कोई नहीं। विधायक को सम्मान नहीं मिले, सारा मेरा नाम हो। अरे हद तो तब हो गयी है कि विधायक के नाम से जो योजना भी चलती थी उसको भी बदलकर के एक व्यक्ति के नाम से कर दिया गया। खुलेआम विधायिका को कमजोर किया जा रहा है।

(व्यवधान)

विषय पर ही आ रहे हैं, विषय से ही संबंधित है, घबराइये नहीं। आज उद्योग नीति भी उसके अंदर है। कृषि पर आधारित उद्योग की व्यवस्था पर है और महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो कृषि उद्योग नीति लायी गयी थी, कृषि पर आधारित उद्योग की बात सहकारिता के अंदर आता है और जिनको यह समझ में नहीं आता है हम उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय विजय बाबू, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, व्यक्ति के नाम पर नहीं है।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, मैंने नाम नहीं लिया। अब नोचनी खुजली लगता है तो मैं क्या करूँ। मैंने तो नाम भी नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। आज नीति बनाने से नहीं होगा, नियत ठीक करने से होगा। आप लंबी-लंबी नीति बनाते रहें, नीयत ठीक नहीं रहेगी तो नहीं होगा। महोदय, ये सब सुनना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ एक कविता के रूप में सहकारिता विभाग का समय कम है- माँ अन्नपूर्णा के तपस्वी पुत्र अन्नदाता का हाल बेहाल देख लो, सुशासन की सरकार देख लो, अफसर मालामाल देख लो, बिचौलिया है खुशहाल देख लो, सहाकारिता के अंदर आज क्या

खुशहाली है- अन्नदाता है बेहाल देख लो, भ्रष्टाचार का परवान देख लो, अन्नदाता के बच्चों का चित्कार सुन लो, किसान है बदहाल देख लो, सुशासन की सरकार देख लो। भ्रष्टाचारियों के गोद में सिसकती सरकार देख लो। महोदय, आज भ्रष्टाचारियों की गोद में सिसकती सरकार देख लो, सुशासन की सरकार देख लो, प्रशासन है बेलगाम देख लो, विधायिका है लाचार देख लो, सुशासन का यही हाल देख लो। महोदय, ये व्यवस्था चलाना चाहते हैं और सत्य को सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे सत्य स्वीकारिये, विपक्ष भी सरकार का अंग होता है। विपक्ष एक आइना है जिस आइने में आप अपने चेहरे को संभाल सकते हैं, लेकिन अपने चेहरे को देखकर आपको गुस्सा आता है, आपको लज्जा आती है। ये भविष्य के लिए आपके लिए खतरनाक स्थिति है। महोदय, आज राइस मिल में जो डिफोल्टर हो गये, हद हो गयी है, भ्रष्टाचार का हद हो गया है, राइस मिल जो डिफोल्टर हो गया तो नया मिल का अनुबंध अपने-अपने जिला में अपने-अपने रिश्तेदारों के नाम से कराकर पुनः नया राइस मिल खोलकर बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी आप इसकी जॉच करा लें। कोई एक जिला उठा लें, आपको आइना साफ दिखायी पड़ेगा। कितना बड़ा घोटाला हो रहा है सरकारी पैसे का और आम जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। महोदय, आज उस आइने के तहत ही जनता के दर्द को भी समझने की जरूरत है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय विजय बाबू, अब आपका एक मिनट।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, आज फसल बीमा की बात हो रही है- दाल क्षेत्र इतना बड़ा है, मसूर का फसल दाल का कटोरा कहलाता था, मसूर का फसल बीमा बंद कर दिया गया, नहीं दिया जा रहा है, कितना बड़ा अनर्थ है ? क्या सरकार किसानों की है, सरकार गरीब मजदूरों की है ? सरकार को किसान के प्रति दर्द होता तो मसूर आज लाखों करोड़ों हेक्टेयर में मसूर का फसल मारा गया है, झुलस गया। टाल का जल प्रबंधन नहीं होने से बेकार पड़ गया, किसान रो रहा है। आज कई किसानों का पूरा आवेदन आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी टाल क्षेत्र से आये हैं, हमारे जल संसाधन मंत्री जी हैं प्रभारी, संसदीय कार्य मंत्री बगल के ही हैं, क्या उस टाल क्षेत्र को संभाल कर बिहार की तस्वीर हम नहीं बदल सकते हैं, क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं और हम एक आग्रह करेंगे अपने मित्रों से सदन के सभी सदस्यों से कि आप भूल जाएं सत्ता और प्रतिपक्ष को आप अपने सच को उजागर करें, हम सच के समाधान के लिए अपनी बात रखते हैं, सच को छिपाने के लिए नहीं रखते हैं और सच का समाधान नहीं कर सकते हैं तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। तस्वीर भी बदल रहा है और आप लोगों का तकदीर भी लिखा जा रहा है। आनेवाले दिनों में जो भ्रष्टाचार को संरक्षित करनेवाले लोग हैं ये राष्ट्र नकारने के लिए बैठा हुआ है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप समाप्त करें।

श्री विजय कुमार सिन्हा : यह राष्ट्र संदेश दे दिया है। देश के प्रधानमंत्री की नीति और नीयत दोनों साफ है। भ्रष्टाचारियों को कहीं से संरक्षण नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचारियों का अंत होगा।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : कृपया आसन को सहयोग करें। माननीय सदस्य रामदेव बाबू, प्रारंभ करें।

श्री रामदेव राय : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलते हुए अपना चन्द सुझाव देना चाहूंगा। महोदय, मेरा सर्वप्रथम एक टेक्नीकल प्रश्न है.....क्रमशः

टर्न-14/अशोक/15.03.2017

श्री रामदेव राय : क्रमशः राजस्व, सहकारिता और योजना विभाग, तीनों की मांग अलग-अलग होते हुये भी एक जगह इसका डिबेट किया जा रहा हैं, जब कि राजस्व बहुत बड़ा विभाग हैं, राजस्व को हमेशा इससे अलग रखना चाहिए । मैं पहले भी कहा हूँ, शायद आसन का ध्यान इस ओर नहीं गया है, मैं आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि मैं सहकारिता पर बोलूं या राजस्व पर बोलूं या योजना पर बोलूं यद्यपि कि मैं मानता हूँ कि वर्त्तमान हमारा शासनकाल 'जय सहाकार, जय नीतीश सरकार' की है, और इन दोनों का समन्वय ही यह वर्त्तमान सरकार है और यह संवैधानिक ढांचा पर चल रही सरकार निश्चित रूप से सरकार ने इसे आंदोलन के रूप में लिया है । यद्यपि कि यह कांग्रेस की देन है, आप सारे लोग जानते हैं कि जब श्रीमती गांधी जी जीवित थी, उन्होंने सहकारिता आंदोलन के लिए अपनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी और उसी का आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार अनुसरण कर बिहार के सामने सहकारित को एक आंदोलन का रूप दिया, यद्यपि मैं सहकरिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गांव-घर का रहने वाला हूँ, लेकिन सहकारी रूप को मैं देखा हूँ । पहले की सहकारी ढांचा और आज की सहकारी ढांचा में मूल में बहुत अंतर पड़ रहा है । पहले सहकारी ढांचा बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने में सारे लोग बैठकर प्रत्यक्ष रूप से अपनी कार्यकारिणी और अध्यक्ष का चुनाव करते थे और आज बैलेट पपेर के जरिये इसका चुनाव होता हैं, इसको सरकार के ध्यान में मैं देना चाहता हूँ, मैं सरकार का नीतिगत बातों पर कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि इससे सरकार को नुकसान है । आप पैक्स बनायें हैं, पैक्स का सारा खर्च चुनाव का पैक्स को उठाना पड़ता हैं और पैक्स को आप आमदनी का कोई जरिया दिये नहीं है, आप बतायें कि आप पैक्स को आमदनी का जरिया दिये हैं क्या ? आमदनी का जरिया नहीं लेकिन सारा खर्च पैक्स को उठाना पड़ता हैं चुनाव के जरिये और चुनाव के बाद क्या होता है? सहकारी आंदोलन है, सहकारी आंदोलन को चलाना मामूली

बात नहीं है । आज यूरोपीय कंट्री में, एशिया के कंट्री में भी आज इस आंदोलन का अनुसरण किया जा रहा हैं । मैं समझता हूॅ कि बिहार इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, यह बिहार की देन हैं और वर्त्तमान सरकार के नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो करते हैं इनकी भावना एवं इनकी सोच की भी देन हैं, जो मैं आगे कुछ मिनटों में चर्चा करना चाहूंगा । मगर मैं कहना चाहता हूॅ कि जब विदेशी लोग हमारी विषयक को अपने साथ जोड़ रहे हैं तो हम अपने प्रत्यक्ष रूप को क्यों अप्रत्यक्ष बना रहे हैं ? मैं यह कहना चाहता हूॅ कि कोओपरेटिव है, कौओपरेटिव जहां सारे लोग एक दूसरे को कौओपरेट करते हैं भावना से और कार्यक्रम के जरिये तो वहां हम बैलेट के जरिये इसका चुनाव कराते हैं, फल क्या होता है ? चुनाव के बाद ग्रूपईज्म, कास्टईज्म, फासिइज्म, क्या-क्या होता है, जिसकी चलते जो मूल भावना आपकी है उस पर कुठाराघात होता हैं । मेरी राय है, मेरी राय हैं कि पहले सारे लोग बैठते थे, पैक्स के सदस्य बैठते थे और प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने में, अपने सब लोग बिल्कुल कोओर्डेनेशन कर के, कौओपरेशन करके चुनाव कराते थे, आज बैलेट पेपर के जरिये चुनाव कराते हैं, जिसके चलते राजनीति गर्म हो जाती है, स्थानीय राजनीति के कारण कोऔपरेटिव चल नहीं पाता है और यही कारण है कि जितने टारजेट आपके है सदस्य बनाने के, वह टारजेट पूरा नहीं होता है । आप देख लीजिए कि टारजेट क्या हैं, आपके सामने आंकड़ा हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी की देन हैं कि आज इस आंदोलन में महिला को जोड़ दिये हैं, 50 प्रतिशत महिला की भागीदारी सुनिश्चित कर कोऔपरेटिव आंदोलन को एक बृहत रूप दे दिये हैं और एक सोच पैदा कर दिये हैं हिन्दुस्तान के अंदर ही नहीं देश और विदेश में भी, और आज क्या है उनकी संख्या ? आज बहुत ज्यादा, एक लाख से बढ़कर 6 लाख तक बढ़ गई हैं, 50 प्रतिशत जिनकी संख्या होनी चाहिए, आज हमारा एक करोड़ से ज्यादा संख्या हमलोगों की है, पुरूष लोगों की है और महिलाओं की संख्या अभी तक बहुत कम हैं, 6 लाख, लगभग 6 लाख जैसा कि मैं समझता हूॅ और आपके पास यें आंकड़े होंगे । मै समझता कि इस आंदोलन को बनाने के लिए हर घर में एक सदस्य बनाना था और आज क्या हो रहा हैं? आज हर घर में सदस्य नही बन पाते हैं कारण क्या हैं, कारण वही चुनाव हैं कि जो चुने जाते हैं वे अपने तरीके से अपना मेम्बर बनाते हैं, अपने फैमली के लोग को बनाते हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री के सोच को हम धरती पर उतार नहीं पायेंगे, आये दिन इसमें बहुत बड़ा बाधा पैदा हो सकती हैं इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूॅ कि यदि सम्भव हो आप नीतिगत फैसला लें और इस पर सोंचे कि कौओपरेटिव को कम से कम, आज बहुत सारे काम आप कर रहें है, बहुत सारे ग्राम्य विकास की योजनायें हैं, मुख्यमंत्री विकास योजना है जितनी भी योजनायें है ग्रामीण सोच के आधार पर चटाई पर बैठकर लोग फैसला ले रहे हैं ।

आम सभा करते हैं गांव में, वार्ड सभा करते हैं गांव में बैठ कर कें और सारे निर्णय ले लेते हैं क्या कोऔपरेटिव के बारे में नहीं सोच सकते हैं और दूसरी बात आप देख लीजिए आप इसके लिए आमदनी का कोई श्रोत नहीं है आपकी नीतिगत फैसला थी कि हर पैक्स में हम एक सरकारी गल्ले की दुकान देंगे, क्या वह दुकान मिली क्या ? दुकान नहीं मिली, आज भी जिला में आप दखेंगे कि अनेकों अनके दुकान खाली हैं, विक्रेता नहीं हैं और आप के कौऔपरेटिव खाली पड़ा हुआ । कौऔपरेटिव को दुकान भी आप नहीं दिये । दूसरी बात बैंक के बारे में आपने कहा था कि हम हर गांव में बैंक देंगे, गांव में कौऔपरेटिव बैंक हैं, लेकिन गांव में पैक्स का बैंक नहीं जिसके चलते गांव के किसानों को कितनी दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में आप सोचे हैं ? इस पर जरा सोचिये कि किसानों को कितनी दिक्कतें होती हैं । बड़े-बड़े बैंकों का सहारा लेना पड़ता हैं, चक्कर काटते-काटते घर लौटना पड़ता है फिर भी उनके काम नहीं होते । और क्या होता है ? अगर वह बैंक पैक्स में होता तो उनके सारे काम गांव में होते और सबसे दु:खद बात हैं कि एक किसान को मात्र लिमिटेशन है कि 25 हजार रूपये तक ही हम लोन देंगे, इस सीमा से अलग पैक्स नहीं दे सकता है, लेकिन बैंक में 50 हजार से अधिक की सीमा है श्रीमान, तो क्या होगा मध्यम दर्जे के किसानों की जिन्हें खेती की जरूरत हैं, और चीजों की जरूरत है, उसकी जरूरत की पूर्त्ति बड़े बैंकों का चक्कर लगाते लगाते महीने छ: महीने, साल भर बीत जाते अगर पैक्स को ये पावर मिलता, पैक्स में भी बैंक में होता तो हमारा भुगतान ज्यादा होता, भुगतान की राशि ज्यादा होती और इससे बचत होता, बचत खाते पैसा आते इससे किसानों को लाभ मिलता और सरकार को लाभ मिलता जो नहीं हो रहा हैं । इसलिए आपको सोचने की जरूरत हैं श्रीमान । मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ हम आपको निवेदन करता हूं कि कौऔपरेटिव की आय श्रोत को आपको बढ़ाने की जरूरत हैं ताकि आये दिन कौऔपरेटिव और देखिये आप गोदाम दे रहे थे, हर पैक्स को गोदाम देना था, आज क्या हैं ? आज मैं समझता हूँ कि आप जितनी क्षमता का गोदाम वहां बनाना चाहते हैं अगर वहां सारे जगह गोदाम बन जाता, खाद का करोबार होता वहां, आज विस्कोमान से खाद का कारोबार होता है, यह प्वायंट आपके सामने नॉलेज में देना चाहता हूँ, 15 रूपया से 20 रूपये प्रति बैग वह ज्यादा लेता है किसानों से, वह क्यों लेता है? वह कम्पनी से अच्छा संबंध रखता है, अच्छा टर्म बनाकर रखता है । कम्पनी उसको छूट देती हैं और उस छूट का लाभ वह लेता है हमारे किसानों से । अगर आप अपने गोदाम में खाद बेचवाने का कारोबार कराते अपने पैक्स के जरिये तो यह बचत किसानों को होता और उस बचत से उसको भी आमदनी बढ़ती और पैक्स की भी आमदनी बढ़ती जो हमे नहीं मिल रही है तो आपको इस पर सोचना होगा । मैंने आपके पिछले भाषण को देखा है, बहुत प्रागेसिव

भाषण है आपका, कार्यक्रम भी प्रोग्रसिव आप कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं लेकिन कुछ सरजमीन की बातें हैं, उसको हमें ध्यान में रखना हैं चूंकि आप नौजवान है, नौजवान झगड़ालू हो सकता हैं मगर बेईमान कभी नहीं हो सकता है । वह झगड़ा करता है समाज की कुरीतियों से, कुप्रथाओं से और जो अमूल्य पैदा करते हैं उनसे समाज में झगड़ा करता हैं, तो आप झगड़ा कीजिए इन अमूल्यों से जिससे आपकी सहकारिता आगे बढ़ेगी 'जय जवान जय किसान' तब तक आगे नही बढ़ेगा जब तक सहकारिता नहीं होगी, सहकारी भावना नहीं होगी आज हमारे मुख्यमंत्री जी आज सारे लोगों को एक साथ जोड़कर काम करना चाहते हैं क्या कारण हैं हर जगह विधान सभा में यही राय होती हैं, विधान सभा में मैं देखता हूॅ कि आये दिन वह कौऔपरेटिव भावना से काम लेना चाहते हैं और इस भावना को मूल रूप में हमलोगों को अपने गांव में देने की जरूरत है, गांव का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा, गांव जब तक गिरे रहेंगे चूंकि 85 प्रतिशत गरीबी रेखा के लोग गांव में जीते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सोच हैं, आपने जो नीति बनाई हैं, आपकी पांच, सात नीति जो है वह कितनी अच्छी है कि मैं आपको सुनाना चाहता हूॅ। समाज के अन्दर के जितने भी बृहत्तर समुदाय जो हैं वह बृहत्तर समुदाय गरीब वर्गों का, उपेक्षित वर्गों का, कमजोर वर्गो का, आप ऐसे लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास सहकारिता के माध्यम से ही दे सकते हैं । यह सम्भव नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरा कोई चारा नहीं है । अगर आप सहकारिता को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह वृहत्तर समुदाय को आगे लाना होगा और आपकी नीति भी है, हमारी सरकार की नीति भी है और आप इस नीति पर चल भी रहे हैं इसलिए मैं आपको ध्यान में देना चाहता हूॅ कि दूसरी चीज हैं सहकारी समितियों में सदस्यों का स्वामित्व, प्रबन्धन और नियंत्रण, तीनों आप दीजिए, मेरा ख्याल हैं और आपकी नीति भी हैं, मैं आपके नीति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूॅ और उसको अवसर सुलभ रहे, हम केवल नीति बना दे और अवसर सुलभ नहीं रहें तो फिर काम काज कैसे चल सकता है ?

क्रमशः

टर्न-15/ज्योति

15-03-2017

क्रमशः

श्री राम देव राय : कैसे कमजोर वर्ग उस प्रबंधन को नियंत्रण कर सकते हैं ? कैसे उसपर स्वामित्व पैदा कर सकते हैं । अगर स्वामित्व कोऔपरेटिव पर एक सदस्य का नहीं रहे, उसका नियंत्रण नहीं रहे, उसके प्रबंधन में उसकी भागीदारी नहीं हो तो फिर कोऔपरेटिव

कैसे चल सकता है ? मैं यह जानना चाहता हूँ और जानने के लिए आपको मेहनत करने की जरुरत है चूँकि आप नौजवान हैं । दूसरी ओर मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाज के कमजोर वर्ग और महिलाओं की भागीदारी मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित कर दिया है, इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है। बहुत बड़ा कमाल बिहार में हुआ है। बिहार के हर विकास के कामों में मुख्यमंत्री की नयी सोच दार्शनिक सोच है, वैज्ञानिक सोच है, साहित्यिक सोच है इसपर शोध हमलोग भी कर रहे हैं कि यह सोच उन्होंने कैसे पैदा कर दी । सोच पैदा हुयी है और इस सोच को आगे एडौप्ट करना है। सोसायटी के हर व्यक्ति को एडौप्ट करने के लिए सोसायटी में भागीदारी आवश्यक है, इसको सुनिश्चित करने की जरुरत है । महोदय, और सबसे बड़ी जरुरत है वंचित तबके के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उसको पूरी करने के लिए उसे जोड़ने की जरुरत है और यह कर रहे हैं आप लेकिन इसमें एक अभियान चलाना होगा, इसमें माननीय सदस्यों के, हमारे विपक्ष जो आपके सामने है, इनलोगों को भी इसमें जोड़िये और कहिये चलिए गांवों में मुख्यमंत्री के साथ चलिये, मुख्यमंत्री जी अभी गांव गांव जा रहे हैं विकास को देखने के लिए और इस वंचित तबके पास जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता वह हमारी बात थोड़े ही सुनेंगे, आप जो बोलियेगा वह करेंगें । हम सारे, कोई भी विपक्ष हों, हम भी विपक्ष में बैठते हैं तब भी हमारा दायित्व होता है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, यही हमारी ईमानदारी होती है । अगर हम अपने दायित्व के अलावे चलते हैं तो हम ईमानदार नहीं होते हैं। पद छोटा हो या बड़ा जवाबदेही महान होती है और जो अपनी जवाबदेही का ईमानदारी से निर्वहन करता है वही भारत का सच्चा सपूत है और जब हम पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से सोचेंगे तो कोई आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है, बिहार का विकास अवरुद्ध रह जायेगा । इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं । इसलिए निवेदन है कि बिहार के विकास के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति, कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सहकारिता से जोड़ने की जरुरत है और आज का युग आर्थिक प्रतियोगिता का युग है, मुख्यमंत्री जी ने तो और भी कमाल कर दिया है । आर्थिक प्रतियोगिता कायम कर दिया है अब लोगों को जोड़िये नवजवानों को इससे जोड़िये कि इस प्रतियोगिता में भाग ले और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम करे। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है और इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकते हैं । हम सारे लोग एक साथ है । हमारी सोच साथ है, कार्यक्रम साथ है विचारधारा साथ है तो फिर इस कार्यक्रम को अमलीजामा पहनाने की जरुरत

है और इसके लिए उन्हें सबल और सक्षम बनाने की भी जरुरत होगी इसलिए मैं निवेदन करुंगा माननीय मंत्री जी से अपने सदस्यों को बेहतर सुविधा और सेवा दे सकें, इसका प्रबंधन करने की जरुरत है । मिलजुल करके हम सारे लोग एक साथ करें । अब चलिए कृषि कार्यों के लिए सर । कृषि कार्यों के लिए पैक्स और व्यापार मंडलों को सबल बनाया गया है लेकिन सहकारी समितियों में रोजगारमुखी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है । रोजगारमुखी कार्यक्रम में मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन , कुक्कुट पालन आदि कितने कार्यक्रम है । हथकरघा जैसे अनेक कार्यक्रम हैं । कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने की जरुरत है । कौंग्रेस के कार्यक्रम में देखते होंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कुटीर उद्योगों से गरीबों को जोड़ा था, गरीबी दूर करने के लिए आज उसकी जरुरत है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, मात्र आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री रामदेव राय : जब आप आते हैं सर, तो हम डर जाते हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : 15 मिनट था 14 मिनट का समय आपका बीत चुका ।

श्री रामदेव राय : सर जब आते हैं तो डरते हैं तो कम से कम डर से तभी तक डरना चाहिए जबतक दूर है जब नजदीक आ जाय तो सामना करना चाहिए । अभी तो हमारा राजस्व बाकी है । राजस्व पर तो बोलना ही है इसलिए एक दो मिनट बढ़ा दीजिये हम जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को खींच लेते हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ – आप ऐसा न कह दिये कि अब तो हमारी गाड़ी स्टेशन पर पहुंचने से पहले लाल झंडे से डर जायेगी और दिक्कत हो जायेगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन को सबल बनाने की जरुरत है और इसके लिए मैं सरकार को जो सुझाव दिया हूँ उसपर अमल अगर सरकार करे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा । दूसरी चीज एक बात ख्याल कर लीजियेगा मंत्री जी कि आप पैक्स में ऋण उसी को देते हैं जो पुराने ऋणी हैं । नये सदस्यों को ऋण नहीं देते हैं, आप बोलिये, नये सदस्यों को ऋण देंगे लेकिन पुराने सदस्य को ऋण पर ऋण देते जा रहे हैं लेकिन नये सदस्यों को श्रीमान नहीं देते हैं इसलिए नये सदस्य को दूसरा बड़ा बैंक भी ऋण नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा ? इसलिए नये सदस्यों को भी ऋण मिलना चाहिए इसपर विचार करने की जरुरत है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त हो गया कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री रामदेव राय : एक बात राजस्व के बारे में बोलूँ । धान अधिप्राप्ति पर बोलूं, उसमें क्या हो रहा है ? लगता है कि राजस्व छूट जायेगा । धान अधिप्राप्ति में क्या हो रहा है। कुछ नहीं करना है । साधारण किसान से डायरेक्ट खरीदिये । समय पर धान की वसूली नहीं होती है । क्रय नहीं हो पाता है जिसके कारण बिचौलिए के यहाँ चले जाते हैं जब

उसके धान का चावल बनाकर बिचौलिया जमा नहीं करेगा तबतक किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो बताईये एक महीना, दो महीना तीन महीने का समय बीत जायेगा तो वह किसान रोयेगा, वह खायेगा क्या इसलिए आपको डायरेक्ट धान लीजिये और भी ध्यान देना होगा , उसको एक क्वींटल में 5 किलो ज्यादा धान देना पड़ता है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है आसन ग्रहण करें ।

श्री रामदेव राय : दो मिनट अगर बढ़ा देते हमारे पार्टी के समय में काट लीजियेगा किसी दिन, दो मिनट केवल राजस्व पर ध्यान आकृष्ट करुंगा । मैं, अब सहकारिता से जरा वापस होना चाहता हूँ । माननीय मंत्री जी यह विचार करते हुए कि आगे से राजस्व का बजट हमारा अलग हों । बुजुर्ग मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं पार्लियामेंटेरियन भी हैं इसपर जरा ध्यान देंगें कि राजस्व पर अलग डिवेट हो अलग मांग प्रस्तुत की जाय तो अच्छा होगा । ये माननीय मंत्री नये हैं, बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाते हैं लेकिन राजस्व में कई ऐसी चीज है जिसपर इनको ध्यान देने की जरुरत है- खासकर गांव में दाखिल खारिज भू- लगान में क्या दिक्कत है ? पहले अंग्रेज के टाईम में भू- लगान किसान अपने से पहुंचा देता था और आज क्या है अगर अनुदान नहीं मिले, मुआवजा नहीं मिले तो किसान भ-ू लगान देगा ही क्यों ? आपके पास फंड भी नहीं है । राजस्व कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है, इंसपेक्टर नहीं हैं तो कैसे काम चलेगा ? आप भू-राजस्व वसूल करना चाहते हैं तो आप उसमें बहाल कीजिये और पुराने पद्धति को अपानाईये । शिविर लगाकर भू-राजस्व वसूल कराईये जैसे आप शिविर लगा कर वासगीगत का पर्चा और क्या कहते हैं स्वामित्व दिलाने की बात करते हैं । अभी कितने लोग बाकी हैं जिन्हें कब्जा दिलाया गया है । इसलिए आपको ध्यान देने की जरुरत है । दाखिल खारिज में शिविर लगाने की जरुरत है और शिविर लगाने की सरकार की नीति है, कार्यक्रम है । हर मंगलवार को लगाने के लिए लेकिन आपके सी0ओ0 लोग आदेश का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे है इसलिए आपका जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो प्रौग्रेस होता वह अवरुद्ध है इसलिए इसपर ध्यान दीजिये । शेष हम उनके डर से, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ नहीं तो दोनों काम हमारा गड़बड़ हो जायेगा इसलिए कहें तो हमारे भाषण का पार्ट बना दीजिये हमारे लिखित भाषण को, बड़ी कृपा होगी । सुविधा होगी ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : भेजवा दिया जाय ।

श्री रामदेव राय : जी, तो पार्ट बन जाता है तो श्रीमान के पास हमारी बात जायेगी और हमारी बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे । मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि बिहार जैसे गरीब राज्य को उठाने लिए मुख्यमंत्री के जैसा नेतृत्व मिला है इस नेतृत्व को कारगर बनाने के लिए हमारे मंत्रिपरिषद के कारगर सदस्यों के साथ विपक्ष जो हमारा

कारगर है उनका सहयोग लेकर हम मेम्बरों का सहयोग लेकर आप इसको आगे बढ़ाये और इसी के साथ हम जय सहकारी, जय सहकार, जय नीतीश सरकार के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ । जयहिंद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव जी।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति महोदय, सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं । आपने समय दिया, आसन के प्रति हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं । सभापति महोदय, सहकारिता विभाग के द्वारा जो प्रस्तुत अनुदान मांग है और सहकारिता विभाग ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य निर्धारित इसमें किया है । और मैं यह कहता हूँ कि सहकारिता के बिना आप राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं । हर खेत से, हर गांव से , हर टोले से रिश्ता सहकारिता का है । सहकारिता को व्यापकता के रुप में देखना चाहिए । अभी मैं पिछले कई माननीय सदस्यों का उद्‌बोधन सहकारिता के संदर्भ में सुना और प्रतिपक्ष के साथियों का भी । हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहेंगे लेकिन सहकारिता विभाग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित तौर पर इसे गंभीरता से देखने की जरुरत है ।

क्रमशः

टर्न-16/15.3.2017/बिपिन

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : क्रमशः ... और सकारात्मक रूप से सहकारिता को लोग समझते थे कोऑपरेटिव विभाग को कि यह धान प्राप्ति की दुकानदारी का एक सशक्त माध्यम है। जो पर्सेप्शन लोगों के बीच में पहले था, उसको आगे बढ़ते हुए विभाग ने सबसे जोड़ने के लिए, सबका साथ-सबका विकास जो माननीय मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता नीतीश जी का जो निर्णय है उसमें इसका समाहित ....

(व्यवधान)

आदरणीय महोदय, यही तो बात है, आप सुन तो लीजिए, सबका साथ और सबका विकास । ठीक है, हमारी चीज को अगर आप, हमारी जो निश्चित तौर पर कोऑपरेटिव विभाग ने इसको आगे बढ़कर लिया है और मैं इसलिए कहता हूं, अभी एक साथी कह रहे थे, आपके समय में और आप सरकार के साथी थे, साढ़े सात वर्षों तक आपके पास यह डिपार्टमेंट था और आपने कितनी पारदर्शिता इस विभाग में धान अधिप्राप्ति के सवाल पर, यह भी आत्मा पर रख कर देखिए । वर्तमान सरकार के मुखिया के नेतृत्व में आदरणीय हमारे जो विभागीय मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, ऑनलाइन जो व्यवस्था किए हैं, जो कई तरह की भ्रांतियां विभाग के अंदर कि यह जो

है, किसी, कोई खास लोगों का एकाधिपत्य है सहकारिता विभाग, पैक्सों पर, व्यापार मंडलों पर, उसको खारिज करते हुए उसके अंदर पारदर्शिता बरतने की दिशा में एक बढ़ते हुए कदम जो सहकारिता विभाग के हैं कि ऑनलाइन सिस्टम कि ऑनलाइन आवेदन आप दें, आप मेम्बर बनें इसके और आप भी जुड़ें इससे और जुड़ कर राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें । मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और माननीय मंत्री जी को कि आपने इन चीजों को बड़ी बारीकी से, और आपका विषय भी रहा है पहले से और आपके पुरखे-दरपुरखे इससे जुड़े रहे हैं सहकारिता से, तो मैं इन बातों को कहना जरूर चाहूंगा कि धान के अधिप्राप्ति में कई ऐसे चीज हैं, और दस लाख मेट्रिक टन से उपर हम समझते हैं कि धान कि अधिप्राप्ति हुई है, एक लाख 62हजार लगभग किसानों का धान इसमें खरीदा गया है, बारह लाख मेट्रिक टन, महोदय, संजय सरावगी जी, आप सुन तो लीजिए । इसमें गुण और दोष, मैं जिन चीजों की ओर इशारा करना चाह रहा हूं, देखिए, इसको गंभीरता से सहज स्वीकार करना चाहिए, पक्ष और विपक्ष के दायरे से हट कर, इसलिए कहना चाहता हूं कि धान के अधिप्राप्ति मूल रूप से किसानों की होनी चाहिए, चाहे सीमांत किसान हों या लघु किसान हों या बटाईदार किसान हों, जो बटाईदारी करते हैं तो बटाईदारी किसानों की तादाद बढ़ते जा रही है चूंकि जो किसान हैं, उनके पास कई तरह की समस्याएं हैं । लोग बटाई पर लेकर उपजाते हैं, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाते हैं, राज्य में विकास में अपना योगदान, अवदान देते हैं । हम जो लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो बटाईदार शब्द को भी इसमें समाहित करके उनके भी धान खरीदने की व्यवस्था किया गया है, हमें खुशी होनी चाहिए लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि इसमें कुछ ऐसे कि जिनके पास धान अधिप्राप्ति का, मानलीजिए कि मैं दस बीघे का किसान हूं और दस बीघे के किसान अगर दो सौ मन धान उपजाता है तो उसी के हिसाब से खरीदारी भी होनी चाहिए । मिर्ची कहीं लग रही है वैसे लोगों को, जिन लोगों के पास अपना कोई है नहीं, कोई उत्पादन उन्होंने किया नहीं, कृषक हैं, नहीं हैं, न बइाईदारी है, न सीमांत किसान हैं, न लघु किसान हैं लेकिन वे भी चाहते हैं, चिल्लाते है । टी.भी और टेलिविजन पर जाकर एक मोर्चा बनाकर कि धान अधिप्राप्ति मेरा नहीं हो रहा है, मैं बैठा हुआ हूं धान लेकर । धान का उत्पादन का आपके पास कोई पहचान पत्र भी होना चाहिए कि आपके पास, आप कृषक हैं तो खेत आपके पास है, कितने खेत हैं आपके पास, कितना उत्पादन आपने किया, आपने अगर दो सौ मन उत्पादन किया तो ढ़ाई सौ मन बेचने के लिए कहां से आ गए तो इन चीजों पर भी जो सरकार का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास का और सबका साथ और सबका विकास, इसमें कई चीजें समाहित की गई है और सब्जी और प्रसंस्करण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी समितियां गठित की गई है और प्रखंडों में शुरूआत की जा रही है, तो निश्चित तौर पर छोटे-छोटे चीजों पर, पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है

और 50 परसेंट से इसमें महिलाओं को भी स्थान देने की बात की गई है । अत्यन्त पिछड़ा, पिछड़ा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबका, यही तो समावेशी विकास जब करने के क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं तो सबको साथ लेकर चलते हैं । तो कोई वर्ग, कोई समुदाय अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, औरत हो या मर्द हो, सबको इसमें स्थान मिले, इसका आपने इन्तजाम किया है । इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया है और छोटे-छोटे, खासकर जहां पर जो, आलू के क्षेत्र में जो जिला आगे है, सब्जी के क्षेत्र में जो जिला आगे है, उसके लिए आज व्यवस्था करने की जरूरत है । कैसे व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो खासकर और दर्रा का जहां उत्पादन होता है, लहसुन का जहां उत्पादन होता है, इसको इसमें समाहित करना, चूंकि व्यापक विभाग को बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आलू के लिए तो कर देते हैं, आलू तो मिल जाता है कोल्ड स्टोरेज में लेकिन सब्जी के लिए निश्चित तौर पर इसको रखना चाहिए ताकि जो किल्लतें होती हैं और तब सीजन में उसका हम भरपाई कर सकें, यह सहकारिता विभाग की इसमें अहम् भूमिका होगी । तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हुए और प्राकृतिक आपदाओं से जब जूझता है किसान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, कई वृष्टियों से जूझता है किसान तो उसके लिए भी आपने अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की है । रब्बी के फसल के समय में, खरीफ फसल के समय में आपने व्यवस्था की है कि ऋण उनको मुहैया कराते हैं और उसमें आप आगे बढ़कर काम करने की कोशिश किया है । निश्चित तौर पर आपकी मेहनत काबिलेतारीफ है । हम जितना भी प्रशंसा करें, वह कम है माननीय मंत्री जी। आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं । आपके नीयत पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और हमारा जो प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत लेकिन बीमा योजना में बीमा योजना तो बन गया, हम चर्चा करेंगे तो प्रतिपक्ष के साथी को हो सकता है इसपर इनको लगे थोड़ी, बीमा कंपनियों को ध्यान में रखकर अगर कोई पॉलिसी अगर बनती है तो यही घातक होता है । माफ करिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति की बात मैं नहीं करता, आरोप-प्रत्यारोप की बात भी नहीं करता । मैं इतना जरूर कहता हूं कि कंपनियों के हित में आप किसी कार्यक्रमों को अगर लागू करते हैं तो किसान उससे वंचित रहेगा, लाभ से वंचित रहेगा लाभुक । जो लाभान्वित है वह वंचित रहेगा । इसको इसमें कंपनियों को ध्यान में रखकर किया गया है । इसलिए इस चीजों को भी जरूरत है समझने की और देखने की । जहां तक इसमें सुधार की आवश्यकता है, वह करनी चाहिए । आपके पास 3200 से उपर, 3000 से उपर पैसे बकाया है जनवितरण प्रणाली और दुनिया के सारे चीजों पर जिसके चलते धान अधिप्राप्ति में राज्य में संकट हो रहा है । केंद्र के पास बकाये हैं पैसे । तो राज्य के विकास में सिर्फ सत्ताधारी, अभी आप, हमारे प्रतिपक्ष के साथी आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी कह रहे थे कि सत्ता हो

या पक्ष-विपक्ष हो, प्रतिपक्ष जो होता है वह अंग है तो लिखा ही हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार का अंग होता है । जानता हर कोई है 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे', लेकिन आप जब इधर चले आते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है और उधर चले जाते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है । लेकिन राज्य के विकास में, भाषा विकास में राजनीति और विकास के लिए राजनीति, दोनों दो चीजें हैं । जो भी विभाग बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों के पास हैं जो केन्द्र में मंत्री हैं उनके परफॉर्मेंस को ध्यान दीजिए कि बिहार के विकास में आपने, कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन जी हैं, इस राज्य के हैं, इस राज्य के विकास में उनकी अहम् भूमिका, महत्ती भूमिका होनी चाहिए तो जो हमारा पैसा वहां विचाराधीन है, लंबित है, उनका उनको निराकरण करना चाहिए बिहार हित में । इंट्रेस्ट ऑफ द स्टेट, जब हम चर्चा करते हैं, हम राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं, तो राष्ट्रवाद की चर्चा, व्यापक चर्चा करिए, राज्य के विकास की चर्चा करिए कि बिहार आगे कैसे बढ़े ? बिहार तो अपने संसाधनों के बल पर आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन आपने हमारे विकास में कई ऐसे अवरोध पैदा किए जिसके चलते कई चीजें कहीं-न-कहीं गति धीमी पड़ी है । माफ करिएगा...क्रमशः...

टर्न : 17/कृष्ण/15.03.2017

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव (क्रमशः) हर क्षेत्र में चाहे वह प्रधान मंत्री सड़क योजना का क्षेत्र हो या सर्व शिक्षा अभियान का मामला हो, हम किसी एक बिन्दु पर नहीं कहना चाहते हैं, माननीय बिजली मंत्री बैठे हैं, कल तक राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, 90 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार देती थी, आप पंडित दीन दयाल जी के नाम पर ले आये तो अंशदान 60/40 कर दिये । तो राज्य में कोई बात कहीं अवरूद्ध हो किसी क्षेत्र में तो उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए । उसके कारणों की भी चर्चा होनी चाहिए । राजनीति से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए । हम सहकारिता विभाग पर आ रहे हैं, भाई सचीन्द्र प्रसाद जी । वही मैंने शुरू में कहा कि सहकारिता को आप केवल धान अधिप्राप्ति की दुकानदारी नहीं समझिये । सहकारिता को व्यापक रूप में लीजिये, चाहे वह दूध उत्पादन का क्षेत्र हो, मच्छली पालन का क्षेत्र हो, जितने भी सहकारी संगठन हैं उनको स्वावलंबी बनाने के क्षेत्र में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है । कैसे भूल जाते हैं गुजरात के उन चीजों को जिसने दूध के क्षेत्र को कितना आगे बढ़ाया । तो सहकारिता को आप ले करके चलें समग्रता में । हरेक क्षेत्रों में सहकारिता की भूमिका है। माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे, सुझाव के तौर पर कि इसको और सशक्त करने के लिये किसानों को जो हम व्यापार मंडल और पैक्सों के माध्यम से जो उर्वरक मुहैया करवाते थे, उसको जारी रखना चाहिए । उसको जारी रखने की जरूरत है। हर हाल में वह बहाल होनी चाहिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए । हम यह नहीं

कहते कि उनके शर्त्तों पर, आप अपने शर्त्तों पर ही किसानों के हित में उनको मुहैया कराना चाहिए । फसल बीमा तो आप दे ही रहे हैं । ओला वृष्टि और अतिवृष्टि का आप ख्याल कर ही रहे हैं । निश्चित तौर पर सहकारिता कृषि रोड मैप का अभिन्न अंग है । कृषि रोड मैप की चर्चा अभी कर रहे थे । कृषि रोड मैप में कई विभाग समाहित है और सब का उसमें योगदान है । कृषि विभाग का अंग भी है सहकारिता । तो सहकारिता को आप किसी भी रूप में सोचते हों तो हर गांव, हर घर, हर टोला, हर बसावट को उसमें जोड़ने की जरूरत है । सहकारिता में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था आपने की है ताकि इसमें अधिक से अधिक सदस्य जुड़ें । मैं कहना चाहता हूं कि और अधिक पारदर्शिता के साथ-साथ और अधिक स्वावलंबी बनाने के लिये आपको अहम फैसले, कड़े फैसले लेने की जरूरत है । राज्य के बहुत सारे निगमों का पैसा पार्किंग हो जाता है बहुत सारे बैंकों में । तो आपके जो सहकारी बैंक हैं, उन बैंकों में राज्य की राशि का कुछ हिस्सा डालिये ताकि वह सशक्त हो, मजबूत हो और हम जो ऋण वितरण करते हैं, उसमें सहकारी बैंकों का योगदान हो किसान के हित में । अगर हम चाहते हैं कि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो तो सहकारिता विभाग को और अधिक मजबूत करें । मजबूत करने के क्षेत्र में आपकी इसमें अहम भूमिका तब होगी, अगर माननीय वित्त मंत्री यहां होते तो मैं उनसे आग्रह करता कि इसमें बहुत सारे विभागों का पैसा जो आप स्टेट बैंकों में देते हैं, सेंट्रल बैंकों या और बैंकों में देते हैं, कुछ पैसा आप को-ऑपरेटीव बैंकों को दीजिये । उसमें आप कदम बढ़ाईये । महोदय, ऋण जो मुहैया कराते हैं किसानों को, बिल्कुल उसमें पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई करने की भी जरूरत है । वसूली प्रक्रिया में कड़ाई करने की भी जरूरत है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : मात्र एक मिनट समय है ।

श्री अत्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति महोदय, अभी तो हम सहकारिता पर बोलना ही शुरू किये हैं । आप ने एक मिनट का समय निर्धारित किया है । महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय रामदेव बाबू ने ठीक ही कहा, राजस्व एवं भूमि सुधार पर भी बोलना था, लेकिन चूंकि मैं सहकारिता विभाग पर ही केन्द्रीत हूं, सहकारिता में खास कर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । आपके विभाग का भी जो पैसा है, वह कम से कम उसमें डालिये । आप पहल कीजिये, आप आगे बढ़िये और आगे बढ़कर इन चीजों को सशक्त करने की जरूरत है । शब्जी प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुये, समितियां गठित करते हुये आप आगे बढ़े हैं, उसको सशक्त करके सबका साथ, सबका विकास लेकर चले हैं, सब औरत, मर्द, दलित, महादलित, पिछड़ा अतिपिछड़ा, अगड़ा, सभी धर्मावलंबी उसमें समाहित हैं । तो उसी तरह से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है ।

महोदय, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी आ गये । मैं कहना चाहता हूं कि जितने मिल हैं, जिनकी चर्चा अभी कर रहे थे, आप कहिये, हम जांच कराते है, कौन लोग हैं, किन के दामन पर दाग हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । आप लिख कर दीजिये, साढ़े सात वर्षों तक बैठ कर के विभाग में ....

(व्यवधान)

हल्की लगती हो तो मिर्ची लग जाती है, कहीं कड़ा लगेगा तो और लग जायेगा । अभी तो सहलाया है तो दर्द हुआ है, कहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है बाप-बाप करने लगें ।

सभापति महोदय, हम टाल क्षेत्र की चर्चा करना चाह रहे थे । टाल क्षेत्र हमलोगों का भी इलाका आता है । कचरा घडिया से लेकर दिहरा के इलाके के रास्ते निकल करके ही इलाका जाता है टाल क्षेत्र का । दलहन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है इलाका । महोदय, चर्चा तो अभी कर रहे थे लेकिन चर्चा में माननीय कृषि मंत्री को चार कदम आगे बढ़ कर के काम करने के लिये कहिये तो । महत्वकांझी योजना पर चार कदम आगे बढ़े, राजनीति से हट करके आगे बढ़िये ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य अब आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री अत्री मुनी ऊर्फ शक्ति सिंह यादव : और राज्य के सर्वांगीन विकास में अपना योगदान दीजिये, राज्य की जनता आपको धन्यवाद देगी । माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, अब आप बार-बार स्थान ग्रहण करन के लिये कह रहे हैं । अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो सदन में अनुदान मांग प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री आलोक मेहता जी ने सहकारिता विभाग के संबंध में जो मांग पेश किया है, उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हूआ हूं । मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं क्योंकि मैं 2005 से विधायक हूं और यह देख रहा हूं कि जब से माननीय श्री आलोक मेहता जी मंत्री बने हैं, तभी से सहकारिता विभाग पर डिबेट हो रहा है । पहले सहकारिता विभाग पर डिबेट नहीं होता था। विगत वर्षों में मैंने देखा है कि सहकारिता विभाग एक लीडिंग डिपार्टमेंट बना है और उस पर डिबेट हो रहा है । इसके लिए मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है । उनकी रहनुमाई में चलने का मौका मिला है और देखने का मौका मिला है कि गांवों का विकास कैसे हो रहा है । महोदय, हमलोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं । हमलोगों का मुख्य मकसद है किसानों का

विकास, गांवों का विकास, ग्रामीणों का विकास । हमारा गांव कैसे बढ़े, हमारा किसान कैसे बढ़े, इसके लिये हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजनायें बनायी है और उन योजनाओं को धरती पर लाने का काम किया है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केवल बोलते नहीं हैं, केवल खाका खींचते नहीं हैं बल्कि उसे अमली जामा पहनाने का काम भी करते हैं । इसलिए आज मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

महोदय, सहकारिता एक आंदोलन है और सहकारिता का जो मूल मंत्र होता है एक दूसरे का सहयोग । एक दूसरे के सहयोग से ही कोई कार्य होता है, हम उसी को सहकारिता कहते हैं और सहकारिता के तहत ही हम आगे बढ़ते हैं और को-ऑपरेशन, जहां एक दूसरे का सहयोग होगा, जहां एक जमात होगा, एक सकारात्मक सोच होगा तो सहकारिता निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा । आज हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे परिवार कौन है तो वह सहकारिता परिवार है । आज बिहार के किसी कोने में चले जाईये, किसी गांव में चले जाईये, किसी टोले में चले जाईये या देश के किसी कोने में चले जाईये या विदेश के किसी कोने में चले जाईये, हर जगह सहकारिता मिलेगा । इसलिए सहकारिता एक बहुत बड़ा जमात है । सहकारिता कक बिना हम नहीं चल पाते हैं । जहां सहकारिता विकसित है, वह देश विकसित है । हमारे यहां केवल कृषि के क्षेत्र में ही सहकारिता काम करता है । लेकिन अन्य जगहों पर जा कर देखिये, यूरोपीयन कंट्री में जा कर देखिये, वहां कृषि के अलावे एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में, मार्केटिंग के क्षेत्र में सहकारिता काम कर रहा है ।

क्रमशः

टर्न-18/राजेश/15.3.17

श्री जितेन्द्र कुमार, क्रमशः इसलिए मैं तो चाहूंगा कि सहकारिता हरेक क्षेत्र में लागू हो ताकि हमारे समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उनका भी विकास हो । आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारे किसानों का विकास कैसे हो, उत्पादन तो हो रहे हैं, इन्द्रधनुषी क्रांति बिहार में लागू है और इन्द्रधनुषी क्रांति के तहत बिहार में पैदावार बढ़े हैं और हम आगे बढ़े हैं लेकिन उपज का सही मूल्य मिले, उन्हें सही दाम मिले, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिप्राप्ति की शुरुआत की । महोदय, 6, 7 साल पहले अधिप्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं थी बिहार में, कोई जानता भी नहीं था कि अधिप्राप्ति क्या है, यह केवल चंद लोगों के हाथों में था, चंद लोग ही धान की अधिप्राप्ति करते थे, किसी को पता नहीं था, जनप्रतिनिधियों को भी मालूम नहीं था कि अधिप्राप्ति कौन करते थे, वे अरबपति, खरबपति बन जाते थे लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी पैक्स हैं, जितने भी व्यापार मंडल हैं बिहार में, आज 8365 पैक्स है महोदय, 521 व्यापार मंडल है, तमाम पैक्सों को, व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति का अधिकार दिया गया

है, लोग अधिप्राप्ति कर रहे हैं, इसका विकेन्द्रीकरण हुआ है, कोई नहीं कह सकता है कि बिचौलिया है, कोई नहीं कह सकता है कि लूट है, जो लोग नहीं जानते हैं सहकारिता के बारे में, वही कह सकते हैं कि घोटाला हो रहा है, आज ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हो रहा है महोदय, आज सीधे-सीधे निमंत्रण हो रहा है, आज आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों का भुगतान हो रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है, आज लोग डरते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे प्रधान सचिव जी बैठे हैं, हमारे रजिस्टार साहब बैठे हैं, वे काफी मेहनत किये हैं और आज बिचौलिया नहीं है, आज ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसका अनुश्रवण हो रहा है महोदय, मोबाईल एप है, उसका तकनीकि उपयोग किया जा रहा है, कोई भी आदमी इसको देख सकता है, आप देख सकते हैं महोदय, आज विपक्ष के लोग भी जब बाहर निकलते हैं, तो बोलते हैं कि माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में विकास हुआ है, भले ही आप राजनीतिक विरोध के लिए यहॉ बोल रहे हो कि विकास नहीं हो रहा है लेकिन आप अपने दामन पर हाथ रखिये और महसूस कीजिये कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या विकास हो रहा है, क्या परिवर्तन हुए हैं, वह तो इनको महसूस करने की जरुरत है, आप महसूस कीजिये, आप दरभंगा में जाकर देखिये, आप लख्खीसराय में जाकर देखिये, गया में जाकर देखिये, आप लोग पहलीं एन0डी0ए0 के हिस्साा थे, आप ही के लोग सहकारिता मंत्री थे, उस समय क्या हो रहा था, कहीं कोई अनुश्रवण नहीं हो रहा था, कोई रिव्यूह नहीं हो रहा था लेकिन आज महोदय कोई यह नहीं कह सकता है कि जो चुनाव हो रहा है, आज पैक्सों का चुनाव हो रहा है, आज व्यापार मंडलों का चुनाव हो रहा है, सहयोग समितियों का चुनाव हो रहा है, पहले लोग कहते थे कि थैला में ही सब कुछ हो जाता था, पहले यह चुपके-चुपके हो जा रहा था लेकिन हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने सोचा कि इसका चुनाव निष्पक्षतापूर्वक कराना चाहिए और राज्य प्राधिकार निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, प्राधिकार का गठन हुआ और आज जो छोटी-छोटी समितियॉ हैं, उनका भी प्राधिकार के द्वारा चुनाव हो रहा हैं, आज पैक्सों का भी चुनाव प्राधिकार के माध्यम से हो रहा है, व्यापार मंडलों का चुनाव प्राधिकार के माध्यम से हो रहा है, अब यह कहॉ से चुपके-चुपके हो जायेगा, कहॉ से जो चाहेंगे, हो जायेगा, आज तो पारदर्शिता है और निष्पक्षतापूर्वक चुनाव हो रहा है महोदय, इसलिए आज हम कोटि-कोटि आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति । महोदय, हमें कुछ बात कहनी हैं । आज सहकारिता में इनकम टैक्स लग गया, इनकम टैक्स का विरोध करना चाहिए, हमने इसे कई बार ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तारांकित प्रश्न के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, इस प्रश्न को उठाया है और राज्य सरकार का सकारात्मक जवाब भी आया है, हम किसान है, यह किसानों का उपज है, एक सहकारी संस्था है और इनकम टैक्स यानि कि हम किसानों का भी

जो रुपया है उसपर भी इनकम टैक्स लगेगा, यह तो राज्य सरकार को देखने की चीज है महोदय, आज विपक्ष के लोगों से कहना है कि इसे आप देखिये और केन्द्र को कहिये कि कॉपरेटिव से इनकम टैक्स को दूर करें तभी सभी कॉपरेटिव का विकास होगा, सभी सहकारिता का विकास होगा । सभापति महोदय, अब आप नोटबंदी को ले लीजिये, महोदय, राज्य में 22 कॉपरेटिव बैंक हैं और एक स्टेट कॉपरेटिव बैंक है, तो उसमें क्या हुआ महोदय, नोटबंदी के दरमियान क्या हुआ महोदय, चार दिन चला कि आप कॉपरेटिव बैंक में पैसा जमा कर सकते है लेकिन पॉचवा दिन क्या हुआ, आदेश आ गया कि अब कॉपरेटिव बैंक में पैसा जमा नहीं कर सकते, इससे बड़ा आघात लगा महोदय, तो जिनका-जिनका एकाउन्ट था, उस एकाउन्ट में भी वे अपना पैसा जमा नहीं कर सकते थे, तो इससे अविश्वास पैदा हुआ, ये विपक्षी दल को सोचना चाहिए कि आप कॉपरेटिव बैंक को बढ़ाना चाहते हैं, आप पैक्सों को बढ़ाना चाहते हैं, आप किसानों को बढ़ाना चाहते हैं क्या सोच है आपकी, इसको स्पष्ट करना चाहिए, केवल बड़ी-बड़ी बात कहने से काम नहीं चलेगा, आज महोदय एक बात कहना चाहेंगे कि आज कॉपरेटिव बैंक में सहकारी पैसा जमा नहीं हो रहे हैं और यह एक विचारणीय और गंभीर मामला है । हमने कई बार कहा है कि आप कॉपरेटिव बैंक पर विश्वास करते हैं, कॉपरेटिव बैंक में अधिकतर पैसा किसानों का जमा होता है और सरकारी पैसा जमा नहीं होता है, यह दुर्भाग्य की बात है महोदय और इसे देखने की जरुरत है और जो हमारा सहकारी पैसा है और जो हमारे डिपोजिटर्स विश्वास करते हैं हमारे बैंकों में, वह पैसा कहॉ लगता है अधिप्राप्ति में, यह किसानों के लिए लगता है, डिपोजिटर्स पैसा लगाते हैं, तो कहॉ लगाते हैं अधिप्राप्ति में और कॉमर्शियल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक अपने राज्यों में, दूसरे राज्यों में व्यवसाय करता है, इसीलिए महोदय आज हमारे बैंकों का सी0डी0 रेसियो क्या हो गया है, यह 70 प्रतिशत हो गया है, जब अन्य बैंकों का, व्यवसायिक बैंकों का, सी0डी0 रेसियो 40 प्रतिशत है महोदय, तो यह देखने की जरुरत है और मैं मानता हूं कि हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी इसमें गंभीर है, इसके लिए पत्राचार भी किया है और इसमें विश्वास करने की जरुरत है क्योंकि हम भी कॉपरेटिव बैंक जिला सहकारी कॉपरेटिव बैंक का रिजर्व बैंक ने लाईसेंस दिया है, हमारे पास भी अनुज्ञप्ति है, तो क्यों नहीं हमारे बैंकों में पैसा जमा हो, क्यों नहीं हमारे बैंकों में रुपया जमा हो, आप लोग बैठिये, आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं । महोदय, हम कहना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक के द्वारा और नावार्ड के द्वारा कुछ मामले चल रहे हैं महोदय, पूरे बिहार में त्रिस्तरीय कॉपरेटिव है और सुनने में आ रहा है जिला सहकारी कॉपरेटिव बैंक को समाप्त कर दिया जाय, तो जब स्ट्रक्चर ही नहीं रहेंगे, तो यह परेशानी होगा महोदय, क्योंकि जिला से ही किसानों का जुड़ाव रहता है, हर जिला के किसान आते हैं, केन्द्रीय बैंक में आते हैं लेकिन यह कुचक्र चल रहा है कि त्रिस्तरीय

को समाप्त करके दो स्तरीय किया जाय, इसका हमलोगों को विरोध करना चाहिए और केन्द्र सरकार को कहना चाहिए कि दो स्ट्रक्चर न हो करके जो यथावत है त्रिस्तरीय यानि की पैक्स केन्द्रीय सहकारी बैंक और रजिस्टर्ड कॉपरेटिव बैंक यह तीनों ही रहे और किसानों की सेवा करते रहे महोदय । अब हम मेन बात कहना चाहेंगे महोदय कि कॉपरेटिव बैंक के चेक का भैल्यू नहीं है, कॉपरेटिव बैंक के एकाउन्ट का भैल्यू नहीं है, यह महोदय दुख लगता है कि हमलोग कॉपरेटिव की बात करते हैं, पैक्सों को बढ़ाने की बात करते हैं, कॉपरेटिव बैंक को बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन आप कोई भी सरकारी काम में जाइये, तो आपका कॉपरेटिव एकाउन्ट नहीं चलेगा, आप किसी दूसरे कॉमर्शियल बैंक से करवाइये, आप दूसरे बैंक का चेक दीजिये, आप चुनाव लड़ते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे पास कॉपरेटिव बैंक का अगर खाता है, तो निर्वाचन आयोग कहता है कि नहीं-नहीं, यह कॉपरेटिव बैंक का खाता नहीं चलेगा, किसी कॉमर्शियल बैंक से करवा लीजिये, यह तो देखने की चीज है और इसे दूर करना चाहिए, तो यह दोयम दर्जे की बात क्यों होती है, जबकि हमलोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, इसके लिए हमारे पास लाईसेंस भी है, तो यह काम होना चाहिए ।

महोदय, हम एक बात और कहना चाहेंगे, आपलोग सुनिये, विजय बाबू सुनिये जरा धैर्य से, हम किसानों के हित की बात कह रहे हैं । महोदय, पैक्सों का चुनाव हो रहा है, व्यापार मंडलों का चुनाव हो रहा है अन्य प्रकार की समितियों का चुनाव हो रहा है, अब इसके लिए भी फीस जमा करना पड़ता है, महोदय पॉच हजार का फीस जमा करना पड़ता है, जब पॉच हजार का फीस जमा करेंगे तभी चुनाव होगा, यह क्या है मामला महोदय, पॉच हजार का फीस जो जमा नहीं करेगा, चुनाव संभव नहीं हो पायेंगे, महोदय इसे दूर करना चाहिए और नि:शुल्क चुनाव होना चाहिए, सरकार चुनाव कराना चाहती है, अब पैसा देना मजबूरी हो जाता है पैक्सों को, अन्य प्रकार की समितियों को... ..... (व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य अब एक मिनट का वक्त आपके पास है ।

श्री जितेन्द्र कुमार: महोदय, पैक्सों में, हर व्यापार मंडलों में 10 साल पहले, 8 साल पहले कितने गोदाम थे, कितने राईस मिल थे बिहार में लेकिन आज कृषि रोडमैप के अंदर लगभग तमाम पैक्सों में गोदाम बन रहे हैं, राईस मिल का काम हो रहा है, जेसिफायर बन रहे हैं और आई0सी0डी0पी0 योजना के तहत कई जिलों में काम हो रहे हैं महोदय और चावल मिल, महिला विकास, कुकुरपालन, मधुमक्खीपालन, मत्स्यपालन आदि के काम हो रहे हैं और एक बात कहना चाहेंगे कि प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल है और बिहार में 521 व्यापार मंडल है और व्यापार मंडलों का केवल काम रह गया है अधिप्राप्ति, प्रखंडस्तरीय यह संस्था है, इसको उस माध्यम से करवाया जाय क्योंकि इसकी काफी उपयोगिता है और यह प्रखंडस्तरीय संस्था है इसे बढ़ावा देना चाहिए महोदय ।

क्रमशः

टर्न-19/सत्येन्द्र/15-3-17

श्री जितेन्द्र कुमार(क्रमशः)हम तो कहेंगे महोदय कि पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, कृषि विभाग के तहत जो अनुदान आता है या अन्य काम होता है उसमें उनकी अनुशंसा करवाने की जरूरत है, पैक्स अध्यक्षों से क्योंकि वे भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए । चाहे बीस सूत्री में हो उनको अधिकार मिले या अन्य निगरानी समिति में अधिकार मिले या चाहे जो भी अनुदान मिलते हैं कृषि विभाग द्वारा..

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री जितेन्द्र कुमारः महोदय, कृषि विभाग के द्वारा जो अनुदान मिलता है उनमें उनकी अनुशंसा होनी चाहिए । मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि आपके यहां भी को-ऑपरेटिव बैंक नहीं है और सरकार इसके लिए गंभीर है । आज मधेपुरा में, सुपौल में, दरभंगा में और सारण में भी को-ऑपरेटिव बैंक खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए सरकार कार्य कर रही है । नाबार्ड से उसके निबंधन कराने की प्रक्रिया चल रही है। महोदय, हमारे राज्य में अभी तीन को-ऑपरेटिव बैंक बंद हैं जो पहले थे डिफॉल्टर हो गये थे जिसका लाईसेंस रद्द हो गया था सरकार उसके लिए गंभीर है महोदय और उसको खोलवाने के लिए हमारे विभाग के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं,तमाम अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, मुकुल साहब और बरियार साहब यहां बैठे हुए हैं उनके नेतृत्व में विभाग आगे बढ़ेगा । यही उम्मीद और विश्वास पर हम कह रहे थे महोदय एक बहुमूल्य बात और है को-ऑपरेटिव के लिए, अच्छी बात है महोदय बैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसा हुई थी और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और नाबार्ड ये तीनों के द्वारा एक समझौता हुआ था और उसके तहत कहा गया था कि पैक्सों को आर्थिक उद्धार करना है, को-ऑपरेटिव बैंक को उद्धार करना है, वह समझौता के तहत हुआ था लेकिन उसके साथ आर्थिक पैकेज देना था राज्य सरकार अपना पैसा दे दिया लेकिन केन्द्र सरकार के पास अभी तक 375 करोड़ जो है वह आज तक बकाया है । अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो आज भी को-ऑपरेटिव आगे नहीं बढ़ पायेगा महोदय । हम कहना चाहेंगे, महोदय इस अवसर पर कहना चाहेंगे कि सी0ए0 की बहाली नहीं हो रही है, बैंकों में सी0ए0 के बहाली नहीं हो पा रही है जिस कारण रिजर्व बैंक द्वारा लगातार सभी को-ऑपरेटिव बैंक को पेनाल्टी लगाया जा रहा है, सी0आर0ए0आर0 का मेनटेनेंस नहीं हो पाता है और चुक हो जाता है केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा और महोदय,क्या करता है रिजर्व बैंक, करोड़ों करोड़ पेनाल्टी लगा रहा है तो प्रोफेसनल्स की आवश्यकता है महोदय इसकी आवश्यकता है इसको पूरा किया जाय ताकि हमारा बैंक बढ़ सके और कोई पेनाल्टी नहीं लग सके । महोदय, एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे..

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव)माननीय सदस्य,अब आपका समय हो गया है ।

श्री जितेन्द्र कुमार: एक मिनट महोदय, कई पैक्स हमारे डिफाल्टर है, वह काम नहीं कर रहा है उनको भी मौका मिलना चाहिए महोदय, पूर्व के लोगों ने जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा गड़बड़ी की गयी थी अभी वह पैक्स काम नहीं कर रहा है, वह अधिप्राप्ति नहीं कर रहा है तो हम कहना चाहेंगे कि वैसे पैक्सों को भी काम करने का मौका दिया जाय महोदय।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव)माननीय सदस्य,अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री जितेन्द्र कुमार: आपने मुझे समय दिया महोदय इसके लिए आपको अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं और हम चाहेंगे कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे ,हमारा गांव आगे बढ़े । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ जय हिन्द, जय सहकारिता।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 के सहकारिता विभाग अन्तर्गत 7 अरब 50 करोड़ 45 लाख रू0 जो मांगी गयी है उसके कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं अपनी बात को सदन में रखना चाहता हूॅ । महोदय, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और सहकारिता से संदर्भित सदन में चर्चा रखी गयी है तो सहकारिता और कृषि दोनों में अन्योनाश्रय संबंध होने के नाते मूल बातें देखने की चीज है कि कृषि का रोड मैप कैसा हो और उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में जो बहुत सारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो अपना संबोधन दिया उसमें पैक्स से संदर्भित कई छोटे छोटे कुटीर उद्योग से संदर्भित कईएक क्षेत्रों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी थी । महोदय,मैं इसके संदर्भ में पशुधन को लेकर के भी अपनी बात को रखना चाहता हूॅ कि भारत में पहली बार गुजरात में एनिमल हेल्थ कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय में हेल्थ कार्ड लागू किया गया था और यह पहली बार हुआ था महोदय और महोदय, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था की मजबूती के लिए सहकारिता की अहम भूमिका है और भारत का गौरब स्वेत क्रांति एवं हरित क्रांति को लेकर के है। महोदय, हम जिस कार्य को लेकर के जिस क्षेत्र में हम विकास को देखना चाहते हैं उसमें हरित क्रांति, श्वेत क्रांति की अहम भूमिका है । हम दूध के और डेयरी के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा महति भूमिका निभाने का प्रयास करते रहे है । भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का मुख्य भूमिका रहा है पशुपालन को हम एक बोझ के संज्ञा के रूप में नहीं देखें चूंकि पशुपालन एक ऐसा व्यवस्था है सहकारिता के माध्यम से जिसमें हम गांव में रहने वाले छोटे छोटे खास तौर पर महिलाओं के बीच में यदि ये पशुधन जो है ज्यादा से ज्यादा पाला जाये तो उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह काफी सुदृढ़ हो सकती है । महोदय, हमने देखा है कि पश्चिम के राष्ट्र गुलाबी क्रांति के प्रति अग्रसर रहते हैं उसके पीछे एक खास भूमिका

रही है मीट और मटन का जबकि हमारी जो भूमिका है वह है श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की दोनों के जो सम्बर्द्धन की बात है दोनों में विषयांतर है महोदय, हम इस क्षेत्र के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि कृषि पशुपालन बोझ नहीं सम्पदा बने इस दिशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने और गांव की खरीद शक्ति बढ़ाने का प्रयास हमारी ओर से होनी चाहिए । देश एवं दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है इसकी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए अनाज कृषि उत्पादन तथा दूध जैसी आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने के लिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए व्यूह रचना और पुराने तौर तरीके पर चलायी नहीं जा सकती है। 21वीं सदी में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ है, जमीन बढ़ने वाली नहीं है उसके टूकड़े हो रहे हैं ऐसे में खेती की उत्पादकता वैज्ञानिक पशुपालन और सम्बर्द्धन के लिए नीति निर्धारित होनी चाहिए । नियमित खेती पशुपालन और खेती के समान हिस्से के संतुलन को बनाये रखना भी हमारे लिए आवश्यक है । महोदय, चूंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उद्योग विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संदर्भ में इस सदन में चर्चा का विषय बनना चाहिए था उसके संदर्भ में मैं राजस्व से संदर्भित कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ । हमारी सरकार भूमि के सुधार से संदर्भित बहुत सारी बातें किया करती है । आप देखेंगे तो जो परिस्थिति अभी बिहार में है हमारा जो कृषि है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है और छोटे छोटे टुकड़े में जमीन बंटी रहने के कारण जो अभी यंत्र की व्यवस्था हो रही है जो सुदृढ़ यंत्र हमारे यहां कृषि के लिए दी जा रही है उसमें ये छोटे छोटे टुकड़ों में उसको सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं उसके लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं पूर्व में बनायी गयी थी चकबंदी को लेकर उस चकबंदी योजना का 14 जिला में क्रियान्वयन हुआ और आजतक उस चकबंदी जो पूर्णरूपेण इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उसमें कई एक मौजा में जहां पूर्ण चकबंदी हुई, उस पूर्ण चकबंदी के तहत जो भू-धारक है उनको दखल-दिहानी तक नहीं करवाया गया जबकि जो चकबंदी करायी गयी थी बिहार सरकार की ओर से उसका जो रजिष्टर-2 में किसानों का जो है जिन चकधारी को भूमि आवंटित करायी गयी थी उनके छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर बड़ा भूखंड दिया गया था उनको दखल-दहानी नहीं दिलायी गयी और जो चक के आधार पर खाता खेसरा दिया गया उसके आधार पर निबंधन की जो व्यवस्था थी वह करायी जा रही है आज । (क्रमशः)

टर्न-20/मधुप/15.03.2017

श्री विद्या सागर केशरी : ..क्रमशः.... ट्रैक्टर का लोन, कृषि का लोन, कई एक लोन उसी चक के आधार पर दिया जा रहा है लेकिन वर्त्तमान समय में कई एक मौजे ऐसे हैं जहाँ भूमि अर्जित की जा रही है, उस अर्जित भूमि का मूल्यांकन और उसके संदर्भ में ऐसे भू-धारी को दिया जाना था, आज सरकार की जो भूमिका है, वह दोहरे मापदंड को अपनाती है ।

जहॉ भू-अर्जन किया गया, जिस मौजे में पूर्ण चकबंदी हो गई थी, वैसे मौजे में सरकार की ओर से यह प्रावधान होना चाहिये कि दखल-देहानी करवाये, सरकार कब्जा करवाये उस जमीन का और जो पूर्ण चकबंदी हुई है वैसे चक को चकधारी को प्राप्त करावे । सरकार की इस दोहरी मापदंड का नतीजा ऐसा है कि जो आर0एस0 खेसराधारी है और जो चक खेसराधारी है, दोनों में विषयांतर पैदा हो गया है । ऐसी स्थिति में सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि सुदृढ़ निर्णय दें ताकि कहीं कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो ।

महोदय, मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संदर्भित तथ्यों को रखना चाहता हूँ । आज जो हलका कर्मचारी हैं पूरे बिहार के, इनलोगों की तो महती भूमिका है, उस भूमिका पर पानी फिरता हुआ देखा जा रहा है । जो अंचल पदाधिकारी हैं पूरे राज्य के, ये सारे भ्रष्ट काम में लिप्त हैं । एक-एक दखल-देहानी, एक-एक काबिल लगान, एक-एक दाखिल-खारिज के लिये इनलोगों के द्वारा दो-दो तीन-तीन रसीद एक ही जमीन का काटा जाता है । जो कर्मचारी और अंचल अधिकारी हैं, इनका जो रवैया है पूरे बिहार में, ऐसा रवैया किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिलता है । हम सदन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि कम से कम अभी वर्त्तमान समय में सरकार की जो वस्तुस्थिति है, हर प्रखंड में, हर जिला मुख्यालय में एक मंगलवार के दिन जमीन से संदर्भित विवादों का निपटारा वहॉ करवाया जाय लेकिन जमीन विवाद का निपटारा उस प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर कभी भी देखा और सुना नहीं जाता है । 15 दिन का समय दाखिल-खारिज के लिये दिया जाता है, जहॉ विवाद है, वहॉ दो महीने का समय दिया जाता है लेकिन वस्तुस्थिति जो देखने में मिल रहा है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहॉ रोज झगड़े-लड़ाई गॉव में नहीं होते हैं । एक-एक अंचल पदाधिकारी के माध्यम से, चार-चार ऐसे अनावश्यक लोगों को एक-एक कर्मचारी रखते हैं जो पैसा उगाही का काम करते हैं । महोदय, पूरे राज्य में ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सरकार हाथ पर हाथ देकर बैठी हुई है ।

महोदय, मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप खुद इसकी जॉच करवा लें, पूरे राज्य में कर्मचारी लोगों की जॉच करवा लें, इनकी जो कार्यशैली है उसकी जॉच करवा लें, जो अंचल पदाधिकारी हैं उनकी जो कार्यशैली है, उसपर जॉच करा लें ।

हमारे जिला में वर्त्तमान समय में यात्रा के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी गये हुये थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भूमि विवाद से संदर्भित आये हुये थे, जब उन्होंने डी0सी0एल0आर0 और अंचल अधिकारी से इस संदर्भ में पूछा कि ये सब मामले क्यों वर्त्तमान समय में जमावड़ा में पड़े हुये हैं तो कोई एक शब्द बोलने के लिये तैयार नहीं था । महोदय, अब ऐसी परिस्थिति है कि जो जमीन महादलितों को, दलितों को 3

डिसमल जमीन दिया जाता है, चाहे वह भूदान यज्ञ से मिली हुई जमीन हो या सरकार पैसे से खरीद कर दी हो....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, 5 डिसमल जमीन दी जाती है, 3 डिसमल के बदले ।

श्री विद्या सागर केशरी : 3 डिसमल तो पहले दी जाती थी, नया जो लिया जा रहा है, रैयतों के माध्यम से लिया जा रहा है, जो सरकारी जमीन नहीं है, वैसे जमीन में 5 डिसमल जमीन दी जा रही है । वैसे जमीन भी जो दिये जा रहे हैं, उन महादलितों को जमीनों पर भी दखल-कब्जा दिलाना सरकार का काम होता है, ऐसे बहुत सारे जमीन हैं जहाँ हम तो पर्चे बाँट देते हैं लेकिन जो दखल-देहानी दिलानी चाहिये सरकार की ओर से, वह कभी भी नहीं हो पाती है । ऐसे भी बहुत सारे जमीन हैं जो बासगीत पर्चा के रूप में 3 डिसमल जमीन लोगों को हम आवंटित कर देते हैं लेकिन कभी ऐसे जमीनों पर जाँच करायी गयी कि जिनको हम बासगीत पर्चा आवंटित कर रहे हैं, उनका पूर्व में कोई जमीन है या नहीं है ? अधिकारियों के मनमानी के द्वारा ऐसे लोगों को जमीन आवंटित की जाती है जहाँ उन आवंटित धारकों को जमीन की आवश्यकता नहीं है, उनको पूर्व में ही वैसी जमीन उपलब्ध है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो धान के संदर्भ में अभी बहुत सारी बातें आई थीं कि धान क्रय में सरकार के द्वारा जो प्रावधान था खरीदारी में उसमें बहुत कमी की गई थी....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, एक मिनट अब आपके पास वक्त बचा है ।

श्री सत्यदेव राम : एक मिनट समय बचा है, गरीबों के पक्ष में बोल दीजिये, भूमिहीनों के बारे में बोल दीजिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में धान खरीदारी के मामले में काफी कमी रह गई है । महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : एक मिनट समय है ।

श्री विद्या सागर केशरी : विज्ञान एवं प्रावैधिकी के बारे में कहना चाहता हूँ कि भारत की विज्ञान प्रोद्यौगिकी की विकास यात्रा प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होती है । भारत का अतीत ज्ञान से परिपूर्ण था और भारतीय संसार का नेतृत्व करते थे । सबसे प्राचीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानवीय क्रियाकलाप मेहरगढ़ में पाये गये थे, जो अब पाकिस्तान में है । सिंधु घाटी की सभ्यता से होते हुये यह यात्रा राज्यों में साम्राज्यों तक आती है । यह यात्रा मध्यकालीन भारत में भी आगे बढ़ती रही, ब्रिटिश राज में भी भारत में विज्ञान एवं तकनीकी की पर्याप्त प्रगति हुई तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी में तेजी से सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया ।

श्री विद्या सागर केशरी : सन् 2009 में चन्द्रमा यान भेजकर एवं वहॉ पानी की प्राप्ति का नया खोज करके इस क्षेत्र में भारत ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा देकर.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आपका समय हो गया ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, 2 मिनट आपके पास बोलने के लिये वक्त है ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

सरकार बिहार का समग्र विकास चाहती है और हमलोग भी इसके समर्थन में हैं लेकिन समग्र विकास की कुंजी भूमि सुधार है परन्तु सरकार इस गम्भीर मसले पर कोई चर्चा नहीं कराना चाहती है । पिछले साल भी बजट सेशन के दौरान हमलोगों ने इस सवाल को उठाया था तो क्या कारण है कि सरकार भूमि सुधार पर वाद-विवाद से बचना चाहती है ?

पिछली सरकार ने भूमि सुधार आयोग का गठन किया था । जिस आयोग ने कहा कि बिहार में 21 लाख 85 हजार एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल है, बिहार सरकार की जमीन है । उस आयोग ने यह भी कहा था कि 16 लाख परिवारों को एक-एक एकड़ खेती योग्य जमीन, 10 डिसमल बासगीत जमीन दिया जा सकता है । उस आयोग ने यह भी कहा था कि बिहार में 77 प्रतिशत खेती बटाई पर होती है लेकिन बटाईदार किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती है । बटाईदार किसानों को पहचान-पत्र दिया जाय । आयोग की उस रिपोर्ट को सरकार ने गतलखाने में डाल दिया और पिछले साल से हमलोग देख रहे हैं कि इस गम्भीर मसले पर कोई बहस नहीं । दावे किये गये हैं जमीन बॉटने के कि 70 हजार परिवारों को, पर्चाधारियों को कब्जा दिलाया गया है । मैं समझता हूँ कि दावे इसके उलट हैं । अभी पिछले बजट सेशन में इसी सरकार के माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया था, पश्चिम चम्पारण के रामनगर में गौनाहा प्रखंड में सौ एकड़ जमीन 1971 में वहॉ के भूमिहीनों को मिला था, आदिवासियों को, दलितों को लेकिन उस जमीन से रामनगर स्टेट ने उनको मारकर भगा दिया है ।

...क्रमशः...

टर्न–21/आजाद/15.03.2017

श्री सुदामा प्रसाद : (क्रमशः) माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि जॉच के लिए कमिटी बनायेंगे और हम इस सवाल को ध्यानाकर्षण में लाये थे लेकिन एक साल बाद भी वह कमिटी नहीं बनी, इसकी कोई जॉच नहीं हुई । कहा जा रहा है कि 5 डिसमिल जमीन दे रहे हैं, सरकार जमीन उपलब्ध करा रही है, बिल्कुल यह गलत है । अभी 01 जनवरी को अररिया जिला के रहरिया टोला में जिनकी अपनी खतियानी जमीन है, मुशहर जाति के लोगों का 7 एकड़ जमीन है और उस जमीन से उनको उजाड़ने के लिए वहां पर हमला किया गया वहां स्थानीय विधायक के रिश्तेदारों के जरिये और कमलेश्वरी ऋषिदेव, सत्यनारायण यादव को गोली मारकर हत्या कर दी गई, पीट–पीट करके हत्या कर दी गई लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है । हमारे विधायक जी यहां पर उदाहरण है, भूमि सुधार के ही सवाल पर भूमिहीनों को मिला था बिहार सरकार की जमीन के पर्चा और लोग उस पर बसे हुये थे गुठनी प्रखंड में और चले गये सामन्त उजाड़ने के लिए और इसका जब प्रतिरोध हुआ तो झुठे केस में सत्यदेव राम को फंसाकर जेल में बन्द किया गया है । भूमि सुधार पर सरकार मुँह चुराकर कहां भागना चाहती है । इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर आप बिहार का विकास चाहते हैं तो इसपर बहस कराईए, इसपर वाद–विवाद कराईए और इसके लिए समय निर्धारित कीजिए।

दूसरी बात सहकारिता विभाग के लिये हमलोग कहना चाहते हैं कि यह जो सरकार दावा कर रही है कि 4 महीना में 12लाख मे0टन धान की खरीद हुई है 15 नवम्बर से 15 मार्च के बीच में और 15 दिनों में सरकार यह बताये कि 18 लाख मे0टन धान की खरीद सरकार किस एजेंसी से करायेगी, कितना संसाधन जुटायेगी और कितने लोगों को जुटायेगी । 4 महीने में 12 लाख मे0टन और 15 दिनों में 18 लाख मे0टन धान की खरीद कैसे होगी ? बिल्कुल हमलोगों ने ध्यानाकर्षण लाया था, दुर्भाग्य है कि उस समय भाजपा के मित्रों ने हल्ला–हंगामा करके, शीतकालीन सत्र के दौरान 2 दिसम्बर को वह ध्यानाकर्षण आया था, उसपर मंत्री महोदय का गलत ब्यान आया और उस समय नोटबंदी थी । हमलोगों ने रिपोर्ट लिया पूर्वांचल में, मिथिलांचल में, सब जगह 800 से लेकर 900 रू0 में धान की खरीद हो रही थी । महोदय, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि इस बार उन्होंने कहा कि हम बटाईदार किसानों का 50 क्विंटल धान लेंगे, हम धन्यवाद देते हैं लेकिन यह मांग करते हैं कि सरकार बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दे ताकि यह 7 अरब का योजना है, जो बजट पेश किया गया है, उसमें बटाईदार किसानों को भी मिले । क्योंकि खेती घाटे में जा रही है, इसीलिए लोग बटाई पर खेती लगा रहे हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, हम यह मांग करते हैं कि मंत्री महोदय, बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाय ताकि खेती में उनकी दिलचस्पी बढ़े और घाटे के खेती को फायदेमंद बनाया जा सके । धन्यवाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्या श्रीमती बेबी कुमारी, आपके पास 3 मिनट का वक्त है ।

श्री बेबी कुमारी : सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सहकारिता विभाग की मांग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ । महोदय, देश का कोई भी राज्य सहयोग से ही बढ़ सकता है । जो सहकारिता कभी बिहार का चेहरा हुआ करता था, वह आज मृतप्राय है । हमको सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए । लेकिन सहकारिता से जुड़ी संस्थायें दिनोंदिन मर रही है । महोदय, अभी सहकारिता विभाग का मूल काम है धान अधिप्राप्ति, धान अधिप्राप्ति की पूरे राज्य में बुरी स्थिति है, जो केन्द्र ढाई-तीन महीने पहले खुलने चाहिए, वे अभी तक नहीं खुले हैं । पैक्सों द्वारा धान की खरीद नहीं की जा रही है । कभी नमी के नाम पर कभी कुछ और । हमारी स्थिति यह है कि सभी केन्द्रों पर नमी मापक यंत्र नहीं है । धान को दाँत से नीचे दबा दिया जाता है। यहां एल0पी0सी0 में गोलमाल भी एक बड़ा काम हो गया है । महोदय, पदाधिकारियों की मिलीभगत से गलत एल0पी0सी0 निर्गत किया जाता है और उसी के आधार पर धान की खरीद कागज पर ही कर ली जाती है । लाखों का हिसाब कर लिया जाता है ।

महोदय, राजस्व विभाग भी आज की मांग में समाहित है । मैं राजस्व विभाग के संबंध में इतना ही कहना चाहती हूँ कि राजस्व विभाग की बुनियाद है कि राजस्व कर्मचारी, अमीन और सर्किल इन्सपेक्टर परन्तु इस राज्य में ये तीनों नहीं है । एक-एक अमीन पर पूरे अंचल का भार है । कई पंचायतों पर एक राजस्व कर्मचारी है । क्या होगा इस राज्य का भगवान ही मालिक है । महोदय, पूरे राजस्व विभाग में अनियमिततायें चरम पर हैं । जहां एक तरफ जमीन के लिये सरकार तरस रही है और चार गुना मुआवजा देती है । वही सरकारी जमीन का निजी लोगों के नाम से बन्दोबस्त किया जा रहा है । मैं एक-दो उदाहरण देना चाहती हूँ । हमारे यहां मुशहरी अंचल के अंचलाधिकारी हैं, उन्होंने सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती निजी नाम में कर दी । मैंने बन्दोबस्ती रद्द करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक और राजस्व भूमि सुधार मंत्री को, सभी पदाधिकारी को भी गुहार लगायी, परन्तु बन्दोबस्ती आज तक नहीं रद्द नहीं हुई और न अंचलाधिकारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई हुई । दूसरा उदाहरण है गया जिला के मानपुर अंचल के अंचलाधिकारी, अवर जिला निबंधक, गया को रोक लगाने संबंधी पत्र निर्गत होने के बावजूद भी सरकारी जमीन का निबंधन निजी नाम से हुआ

और उसका दाखिल खारिज कर रसीद काट दिया गया । लोगों ने गुहार किया लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई । महोदय, अब मुझे समय नहीं है, तीन मिनट ही समय दिया गया है, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि किसानों का डीजल अनुदान का 2015-16 का पैसा का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है । महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत,बहुत आभारी हूं और अपनी बात को खत्म करती हूँ । जय हिन्द,जय भारत । धन्यवाद।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी, दो मिनट आपके पास समय है ।

श्री राजू तिवारी : आदरणीय सभापति महोदय, मैं सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । बिहार का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक किसानों का विकास मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से नहीं होगा । जब तक हर तरह से बिहार के किसान खुशहाल नहीं होंगे, तब तक बिहार के विकास की बात करना दूर की बात होगी । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, अभी आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे कि 12 लाख टन धान की खरीददारी हुई है लेकिन पैक्स के माध्यम से जो खेल खेला जा रहा है, कागज पर खरीददारी होती है और उत्तरप्रदेश से, बगल के प्रदेश से धान लाकर के गोदाम में दिया जाता है, इससे कोई भी विधायक इंकार नहीं कर सकते हैं, लोग क्षेत्र से जुड़े हुये हैं । इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जो पैक्स का खेल खेला जा रहा है, पैक्स के खेल में धान की फर्जी खरीददारी हो रही है। पैक्स में सदस्य फर्जी बनाये गये हैं बहुत सारे, किसान को जो फायदा होता है, जो फर्जी खाताधारी है, जो पैक्स के सदस्य हैं, उनको पैक्स के माध्यम से लाभ कराया जाता है और इसमें भारी गोलमाल होता है । इसका धरातल पर लगभग सारे विधायक अपने-अपने क्षेत्र में अवगत हैं। मैं जौहरी नहीं हूँ कि सरकार के विरोध में हूँ तो सरकार के सारे कामों को दोष देता रहूँ , सरकार बढ़िया काम करेगी तो हमारे क्षेत्र में भी अच्छा काम होगा, हमारी जनता भी खुशहाल होगी । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि अभी हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज हैं, हमारे यहां बिहार में किसानों के पास आलू की बहुत अच्छी ऊपज हुई है और अभी बिहार में आलू 400रू0 क्विंटल बिक रहा है लेकिन खरीददार बाजार में अभी उपलब्ध नहीं हैं । कोल्ड स्टोरेज की मनमानी हमारे क्षेत्र में है, मैं मोतिहारी जिला के गोविन्दगंज विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ । हमको जानकारी में है कि 300रू0 प्रति क्विंटल इसका रेन्ट लिया जाना है लेकिन हमारे यहां 360-400 रू0 रेन्ट लिया जा रहा है धड़ल्ले से और ऑरिजनल रसीद उनको नहीं दी जा रही है । आखिर किसान को देखने वाला कोई नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि आप अपने एजेंसी

के माध्यम से किसानों को देखिये । किसानों की हालत बहुत खराब है । अभी हमारे यहां होली के दो दिन पहले ऑधी और ओलावृष्टि हुई है पूरे चम्पारण में और हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत में एक भी गेहूँ की फसल जो जमीन में पूरा बिछ गया है, दलहन की पूरी फसल खराब हो गई है, मक्का बुरी तरह से बर्बाद हो गया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि इसपर जॉच कराकर के वहां के किसानों को समुचित मुआवजा देने का कष्ट करें ।

..... क्रमशः .....

टर्न–22/अंजनी/दि0 15.03.2017

श्री राजू तिवारी, क्रमशः..... सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मेरी मंत्री जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है । मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, डायनेमिक हैं । मैं इनसे आशा भी रखता हूँ कि कम–से–कम किसानों की देखरेख में पूरा ध्यान देंगे, किसान जब खुशहाल रहेगा तो राज्य भी खुशहाल रहेगा । आप फसल बीमा कराते हैं और फसल बीमा जब होता है पैक्स के माध्यम से तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 40 से 50 परसेंट लोग फर्जी नाम से बीमा का लाभ ले लेते हैं । आप इसकी जांच कराइए, इसमें अरबों, करोड़ों का घोटाला है । किसानों को बहुत कम मात्रा में लाभ पहुंच रहा है । बिना बी.सी.ओ0 के, अब तो मंत्री जी से सुनकर बहुत खुशी हुई कि ऑनलाईन पैक्स के सदस्य होंगे । बिना बी0सी0ओ0 के, बिना पैक्स अध्यक्ष के इजाजत से एक भी आदमी पैक्स के सदस्य नहीं हो सकते थे तो ऐसी दशा थी सहकारिता विभाग के पैक्स की ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय हो गया ।

श्री राजू तिवारी : आखिर में, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे जिला में जो आंधी और ओलावृष्टि हुई है, मैं पूरे बिहार के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन हमारे जिला में भारी समस्या है, उसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि एक–दो दिन में जो किसानों की क्षति हुई है, उसकी उचित मुआवजा देने का काम करें, मैं इस बात को रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी, आपका समय दो मिनट है ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, दो मिनट में तीन बात कहूंगा, एक मिनट और बढ़ा दिया जाय ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : गागर में सागर भर दीजिए ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय सहकारिता मंत्री जी को कि अच्छे हैं और काम करने का संकल्प भी इनके पास है । इनके सवाल पर कोई टिप्पणी

नहीं करना चाहता हूँ लेकिन सहकारिता में पैक्स है । पहली बात यह है कि जब से यह सरकार आयी है, पैक्स का गठन हुआ है, चुनाव हुआ है । यह एक ऐसा राज्य है, जहां देश के सारे संवैधानिक पदों पर आरक्षण है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लेकिन पैक्स में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ों का आरक्षण नहीं है । इतने बड़े संवैधानिक पदों पर आरक्षण है और पैक्स में आरक्षण नहीं है, जिसके कारण दलित, शोषित, अतिपिछड़ा, अकलियत के लोग वंचित हैं । 80 से 90 प्रतिशत् वही लोग आते हैं जो पुराने पैक्स के मेम्बर हैं, जिन्होंने धन दिया, माल दिया और खरीद लिया, उसी को मेम्बर बनाया । इसमें बड़े लोगों का कब्जा है, आधिपत्य है तो मेरा एक सवाल है कि इसमें आरक्षण लागू हो । यह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ ।

दूसरा आग्रह, मैं सिर्फ उद्योग पर एक बात कहना चाहता हूँ । माननीय उद्योग मंत्री बैठे हुए हैं और उद्योग मंत्री जी बिहार में घूम-घूमकर कहते हैं कि हम कॉलेज खोलेंगे । कॉलेज खोल भी रहे हैं तो कह रहे हैं कि खोलेंगे । मेरे जिला में सात-आठ साल से कॉलेज की स्वीकृति है । रोहतास जिलान्तर्गत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के निर्माण कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में कहना चाहता हूं । दोनों माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ । निविदा निकाल दी गयी । सरकार कितना सच कहती है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ । माननीय सदस्य इलियास साहेब से कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कितना सच बोलती है, इसकी व्याख्या में कर देता हूँ । एकरारनामा हो गया है, सात-आठ साल हो गया । मौजा लिखा हुआ है इसमें । मेरा नहीं, इनकी सरकार का पत्र है । 92 करोड़ 62 लाख 92 हजार 500 करोड़ रूपया का निविदा निकाली गयी है और इसका मौजा संख्या भी है.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव)-: माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है ।

श्री ललन पासवान - एक मिनट सर । सुन लिया जाय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । कौरूप थाना, 351 खाता संख्या-220, खेसरा संख्या-432044 । माननीय मंत्री जी, किस कारण से निविदा निकालने के बाद इसका कार्य नहीं कराये ? हमारे यहां बंजारी सीमेंट फैक्ट्री है, वहां पर 800-900 लेबर काम करते हैं, उनका 9 माह से वेतन बंद है, पी0एफ0 का दस करोड़ रूपया बकाया है और उनको नहीं मिल रहा है और जिसके कारण वे लोग हड़ताल पर हैं । मैं उद्योग पर चर्चा कर देना चाहता हूँ । तीसरा आग्रह मेरा भूमि के संबंध में, राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं, कब हमलोगों का कॉलेज बनेगा, क्या इसके लिए भी सड़क पर या सदन में आन्दोलन करना होगा ? यह आप ही जानियेगा । महोदय, भूमि सुधार कानून अभी तक बिहार में लागू नहीं हुआ । पांच लाख लाल कार्डधारी हैं, उसी तरह चार-पांच लाख लोगों को वासगीत जमीन का पर्चा नहीं मिला है, इसका कारण यही है कि बिहार में ज्यादातर हत्यायें हो रही है । हमारे लोग जेल जा रहे हैं,

चूंकि भूमि कानून में गरीब मुशहर, डोम, चमार, दुसाध, पासी, नोन, नुनिया ये सारे लोग कहीं तालाब पर बसा हुआ है, इनको जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं दिया गया । थाना गये तो वहां कोई भूपति गये तो उनको लाठी से मारकर खदेड़ दिया तो हत्या हो गयी । भूमि कानून लागू नहीं हुआ, पर्चाधारियों पर सरकार दावा करती है, अंचलाधिकारी दाखिल-खारिज में पांच-पांच हजार, दस-दस हजार रूपया ले रहा है । हमारे यहां नौहट्टा, रोहतास, शिवसागर, चेनारी चार ब्लौक हैं, एक दिन हमने फोन किया, जन वितरण पदाधिकारी को अंचलाधिकारी बना दिया गया है तो उन्होंने कहा कि आवेदन लेकर माननीय विधायक जी आप चले आइए न, इसको हम देख लेते हैं । हमलोग चपरासी बन गये हैं, नौकरशाहों का राज है, बी0डी0ओ0,सी0ओ0 कहता है कि विधायक जी आवेदन लेकर चले आइए । कलक्टर की बात तो छोड़ दीजिए ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

मैंने मंत्री जी से कहा था कि आप ऐसे-ऐसे लोगों को अंचलाधिकारी रखियेगा तो कैसे काम चलेगा ? किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री ललन पासवान : महोदय, अब समाप्त ही कर रहे हैं । इसलिए मैंने बता दिया, जनतंत्र के आप मालिक हैं, आप बैठे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्यों की ऐसी स्थिति है कि एक चपरासी से भी बदतर स्थिति है, एक सी0ओ0 भी मेरी बात नहीं सुनता, बी0डी0ओ0 नहीं सुनता, दारोगा नहीं सुनता, कलक्टर नहीं सुनता, जनतंत्र में इससे बड़ा कलंक की क्या बात हो सकती है ।

अध्यक्ष : ललन जी, जनतंत्र में कोई मालिक नहीं होता है और चपरासी की भी अपनी अहमियत होती है।

श्री ललन पासवान : ठीक है, चपरासी पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है लेकिन हम उससे बदतर हैं। उससे तो सम्मान से पानी मांगा जाता है, हम तो उससे भी बदतर हैं । हम उससे कोई तुलना नहीं करते हैं ।

अध्यक्ष : अगर सहकारिता के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं । दे दीजिए या अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री ललन पासवान : इनकी योग्यता पर, इनके काम करने की शैली पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम तो पहले ही कहे कि आप पैक्स में आरक्षण लागू कीजिए । दलितों, शोसितों को मेम्बर से वंचित रखा गया है । उनलोगों का इसपर आधिपत्य है, कब्जा है, अकलियतों का । ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन इन्होंने शुरू किया, इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य राणा रणधीर जी ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता विभाग पर लाये गये कटौती-प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

अध्यक्ष : ललन जी, अब आप समाप्त करिए । मा0स0 राणा रणधीर जी आप बोलिए ।

श्री राणा रणधीर : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । अपने नेता प्रेम कुमार जी, आदरणीय अरूण कुमार सिन्हा जी की भी प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज इस पर बोलने का मौका दिया है । मैं अपनी बात शुरू करूँ सहकारिता विभाग जैसा नाम से ही स्पष्ट है सहकारिता, एक-दूसरे से मिल-जुलकर काम करने की नीयत से बनाया गया विभाग, इस तरह की सोच आजादी के बाद भी लोगों के मन में आयी, सहकारिता आन्दोलन क्रांति की बात हुई और उसी के तहत सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग का गठन किया गया भारत सरकार और बिहार सरकार में ।

टर्न-23/शंभु/15.03.17

श्री राणा रणधीर : क्रमश:.....मैं अपनी बात शुरू करूँ चूंकि सहकारिता गांव, गरीब और किसान से जुड़ा हुआ मामला है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि सदन में आज बोलते वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और माननीय अध्यक्ष जी के सामने बोलने का अवसर मिल रहा है। अपनी बात चन्द पंक्तियों के माध्यम से शुरू करना चाहूंगा कि- जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफिके सफर भी देना, गुफ्तगू आपने सिखलायी है मैं तो गूंगा था, आज बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। सहकारिता विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी महत्ता को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझा और किसानों की आमदनी को दुगना करने के ख्याल से, दुगना करने के लिए उन्होंने किसान की सिंचाई योजना, दीर्घकालिक सिंचाई योजना के रकम को दुगना कर दिया, 40 हजार करोड़ की योजना थी उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 13 हजार 240 करोड़ किया है। अध्यक्ष महोदय, हर सरकार काम करती है, हर सरकार के कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन सरकार केवल थॉट रखे और उसपर एक्शन न करे, उसपर क्रियान्वयन न करे तो वह थॉट हमको किसी कंक्रीट रिजल्ट तक नहीं ले जाता है। मैं सरकार का ध्यान रखना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं सहाकारिता विभाग के, रेवेन्यु विभाग के भी- सरकार ने 2008 और 2009 में एक निर्णय लिया था कि पैक्स के गोदामों का निर्माण करेगी, निर्माण शुरू करेगी 2012 तक पूरा करेगी। आज 2017 हो गया और अभी 22 परसेंट केवल गोदाम का निर्माण सरकार कर पायी है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए। सरकार के खजाने में अभी 22 हजार करोड़ रूपया अलग-अलग विभागों के बचे हैं, केवल 15-16 दिन शेष

है, सरकार कैसे खर्च करेगी यह भी एक चुनौती का विषय है। मैं अपनी बात को सुदामा जी के साथ जोड़ना चाहता हूँ, राजू तिवारी जी के साथ जोड़ना चाहता हूँ जिन्होंने कहा कि चार महीने में सरकार ने केवल 12 लाख मिट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की है, कैसे 16 दिनों में वह 18 लाख मिट्रिक टन की अधिप्राप्ति करेगी ? मंत्री जी के लिए चुनौती का और सरकार के लिए चुनौती का विषय है। सरकार धान का बोनस, धान अधिप्राप्ति पर बोनस किसानों को नहीं दे पायी- केन्द्र सरकार की एक जो संस्था है जो किसानों के मूल्य का लागत के लिए उसमें सजेशन दिया था कि 2355 रू0 के हिसाब से किसानों को उसका मूल्य मिलना चाहिए, मक्का का 2328 रू0 के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन सरकार उसपर कुछ नहीं कर पायी। पैक्स के अंदर और पारदर्शिता की जरूरत है। जो पहले बीमा का अधिकार पैक्सों को मिला था, पैक्स किसानो का धान अधिप्राप्ति करता था, किसानों का फसल बीमा करता था, उस अधिकार को सरकार अगर पैक्स बनायी है तो उसको और मजबूती देना चाहिए, उसको और सुदृढ़ करना चाहिए और उसकी गड़बड़ी को कैसे ठीक करें सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। सरकार का ध्यान मैं उस तरफ भी लाना चाहता हूँ- सरकार ने बोनस नहीं दिया। मैं कुछ सुझाव अपनी तरफ से सरकारिता विभाग के लिए देना चाहता हूँ कि पैक्स का निर्माण आपने किया, पैक्स में पारदर्शिता लाने की बात करते हैं तो क्यों नहीं पंचायतवार शिविर लगाकर धान का क्रय आप करते हैं, क्रय सुनिश्चित करते हैं और वहीं पर चेक द्वारा किसानों को उसका पेमेन्ट देते हैं। बिहार में 71 लाख किसान हैं जो खेती करते हैं, लेकिन अभी तक केवल पौने 3 लाख किसानों का ही निबंधन हो पाया है तो जिन किसानों का निबंधन, इतनी भारी संख्या में किसानों का निबंधन नहीं हो पाया है वह चिंता का विषय है। उनके धान की अधिप्राप्ति सरकार किस रूप में करेगी जो मेम्बर नहीं हैं पैक्स के, जो निर्बंधित नहीं है, जो पैक्स में मेम्बर नहीं हैं उसका निबंधन किस रूप में सरकार करेगी, यह चिंता का विषय है। सरकार का पूरा ध्यान, किसान आखिर क्यों मजबूर होता है, किसान क्यों मजबूर है कि वह धान कम औने-पौने भाव में बिचौलियों को बेचता है यह बड़ी चिंता का विषय है और सरकार का ध्यान, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। जब बहुत स्पष्टता के साथ आप निदेश करते हैं, लगातार मोनेटरिंग होती है, लेकिन हमारे जिले में और कई जिले में मैं समझता हूँ कि इसके साथ सहमति होगी- 38 जिले हैं 10 जिले में आपने धान क्रय केन्द्र खोलने की बात कही थी उसमें भी बहुत सुचारू तरीके से काम नहीं हो पाया था और आप किसान हमारे पूर्वी चम्पारण से लेकर कई जिलों में उत्तर बिहार की बात मैं बहुत ईमानदारी से विश्वसनीयता से कर सकता हूँ कि उत्तर बिहार में किसान को 700 से लेकर 1000 रू0 के बीच में बिचौलिये को धान देना पड़ा, वह धान आखिर कहां जाता है ? खेत किसान का है, खलिहान भी किसान का

होना चाहिए, खलिहान में जाकर बिचौलिये और बीच के लोग व्यापारी उसका धान लेते हैं आखिर वह धान कहां जाता है ? सरकार अगर दृढ़ता के साथ इसका मोनेटरिंग करे और किसानों से सीधे धान की अधिप्राप्ति करे तो यह बड़ी बात होगी। इसपर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए और गरीबों के लिए इस पूरे वर्ष के लिए कहा कि गरीब कल्याण वर्ष, गरीबों के कल्याण के लिए इस वर्ष को मनाने का दीन दयाल उपाध्याय जी के शताब्दी वर्ष को मनाने का अभियान छेड़ा है इसमें अगर बिहार की सरकार इस रूप में अपने आप को आगे लाकर उस रूप में जोड़कर अगर काम करना चाहती है तो एक अच्छी पहल और बढ़िया पहल होगी। समय है अध्यक्ष जी ?

अध्यक्ष : हरी बत्ती का मतलब होता है कि आप 1 से 2 मिनट में समाप्त करें और लाल बत्ती जब जल जाय तो सीधे बैठ जाना चाहिए।

श्री राणा रणधीर : धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। कुछ चीजें हमलोगों के ब्लॉक में हमारा नक्सल प्रभावित इलाका है। हमारे यहां ब्लॉक में एल0पी0सी0.....

श्री अवधेश कुमार सिंह, मंत्री : रणधीर जी, कुछ अपने पिता जी के बारे में भी बोलिये आप, इस सदन में हमलोग उनका भी सम्मान करते थे।

श्री राणा रणधीर : सर, मैंने इसलिए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि सदन में आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अभी तो वे सहकारिता पर बोलेंगे न।

श्री राणा रणधीर : ये रेवेन्यु में हमारे यहां ब्लॉक में सी0ओ0 नहीं है, बी0डी0ओ0 नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने सर को भी कई बार आवेदन दिया है। यहां क्वेशचन भी लाया है, लेकिन हमारे यहां पिछले 8 महीने से तीनों ब्लॉक प्रभार में बी0डी0ओ0 के द्वारा चल रहा है। सी0ओ0 आपका जो है वह भी प्रभार में चलता है। आपके यहां हल्का कर्मचारी नहीं है, अमीन नहीं है, जमीन की नापी के लिए लोग हमलोगों से पैरवी करते हैं तो रेवेन्यु विभाग का जो बुरा हाल है उसको मुख्यमंत्री जी सौभाग्य से बैठे हैं इसपर मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ-न-कुछ नक्सल प्रभावित ब्लॉक में पिछले आठ महीने से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इस पर भी ध्यान जायेगा और एक चीज मैं यह पढ़ना चाहता हूं....

अध्यक्ष : अब अंतिम बात कह लीजिए।

श्री राणा रणधीर : बिहार में नयी औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य में 5500 करोड़ निवेश की संभावना की बात की गयी है तथा इसके तहत 109वें निवेश में प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गयी है, लेकिन अभी तक कितने निवेशक यहां काम प्रारंभ किये हैं उसका जिक्र नहीं है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा इस सोच और इस बात के साथ कि सरकार योजना रचना जितनी बना ले, लेकिन अगर उसका क्रियान्वयन बढ़िया से न हो

तो वह घर तक नहीं पहुंचता है। एक शायर का दर्द है उसको आपके सामने रखते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारा घर हमारे गांव के मुखिया ने लूटा है, हमारा घर हमारे गांव के मुखिया ने लूटा है, कहां जाएं ठिकाना अपना चंबल लिख लिया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी शुरू किये हैं न । आपको ये सब चीजें तीन घंटे बाद क्यों याद आ रही है ? अभी तो बोलने दीजिए मंत्री जी को।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : सहकारिता विभाग के अनुदान मांग संख्या-9 के अन्तर्गत 7 अरब 50 करोड़ 45 लाख 5 हजार रूपये मात्र के अनुदान मांग पर और माननीय सदस्य विपक्ष के कई सदस्य जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा है उसपर बहस में हिस्सा लेनेवाले सभी माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी, श्री प्रहलाद यादव जी, श्री निरंजन मेहता जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, श्री रामदेव राय जी.....

क्रमशः

....क्रमशः....

टर्न-24/अशोक/15.03.2017

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : क्रमशः श्री अत्रीमुनी जी, जितेन्द्र कुमार जी, श्री विद्या सागर केशरी जी, श्री सुदामा प्रसाद जी, श्रीमती बेबी कुमारी जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री ललन पासवान जी और श्री रणधीर सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने सहकारिता में अपनी इन्टरेस्ट को दिखलाया और इस विषय पर अपने विचार को रखा । सहकारिता समाजवादी सिद्धान्तों पर आधारित हैं, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था हैं, जिसके तहत हम समावेशी विकास और टिकाऊ विकास की कल्पना कर सकते हैं । यह हमारे पुरखों के द्वारा दिया हुआ नयाब तोहफा है, जिन्होंने देश में समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर तक पहुंचने का एक माध्यम हमलोगों को तोहफे के तौर पर दिया है । सहकारिता का पुराना इतिहास रहा है, इस देश में भी स्वतंत्रता से पहले का इतिहास रहा है, 1904 के शुरू किये गये एक कंज्यूमर्स कोऔपरेटि को हमलोगों ने पिछले दिनों में तमिलनाडू के शहर चैन्नई में देखने का काम किया और वह कोऔपरेटिव आज भी चल रहा है और सरकार सहकारिता के मद में, उस सहकारिता को एक हरिटेज कोऔपरेटिव की तरह चालने के लिए अपना काम कर रही है । हमें सौभाग्य प्राप्त हैं माननीय बिहार के मुखिया और

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरूष श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हुये और सहकारिता को एक नया आयाम देने का मौका हमें मिला है, जैसा कि बताया जा चुका है कि पिछले वर्ष जो हमारा अनुदान मांग का साईज था उससे इस बार उससे बेहतर साईज है और बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर काफी हमारे सदस्यों ने अपनी क्योरिसीटी, अपना उस पर क्योरि सब इस बहस के माध्यम से किया और उस संदर्भ में कुछ जानकारी और कुछ सजेशन्स हमलोगों को दिये हैं, उस पर मैं चंद शब्दों में प्रकाश डालना चाहूंगा कि सरकार धन अधिप्राप्ति का कार्य अपने 8464 पैक्सों में से लगभग साढ़े सात हजार पैक्सों के माध्यम से करवा रही है और उसमें लगभग 521 हमारे व्यापार मंडल भी शामिल है, इतने बड़ी संख्या में यदि अधिप्राप्ति केन्द्र हैं और वह पूरे बिहार के कोने-कोने में, हर पंचायत में बिखरा हुआ है तो यही उस विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति को साकार रूप दे रहा है । हम पहले और अभी में बहुत कैम्परिजन नही करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि यदि गांव के अंतिम छोर पर जाकर कोई प्रोक्योरमेंट करा रहा है तो उस गांव का ही धान सरकार के गोदाम में आवेगा इस बात की लगभग गारंटी है और जिन कारनामों के बारें में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे उन कारनामों के दिन गये, आज बिहार सरकार ने बिहार में ओटोमेशन, इस व्यवस्था में आटोमेशन लागू करने की कोशिश की है, विभिन्न तरह के एप्स के माध्यम से, एप्स जारी किया गया, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किसानों का और ऑन लाईन सूचना प्रसार, सूचना का प्रवाह और सब को इन्टिग्रेट किया गया, पिछली बार पैक्स की अधिप्राप्ति की सूचना हम सीमित दायरे में अपने पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री के पास आया करता था, लेकिन हमलोगो ने इस बार एप्स जो जारी किया उस एप्स को इंटीग्रट करके पब्लिक डोमेन में दिया ताकि हर वह व्यक्ति जो धान दे रहा है, वह एक बटन दबा कर यह जान ले कि उसका धान कहां पर है, पैक्स के गोदाम में है कि वह मिलर के यहां है कि वह एस.एफ.सी के गोदाम में चला गया कि उसका पैसा उसके एकाउन्ट में आया कि नहीं और कब पैसा आ रहा है, ये तमाम बाते उस एप्स के माध्यम से कोई भी आदमी, आम आदमी उसको जान सकता है । जाहिर है इस बार हमलोगों ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया पहले भी नहीं किया था, पहले भी वह हमारा इन्टरनल एससेमेंट का तरीका था कि हमलोग पदाधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को कार्य में उनके लिए हमलोगों ने कुछ लक्ष्य रखने का काम किया था ताकि उनको एक माईल स्टोन दिखलाई पड़े कि यहां से आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है । इस बार भी हमने नहीं किया सबसे बड़ी बात है कि इसके कंसेप्ट को जब तक माननीय सदस्य पूरी तरह नहीं समझेंगे तब तक बार-बार बोलते रहेंगे कि

धान की अधिप्राप्ति इतनी ही हुई, उतनी ही हुई । जरा सुन लीजिए और सरकार कोई माकेर्टिंग कम्पनी नहीं है, सरकार को इसमें प्रोफिट मेकिंग एप्रोच नहीं है इस सरकार का, यह एक वेलफेयर सिस्टम हैं और वेलफेयर सिस्टम के तहत इस वेलफेयर स्टेट में बिहार सरकार काम कर रही है और इसके तहत सरकार अधिक से अधिक सीमान्त किसानों का संरक्षण करना चाहती है । जब सीमान्त किसान धान की पैदावार इस बार बहुत हुई, धान की पैदावार यदि हम अधिप्राप्ति नहीं करते तो माकेर्ट का रेट 900, 800 रूपया होता और हमारे बड़े किसान तो किसी तरह अपने आपको संभाल लेते लेकिन जो छोटे किसान थें वे लोग खेती से डिमोटिवेटेड हो जाते इसलिए उनकी सुविधा के लिए प्रेफरब्ली, प्रथमिकता के आधार पर हम सीमान्त किसानों और छोटे, मंझले किसानों को एक तरह का प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इसी के तहत हमलोग सरकार जो है वह अधिप्राप्ति सरकार के सपोर्ट प्राईस पर जो कि मार्केट से अक्सरहा ज्यादा होता है और किसानों के लिए भायबुल होता है, यद्यपि कई विश्लेषकों ने इस बार चर्चा की हमारे माननीय मंत्री ने भी चर्चा की, कृषि मंत्री जी ने की कि धान का उत्पादन मूल्य जितना हैं उससे थोड़ा ही ज्यादा समर्थन मूल्य है तो केन्द्र सरकार को इस पर विचारना चाहिए और समर्थन मूल्य को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन जो व्यवस्था की गई थी उसके तहत 900 में 800 में जो हमारे मझौले और छोटे किसानों को अपने धान को बेचने की नौबत आती उससे बचाने के लिए अधिप्राप्ति को पारदर्शी और बेहतर बनाने का प्रयास किया जिसके वजह से आज हमे गर्व है कि बिहार के अन्दर धान का मार्केट में जो रेट है वह 1350 रू0 तक पहुंच चुका है, यह ओपेन मार्केट में इस तरह का रेट पहुंचना इसी अधिप्राप्ति, सिस्टमेटिक अधिप्राप्ति का नतीजा हैं, यह धान कोई उत्तरप्रदेश के बोर्डर के उस पार से नहीं आ रहा है और न नेपाल से आ रहा है यह धान भी विशुद्ध रूप से हमारे छोटे और मंझौले किसानों का धान है और हमें गर्व है यह कहते हुयें माननीय मुख्यमंत्री जी कि इस इनिसियेटिव पर कि इन्होंने पहली बार देश के अन्दर कीर्तिमान स्थापित किया, भारतीय किसान आयोग की सूची में बटाईदार किसान भी किसान की सूची के अन्दर शामिल है, लेकिन इसको पूरे देश में कहीं कानूनी सुविधा नहीं दी गई कि वह अपना किसी भी तरह के प्रिभीलेज का इस्तेमाल कर सके, किसी भी तरह की सुविधा, डिजल अनुदान, फसल छति वगैरह कहीं भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता क्योंकि सब जगह एल.पी.सी. चाहिए लेकिन पहली बार इतिहास में किसानों की आरे से माननीय मुख्यमंत्रीजी को बर्धाई देना चाहता हूँ और अपनी पूरी सरकार को, माननीय सदस्यों को, जिन्होंने समर्थन किया और इसको एप्रिसियेट किया, हमारे 'माले' के साथी अभी बता रहे थे और यह मैं आशा करता हूँ कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय होगा फिर एक तरह का रिकार्ड

कायम होगा और इस बार यह बताते हुये भी खुशी हो रही है कि 30 से 40 प्रतिशत हमारे बटाईदार किसानों की हिस्सेदारी इस बार की खरीददारी में है जो उनके पास सपोर्ट प्राइस का पैसा आज पहुंच रहा है नहीं तो उससे ये मरहूम हुआ करते थे । मैं बतलाना चाहता हूँ कि वेबसाईट जो डेवलप किया गया उसको पब्लिक डोमने में दे दिया गया www.cooperative.bih.nic.in यह पूरी तरह कई बार पेपर में एडवर्टाइज किया गया है । कोई भी माननीय सदस्य, कोई आम व्यक्ति भी चाहे तो किसी भी समय धान की खरीद की स्थिति को, उसकी मिलिंग की स्थिति को, पेमेंट की स्थिति को देख सकते हैं, यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध कराई गई है और हमें इस वर्ष क्रमश:

टर्न-25/ज्योति

15-03-2017.

क्रमश:

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : और हमें इस वर्ष थोड़ी बहुत जो बाधा आयी, बिहार सरकार ने 1700 से ऊपर 1750 करोड़ रुपया, बिहार सरकार और बिहार के सभी कोऔपरेटिव बैंक्स ने मिलकर इस कार्य में लगाने का काम किया है और इससे बहुत बड़ी मात्रा में बिहार के किसानों को 48 घंटा के अंदर पेमेंट करने की जो व्यवस्था की गयी थी, उस 48 घंटा के पेमेंट के लिए सी0सी0 लिमिट देने का काम किया है । फिल गैप अरेंजमेंट है ताकि जब एस.एफ.सी0, सी.एम.आर. घान कूटने के बाद जो चावल है चावल जब रिसीव करके पैसा भेजेगा उतने दिन के बीच में किसानों को उसका पैसा मुहैय्या कराया दिया जाय । यह पैक्स को निर्देश देते हुए उनको सी0सी0 लिमिट उपलब्ध कराया गया है । इस वर्ष विभिन्न कार्य पैक्सों के माध्यम से कराये जाने थे लेकिन नोटबंदी बीच में एक बहुत बड़ा विषय बन गया और हमें खेद है कि बिहार के कोऑपरेटिव, बिहार सुन लीजिये पूरी बात सुन लीजिये । मैं कोऔपरेटिव के संदर्भ में बोल रहा हूँ । महोदय,

अध्यक्ष : मंत्री जी, इधर देखकर बोलिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, मैं कोऔपरेटिव के संदर्भ में सिर्फ बोल रहा हूँ ।

अध्यक्ष : फिर आप उधर देख रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : मैं कोआपरेटिव के संदर्भ में -भारत सरकार ने कोऔपरेटिव बैंको को पुराने नोट लेने से मना कर दिया ।

(व्यवधान)

श्रीआलोक कुमार मेहता, मंत्री : आप पूरी बात सुनिये । भारत सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक्स को पुराने नोट लेने से मना कर दिया और यह किसानों का यह एक तरह का

डिसक्रिमिनेशन है सर कि भारत के विभिन्न कॉमर्सियल बैक्स को नोट रिसीव करने की इजाजत थी । प्राईवेट बैंक्स को नोट रिसीव करने की इजाजत थी । सबसे बड़ा अविश्वास का पात्र क्या कोऑपरेटिव बैक था जिसमें 1 करोड़ 19 लाख किसान बिहार के सदस्य थे लेकिन हमें खेद है कि उसके बावजूद कोऔपरेटिव विभाग ने अपने आप को बिहार के केऑपरेटिव विभाग ने संभाला और महोदय, बिहार में .....

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी : सरकार ने अच्छा काम किया ।

अध्यक्ष : आप तो कह रहे थे सरकार ने अच्छा काम किया ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : बिहार में.....

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कितना उत्पादन बिहार में हुआ उसका कितना परसेंट क्रय किया गया जबकि भाजपा शासित राज्यों में 70 परसेंट क्रय किया गया, बोनस दिया है आखिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं हुआ ?

अध्यक्ष : चलिये, बोलिये मंत्री जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : माननीय सदस्य को बोनस की चिन्ता है । महोदय, पूरे देश में झारखण्ड अकेला राज्य है जिसने 150 रुपया बोनस दिया है और झारखण्ड में मंडी सिस्टम है । झारखंड में कोई बिकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति नहीं होती है । महोदय, और झारखण्ड में माननीय सदस्य की भी चिन्ता है तो सपोर्ट प्राईस बढ़वा दें । भारत सरकार से कह कर और सपोर्ट प्राईस बढ़वा दें ताकि आम किसानों को सुविधाा हो जाय और देश के किसानों को सुविधा हो जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप तो सहूलियत देने वाले हैं । बोलिये मंत्री जी । प्रेम बाबू, आप पूछ रहे थे तो सरकार बोल रही थी और सरकार बोल रही है तो आप सुन नहीं रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, स्थापना मद में 1 अरब 10 करोड़ 75 लाख 23 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है । योजना व्यय राज्य स्कीम में कुल 4 अरब 96 करोड़ 70 लाख 19 हजार रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत करीब 2 अरब 45 करोड़ 56 लाख रुपये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम के लिए तथा 79 करोड़ 47 लाख 23 हजार रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रीमियम हेतु जो अनुसूचित जाति विशेष घटक के लिए, 4 करोड़ 96 लाख 70 हजार रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा अनुसूचित जाति- जन जाति उप योजना के लिए

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : और इस तरह सरकार 60 अरब 50 करोड़ 45 लाख 5 हजार रुपये मात्र के अनुदान का प्रस्ताव रखी है । माननीय सदस्य और माननीय नेता विपक्ष के चले गए । ये बहुत बड़ा कारण है कि आधी बात सुनकर बाहर जाते हैं बिना समझे हुए और बाहर अतार्किक रुप से मीडिया के माध्यम से जनता तक गलत संदेश पहुंचाने का काम करते हैं । महोदय, इस सहकारिता के इस बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए प्रीमियम और प्रधानमंत्री फसल बीमा जो अनुसूचित जाति विशेष घटक के लिए है, उसके लिए प्रीमियम तथा विभिन्न तरह की अन्य योजनाओं के लिए यह बजट है और पिछले दिनों में बिहार सरकार ने राईस मिल- 60 राईस मिल का निर्माण किया जो पूरा हो चुका और 117 राईस मिल, यह सिर्फ 2016-17 की बात कर रहा हूँ । वर्ष 2016-17 में 60 राईस मिल का निर्माण हो चुका और 117 राईस मिल अभी निर्माणाधीन है । 343 गोदाम का निर्माण हो चुका है इस 2016-17 के अंदर और लगभग 665 गोदाम अभी निर्माणाधीन है इसतरह से सहकारी समितियों को कृषि रोड मैप के तहत अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि कृषि रोड मैप और कृषि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है । माननीय सदस्य, पूरी बात सुन भी नहीं पाते सदन में तो उनको जानकारी का स्वाभाविक रुप से अभाव होगा कि बिहार विकास मीशन के अंतर्गत, कृषि बिहार कृषि मीशन की मौनिटरिंग हो रही है और लगातार उसकी बैठक हो रही है और बिहार में जो हो रहे कार्य हैं उसमें गोदाम के निर्माण जो सहकारिता विभाग के माध्यम से होने है उसमें गोदाम के निर्माण - जिसमें लगभग 6.71 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हो चुका है 10 लाख मीट्रिक टन की अपेक्षा । 10 लाख मीट्रिक टन टारगेट है तो यह करीब करीब 67-68 परसेंट उपलब्धि हो चुकी है और उसीतरह से गोदाम जो विभिन्न तरह के खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए और उसके स्टोरेज के लिए बनाया जाना है उसमें खासी प्रगति है । उसके साथ साथ बिहार सकार समेकित सहकारी विकास परियोजना -यह आई.सी.डी.पी. कहलाता है । आई.सी.डी.पी. के माध्यम से भी बिहार के अंदर गोदाम और गैसीफायर बेस्ड राईस मिल के निर्माण का काम बहुत तेजी से चला रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं घोषणा करता हूँ कि आने वाले दिनों में पैक्स के अंदर जो भी राईस मिल बने हैं, उन राईस मिल्स में हम यह ड्रायर की व्यवस्था करने का काम करेंगे और उस ड्रायर को आने वाले दिनों में हम राईस मिल के प्रोजेक्ट के साथ इन्टीग्रेट करेंगें जो बनने वाले हैं उसके साथ ताकि जो धान अधिप्राप्ति के लिए विभिन्न तरह के कुतर्क तैयार किए जाते हैं उसका जवाब दिया जा सके मैं धान अधिप्राप्ति पर फिर दो शब्द कहना चाहता हूँ कि धान अधिप्राप्ति में सबसे पहली शर्त भारत सरकार की है कि एफ.सी.आई. के माध्यम से है कि धान का मोआएस्चर 17 प्रतिशत होना चाहिए और इसकी वजह से यदि हम नैचुरल ढंग

से हम धान को छोड़ दें डिहाईड्रेशन के लिए तो वह 15 जनवरी के लगभग 17 प्रतिशत पूरे बिहार में आता है तो 15 जनवरी तक हमने घोषणा कर दी 15 नवंबर से उसकी भी वजह थी कि पॉच छः जिलों में अगड़ा धान की बोआई होती है जिसकी कटाई नवम्बर 15 के लगभग होती है इसलिए हमने उसकी घोषणा की थी और उसके बाद दिसम्बर से बाकी धान की अधिप्राप्ति की घोषणा की थी । हम भारत सरकार को लगातार लिखते रहे हैं, उनसे बहस करते रहे हैं । उनको हर फ्रंट पर कहते रहे हैं कि यहॉ पर मोआएस्चर वाले एलीमेंट को आप मोडरेट- चेंज कीजिये और हमें अनुमति दीजिये कि हम ज्यादा मोआएस्चर वाले धान को भी ले सके नमी वाले ज्यादा नमी वाले धान को भी हम ले सके और उसके लिए काफी प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल के बाद केन्द्र सरकार से टीम आयी और उसने यहॉ पर यहॉ अध्ययन किया इस बार कि हम धान के मोआएस्चर का अध्ययन करें और धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करें ।

क्रमशः

टर्न-26/15.3.2017/बिपिन

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः क्रमशः उस क्रम में उन्होंने जो पाया, बहुत जद्दोजहद के बाद 19 जनवरी को जब धान की नमी प्राकृतिक रूप से 17 प्रतिशत् के लगभग जब पहुंच गई, तब भारत सरकार ने यह अनुमति दी कि 19 प्रतिशत् तक मोयाइश्चर वाले धान को आप ले सकते हैं और वह भी इसी बार के लिए, इसी वर्ष के लिए । यह कैसा आदेश था महोदय, यह कैसा आदेश था ? मजाक किया गया बिहार के किसानों के साथ और 19 प्रतिशत् का जो नमी है, उस 19 प्रतिशत् की नमी वाले धान को लेने के लिए हमलोगों ने यह भी प्रस्तावित किया था कि आप ही मानक स्थापित कर दीजिए कि कितना किलो धान अतिरिक्त लेकर उसको कंपनसेट किया जा सके ताकि ऑफिशियली पैक्स के दरवाजे पर दीवार पर लिखा जाए कि यदि 19 प्रतिशत् धान है तो दो किलो ज्यादा लेना है कि एक किलो ज्यादा लेना है या आधा किलो ज्यादा लेना है लेकिन भारत सरकार ने इस तरफ कोई पहल नहीं किया बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और उन्होंने कृषि विभाग से इस संदर्भ में जो एक ऑब्जर्वेशन है, उसको मंगवाने का निर्देश दिया है और मैं समझता हूं कि जल्द ही उस पर कुछ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पायलॉट प्रोजेक्ट शुरू हो गया । रोज हाय-तौबा हो रहा है ड्रायर नहीं खरीद रहे हैं । ड्रायर कोई आपका प्रस्ताव था जो नहीं खरीद रहे हैं ? ड्रायर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित किया है और यह इसलिए किया है कि जब धान की अधिप्राप्ति होती है तो 15 जनवरी के बाद जब 17 प्रतिशत् पहुँचता है तो मार्च, 31 तक ही धान खरीदने की स्थिति बनी रहती है । हमारा प्रयास है कि इसको हम

दिसम्बर, कम-से-कम दिसम्बर से शुरू करें ताकि दो साइकिल, एक-डेढ़ साइकिल और बढ़ जाए ताकि आम किसानों का, जो छोटे किसान हैं, उनको अपना धान बेचने का मौका मिल जाए और उतने ही लिमिट में पैक्स को भी फायदा हो । 3 प्रतिशत् उनको कमीशन मिलता है, पैक्स को । यदि वही पैसा 3 बार घूमे, जब उतने-उतने किसानों को तीन बार खरीदेंगे, दिसम्बर से लेकर मार्च 31 तक, तो वह 9 प्रतिशत् का उनको कमीशन मिलेगा और उनको फायदा होगा । अभी हमारे साथी कुछ कह रहे थे, माननीय रामदेव बाबू, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि यह सारी व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है और यह भी नहीं, जिस इलाके में और हम रोज सुनते रहते हैं, रोज प्रतिदिन अखबारों में, प्रतिदिन सिर्फ इसलिए कि आम जनता के बीच, चूंकि पूरी प्रौसेस की जानकारी उन्हें नहीं है और धीरे-धीरे हमलोग प्रचारित कर रहे हैं तो हम समझते है कि आने वाले दिनों में इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और माननीय नेता विपक्ष या माननीय सदस्य जिन बातों की भ्रांति फैलाना चाहते हैं जनता तक, वह सभी बात साफ-साफ चली जाएगी और ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, इस बिहार का कोई भी नागरिक हो, किसान हो, अपने प्रोडक्ट को बेचने का उसको पूरा-पूरा अधिकार है । धीरे-धीरे स्पैन इतना बड़ा हो जाए, हम संसाधन और जुटाने के प्रयास में हैं, लेकिन हम क्या करें ? अभी भारत सरकार के पास 379 करोड़ रूपया बकाया पिछले कई वर्षों से है, चार-पांच वर्षों से है और देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं लोग । हमने पिछली बार केन्द्र सरकार को जाकर ज्ञापन दिया था तो उन्होंने, उनके लिस्ट में वह पैसा ही नहीं था। उन्होंने अपने एकाउन्ट से डिलीट कर रखा है । बिहार के साथ बिहार के कृषि मंत्री, बिहार के रहने वाले कृषि मंत्री देश में चारो तरफ बांटते रहते हैं, लेकिन बिहार के साथ बड़ी ज्यादती, बिहार के किसानों के साथ महोदय, और यदि वह पैसा मिल जाता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता और सदस्य जो बोल गए कि धान अधिप्राप्ति का परसेंटेज इतना हुआ, उतना हुआ, वह बिल्कुल बिजनेसमैन वाला चश्मे से देख रहे हैं कि इतना परसेंट और इतना होना चाहिए । हमने गेहूं में भी सपोर्ट प्राइस दिया था हुजूर । गेहूं में भी हमलोगों ने समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की और हमारा पूरा सिस्टम तैयार था कि गेहूं की अधिप्राप्ति हो लेकिन गेहूं का समर्थन मूल्य 1500 था और मार्केट मूल्य 1560 था, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हम कोई गेहूं नहीं खरीदे । सारे लोग जाकर मार्केट में बेचे । उन्हें मूल्य मिला । हमारा पर्पस भी तो वही है कि उनको मूल्य मिले । तो टारगेट फिक्स करने की बात बार-बार जो कहते हैं, उसका सीधा तर्क है कि हम कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं हैं । यह एक आम, मंझौले और छोटे किसान हैं, उसके लिए हम एक सुरक्षात्मक आवरण तैयार करते हैं जिसकी वजह से उनके इंट्रेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके और उनके प्रोडक्ट को बेहतर दाम मिल

सके ताकि आगे भी वो खेती कर सकें । बड़े किसान बिहार में अब खेती छोड़ रहे हैं । वो बटाईदारी भी नहीं कर पा रहे हैं और खुद की खेती भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो किसान कर रहे हैं छोटे, मंझले किसान और जो बटाईदार किसान जो बड़े जमींदार परिवारों में जो खेती करते हैं उनके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है ताकि बिहार की खेती बची रहे, बिहार की उत्पादकता आगे इसी तरह बढ़ती रहे और हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आई.सी.डी.पी. योजना जो सिर्फ पहले गोदाम बनाने और राइस मिल बनाने तक सीमित थी, उसका विस्तार हमलोगों ने करना शुरू किया है और भागलपुर में बटेरपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । भागलपुर के नवगछिया इलाके में जहां केले की खेती है, उस केले की खेती में केला के थंभ के रेशा से बनाए जाने वाले कपड़ा पर आधारित उद्योग बनाने की पहल की जा रही है और उसी तरह जो खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कार्बाइड से पका हुआ आम, केला या उस तरह का कोई भी प्रोडक्ट, उसको बेचने वाले को 6 साल की जेल की सजा होने वाली है और उसकी वजह से हम उसके लिए विकल्प खड़ा करना चाहते हैं और इथीलिन बेस्ड राइपेनिंग प्लांट पाइलॉट प्रोजेक्ट के तौर पर वैशाली जिला के विदुपुर में हम लगाने की योजना बना रहे हैं और उसी तरह से हम कोल्ड स्टोरेज को भी धीरे-धीरे अपने कार्य योजना में शामिल करना चाहेंगे ताकि जो कोल्ड स्टारेज का विकास हुआ है, बिहार में बहुत हैफजार्ड है और बहुत असंगठित रूप से हुआ है । कहीं एक-एक सौ है और कहीं पूरे जिले में दो-चार कोल्ड स्टोरेज है तो सरकार इस पर विचार कर रही है कि जिस एरिया, जिस इलाके में खेती हो रही है आलू की और अन्य सब्जियों की और वहां कोल्ड स्टोरेज की यदि आवश्यकता है तो वहां पर सहकारी संगठन बनाकर और सहकारिता विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम दिया जाएगा, जब आने वाले दिनों में वैसे क्षेत्रों में भी कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा जहां पर कोल्ड स्टोर बिल्कुल नहीं है और इसी तरह आई. सी.डी.पी. के साथ-साथ एग्री-क्लिनिक जो निर्मित कर दिया जा सका, आइ.सी.डी.पी. के माध्यम से 6 एग्री-क्लिनिक का निर्माण किया गया और 7 निर्माणाधीन है । इसी 2016-17 वर्ष में जो वर्मी कंपोस्ट 146 का निर्माण हो चुका, 24 निर्माणाधीन है । उसी तरह से मुर्गीपालन 12 प्लांट लगाया गया है और 9 निर्माणाधीन है । बकरीपालन 38 फार्म बनाया गया है और 38 के 38 चल रहे हैं । आगे अभी मत्स्यपालन में 30 मत्स्य पालन सोसाइटी जो है, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, 30 मत्स्यजीवी सहयोग समिति को आई.सी.डी.पी. के माध्यम से उनको कार्यरूप दिया गया है और उसी तरह से दो डेयरी का निर्माण किया गया है । ....क्रमशः

टर्न : 27/कृष्ण/15.03.2017

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री (क्रमशः) उसी तरह सब्जी के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि बिहार में 10 हजार करोड़ की सब्जी प्रति वर्ष बर्बाद होती थी । हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय श्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने अपने महत्वकांझी योजना, इनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको इन्होंने सहकारिता विभाग के माध्यम से लागू करने की शुरूआत कर दी है और उसके तहत 5 करोड़ रूपया इसको इनिशियेट करने के लिये इस वर्ष दिया गया है और आगे आवश्यकतानुसार और इसके तहत बिहार में फेडरेशन बनाया जायेगा । महोदय, सब्जी बहुत कम मूल्य पर सब्जी के किसान यहां पर औने-पौने दाम पर बेच दिया करते थे, उन्हें मूल्य दिलाने का और बाजार दिलाने का काम यह फेडरेशन करेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मांग संख्या-9 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के लिये वर्ष 2017-18 में आयोजना भिन्न व्यय एवं आयोजना व्यय अन्तर्गत व्यय हेतु 7,50,45,05,000 (सात अरब पचास करोड़ पैंतालिस लाख पांच हजार) की मांग को पारित किया जाय और विपक्ष के हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती-प्रस्ताव रखा है, उनसे कटौती प्रस्ताव को वापस लेने की अपील करता हूं ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती-प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 7,50,45,05,000 (सात अरब पचास करोड़ पैंतालीस लाख पांच हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 मार्च, 2017 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 35 (पैंतीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो संबंधित विभागों को भेज दिये जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 16 मार्च,2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

...